



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों
की अनुपालन लेखापरीक्षा
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 6

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों
की अनुपालन लेखापरीक्षा
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
<i>विषय सूची</i>	<i>i-ii</i>	
<i>प्रस्तावना</i>	<i>iii</i>	
<i>विहंगावलोकन</i>	<i>v-viii</i>	
अध्याय-I: परिचय		
बजट तथा संसाधनों का प्रयोग	1.1	1-2
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.2	2-3
निरंतर बचतें	1.3	3
लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन	1.4	3-4
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ	1.5	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी	1.6	4-5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	5-7
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना तथा राज्य विधायिका के समक्ष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.8	7-8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण	1.9	8-9
अध्याय-II: सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (विभाग)		
शिक्षा विभाग		
विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी का प्रावधान	2.1	11-24
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
ट्रॉमा केन्द्रों के पूर्ण न होने/ कार्य न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन	2.2	24-26

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग		
परित्यक्त सड़क कार्य पर निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ	2.3	27-33
जल शक्ति विभाग		
फिना सिंह बांध के निर्माण में फर्म को अनुचित लाभ	2.4	33-46
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग		
हिमाचल प्रदेश में संग्रहालयों का प्रबंधन	2.5	47-66
अध्याय-III: सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड		
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड - प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर निष्फल-व्यय, ₹ 7.82 करोड़	3.1	67-69
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड		
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में अनुबंध प्रबंधन	3.2	70-78
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड		
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सामग्री खरीद एवं मालसूची प्रबंधन	3.3	78-86
संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान	3.4	86-88
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम		
श्रमिकों की सेवा का कम उपयोग किए जाने के बावजूद उन्हें पूरा भुगतान करने के कारण ₹ 80.84 लाख राशि की हानि	3.5	88-91
परिशिष्ट		93-116

प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत विभागों/ स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से अंतर्विष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2019-20 के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो गत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। 2019-20 की अनुवर्ती अवधि से सम्बंधित मामलों को भी जहां आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 302.90 करोड़ के मुद्रा-मूल्य से अंतर्ग्रस्त सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से सम्बंधित दस अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं।

अध्याय-I एक परिचयात्मक अध्याय है, जिसमें राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है; **अध्याय-II** में सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से सम्बंधित विभागों/स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है, जो ₹ 41.85 करोड़ के मुद्रा-मूल्य से अंतर्ग्रस्त पांच परिच्छेदों से मिलकर बने हैं; तथा **अध्याय-III** सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है, जिसमें ₹ 261.05 करोड़ के मुद्रा-मूल्य वाले पांच परिच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

अध्याय-II: सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी का प्रावधान

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरम्भ में वर्दी का कपड़ा उपलब्ध करवाने की उसकी प्रतिबद्धता के अनुसार योजना बनाने तथा पूरा करने में असमर्थ थी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं आपूर्ति आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण 2018-19 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी का कपड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा 2016-18 एवं 2019-20 की अवधि के दौरान विभागीय प्राधिकारियों ने वर्दी के कपड़ों के वितरण में एक से 11 माह से अधिक का समय लिया। विभागीय प्राधिकारियों ने सिलाई-प्रभार के संवितरण में पांच से 164 दिनों का समय लिया तथा नमूना-जांचित तीन खण्डों में 2016-20 के दौरान 200 विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का भुगतान नहीं किया गया। निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसी प्रयोगशाला को वर्दी के कपड़े के नमूने के परीक्षण का कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ का अनियमित व्यय (2019-20) हुआ।

(परिच्छेद 2.1)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

ट्रॉमा केन्द्रों के पूर्ण न होने/ कार्य न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन

विभाग ₹ 10.61 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी पांच अस्पतालों में परिकल्पित ट्रॉमा केन्द्रों को स्थापित करने में विफल रहा। इन अस्पताल प्राधिकारियों के पास ₹ 7.81 करोड़ की निधियां 30 से 57 माह तक बेकार रही।

(परिच्छेद 2.2)

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

परित्यक्त सड़क कार्य पर निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

योजना में विफलता, समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने में देरी एवं विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में देरी के कारण परित्यक्त सड़क कार्य पर ₹ 2.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। उच्च दर मद के अनधिकृत निष्पादन के कारण ठेकेदार को ₹ 0.53 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, इसके अतिरिक्त लोग अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

(परिच्छेद 2.3)

जल शक्ति विभाग

फिना सिंह बांध के निर्माण में फर्म को अनुचित लाभ

अपर्याप्त स्टील कार्य, विचलन हेतु उच्च दरों पर भुगतान, अन्वेषण/डिज़ाइन हेतु भुगतान, गणना न किए गए कार्यों के लिए भुगतान करने के अतिरिक्त गतिविधियों हेतु पहले से ही परिकल्पित व्युत्पन्न दरों में आठ प्रतिशत जोड़ने के कारण गलत कार्य-क्षेत्र एवं अनुचित मद-दरों के साथ एकमुश्त अनुबंध प्रदान करने के परिणामस्वरूप फार्म को ₹ 19.52 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

हिमाचल प्रदेश में संग्रहालयों का प्रबंधन

विभाग ने 2016-20 के दौरान न तो वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रलेखीकरण एवं संरक्षण के लिए नीति/ दिशा-निर्देश बनाए एवं न ही संग्रहालयों के प्रबंधन हेतु वार्षिक कार्य-योजना बनाई। कला वस्तुओं का अधिग्रहण मनमाने ढंग से किया गया था क्योंकि 2017-20 के दौरान राज्य संग्रहालय, शिमला द्वारा खरीद (1,505) एवं उत्खनन (57) के माध्यम से अधिग्रहित 1,562 वस्तुओं में से 1,494 (96 प्रतिशत) राज्य संग्रहालय, शिमला हेतु एवं 68 धर्मशाला स्थित संग्रहालय हेतु अधिग्रहित किए गए तथा चंबा स्थित संग्रहालय के लिए कोई वस्तु अधिग्रहित नहीं की गई थी।

अभिप्राप्ति रजिस्ट्रों का रख-रखाव विधिपूर्वक नहीं किया गया था क्योंकि सभी नमूना-जांचित प्रविष्टियों में वस्तुओं की अवस्थितियां (शैल्फ/ केस/ कक्ष) एवं तस्वीरों का उल्लेख नहीं किया गया/ चिपकाया नहीं गया तथा 489 वस्तुओं के सामने वस्तुओं की दिनांक/ अवधि दर्ज नहीं की गई थी। 21,755 वस्तुओं में से 8,663 (40 प्रतिशत) वस्तुओं के लिए डिजिटल प्रलेखीकरण पूर्ण कर लिया गया था। संग्रहालयों की संरक्षण प्रयोगशालाओं में विलवणीकरण संयंत्र, अल्ट्रासोनिक/ लेजर क्लीनर, उच्च विभेदन सूक्ष्मदर्शी (हाई रेसोल्यूशन माइक्रोस्कोप), संरक्षण टेबल आदि सहित प्रमुख उपकरण उपलब्ध नहीं थे। संग्रहालयों में सुरक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी तथा आगंतुकों की प्रभावी निगरानी/ ट्रेकिंग का अभाव था।

(परिच्छेद 2.5)

अध्याय-III: सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड - प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर निष्फल-व्यय, ₹ 7.82 करोड़

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड ने प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट (परियोजना) पर ₹ 7.82 करोड़ व्यय किए परन्तु उसका उपयोग नहीं किया। ₹ 2.74 करोड़ की अतिरिक्त देयता का भुगतान अभी किया जाना है।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में अनुबंध प्रबंधन

कंपनी ने विगत तीन वर्षों के दौरान 41 परियोजनाओं का निष्पादन किया जिसमें से 14 परियोजनाओं की नमूना-जांच की गई। छः परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के 15 से 40 माह के मध्य की अवधि के पश्चात् कार्य सौंपे गए। एक अनुबंध में कार्य सौंपे जाने के बाद विरोधाभासी प्रावधान एवं मूल्य विचलन खण्ड शामिल करने के कारण ठेकेदार को ₹ 12.25 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। सड़क चौड़ीकरण पर ₹ दो करोड़ का अस्वीकृत भुगतान तथा वस्तु एवं सेवा कर पर ₹ 24.57 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सामग्री खरीद एवं मालसूची प्रबंधन

2017-18 से 2019-20 के दौरान स्टोर की मर्च की खरीद पर वार्षिक व्यय ₹ 100.26 करोड़ से ₹ 259.27 करोड़ से मध्य था। ₹ 38.13 करोड़ व ₹ 88.67 करोड़ का अतिरिक्त स्टॉक

क्रमशः 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान रखा गया। 2018-19 की समाप्ति तक अतिरिक्त स्टॉक रखने के कारण कंपनी को ₹ 4.88 करोड़ की सतत ब्याज हानि हुई। गत वर्ष की दरों से खरीद आदेश देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान

संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान

डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूर्ण न होने के कारण कंपनी को सिस्टम का वास्तव में उपयोग किए बिना ₹ 198.91 करोड़ का ट्रांसमिशन शुल्क वहन करना पड़ा। डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने तक शुल्क और बढ़ेंगे।

(परिच्छेद 3.4)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम

श्रमिकों की सेवा का कम उपयोग किए जाने के बावजूद उन्हें पूरा भुगतान करने के कारण ₹ 80.84 लाख राशि की हानि

पूर्ण-कालिक आवश्यकता के अभाव के बावजूद अर्धअकुशल श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कम कार्य पर पूर्ण भुगतान किया गया; उनकी संविदा (ठेका) को वार्षिक रूप से बढ़ाया गया; तथा उन्हें नियमित नियुक्ति दी गई इसके परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान हुआ एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (निगम) को ₹ 80.84 लाख की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.5)

अध्याय-।
परिचय

अध्याय-1 परिचय

1.1 बजट तथा संसाधनों का प्रयोग

राज्य में 48 विभाग, राज्य के 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम¹ एवं 54 स्वायत्त निकाय हैं। 2015-20 के दौरान राज्य सरकार का बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका-1.1 में दी गई है:

तालिका-1.1: 2015-20 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	9,207	8,788	10,135	9,728	11,230	11,009	13,331	11,438	14,351	12,335
सामाजिक सेवाएं	9,676	7,980	11,388	9,610	11,884	10,337	13,488	11,482	13,895	12,047
आर्थिक सेवाएं	6,407	5,525	7,314	5,996	7,734	5,697	9,082	6,512	7,832	6,338
अन्य	5	10	5	10	9	10	11	10	11	10
योग (1)	25,295	22,303	28,842	25,344	30,857	27,053	35,912	29,442	36,089	30,730
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	2,991	2,864	3,241	3,499	3,531	3,756	4,298	4,583	4,580	5,174
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	397	463	428	3,290	448	503	448	468	457	458
लोक ऋण की अदायगी	1,503	3,948	2,229	3,943	3,105	3,500	3,184	4,673	3,262	6,701
लोक लेखा संवितरण	2,978	10,577	3,103	12,351	3,303	13,043	3,303	14,493	3,303	20,111
अंत रोकड़ शेष	--	216	--	316	--	183	--	53	--	1,060
योग (2)	7,869	18,068	9,001	23,399	10,387	20,985	11,233	24,270	11,602	33,504
सकल योग	33,164	40,371	37,843	48,743	41,244	48,038	47,145	53,712	47,691	64,234

स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे।

¹ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन पर 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन-हिमाचल प्रदेश सरकार में चर्चा की गई है।

2015-20 के दौरान, लोक ऋण की अदायगी एवं लोक लेखा संवितरण को छोड़ कर राज्य का कुल व्यय² 9.14 प्रतिशत की वार्षिक औसत चक्रवृद्धि दर पर बढ़ कर ₹25,630 करोड़ से ₹ 36,362 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 38 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 30,730 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय 81 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 2,864 करोड़ से ₹ 5,174 करोड़ हो गया। 2015-20 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 84 से 87 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय 11 से 14 प्रतिशत रहा।

1.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2015-16 के ₹ 11,296 करोड़ से बढ़ कर 2019-20 में ₹15,939 करोड़ हो गया जो विगत वर्ष से 2019-20 में ₹ 822 करोड़ (5 प्रतिशत) अधिक था, जैसा कि तालिका-1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजनागत अनुदान	8,524	8,877	--	--	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	756	1,188	--	--	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	38	44	--	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान	1,978	3,055	--	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	--	--	3,590	4,010	4,915
वित्त आयोग के अनुदान*	--	--	8,889	8,831	8,618
अन्य अंतरण / राज्य/विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान	--	--	615	2,276	2,406
योग	11,296	13,164	13,094	15,117	15,939
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	57.37	16.54	(-) 0.53	15.45	5.44

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

*वित्त आयोग अनुदानों में विचलन बाद राजस्व घाटा, स्थानीय निकायों हेतु अनुदान एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि सम्मिलित है जो पूर्व में राज्य लेखाओं में गैर-योजनागत अनुदानों के रूप में दर्शाए गए थे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी मात्रा में निधियां सीधे हस्तांतरित करती आ रही हैं। भारत सरकार ने 2014-15 से ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से भेजे जाने का निर्णय लिया था। तथापि,

² कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

2019-20 के दौरान भारत सरकार ने राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को ₹ 1,372.69 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए (परिशिष्ट-1.1)।

1.3 निरंतर बचतें

विगत पांच वर्षों के दौरान 22 अनुदानों में 28 ऐसे मामले थे (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) जहां निरंतर बचतें हुईं (विवरण परिशिष्ट-1.2 में दिया गया है), जिनमें से चार मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक) नीचे तालिका-1.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.3: निरंतर बचतों वाले मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक) का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व - स्वीकृत							
1	08	शिक्षा	1,076.22	864.96	665.02	955.16	1,110.61
2	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	366.81	295.90	211.66	330.83	377.72
3	20	ग्रामीण विकास	208.74	121.61	402.93	383.93	351.17
4	31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	123.39	177.85	242.34	325.72	371.39

स्रोत: विनियोजन लेखे।

1.4 लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ आरम्भ होती है जिसमें गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों को ध्यान में रखा जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात् लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो समायोजित किया जाता है अथवा अनुपालन हेतु आगामी कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की जाती है तथा ये लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत 28 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की।

1.5 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ

वसूलियों से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष जो राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आते हैं उन्हें विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वो लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इनकी संपुष्टि एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई करें।

सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 1,436 मामलों में इंगित की गई ₹29.29 करोड़ की वसूली में से 1,395 मामलों में ₹ 28.11 करोड़ की वसूली स्वीकार की, तथापि 2019-20 के दौरान केवल 798 मामलों में ₹ 6.72 करोड़ की वसूली की गई, जैसा कि नीचे तालिका-1.4 में वर्णित है:

तालिका-1.4: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग	देखी गई वसूलियों का विवरण	2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूलियां		2019-20 के दौरान स्वीकृत की गई वसूलियां		2019-20 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिक भुगतान, गलत वेतन निर्धारण, डी.ए. का अधिक भुगतान तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ, इत्यादि।	1,436	29.29	1,395	28.11	798	6.72

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उनकी अनुपालन की सूचना देना अपेक्षित है।

तथापि, 31 मार्च 2020 तक 10,493 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 46,400 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थीं, जैसा कि तालिका-1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन परिच्छेद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	एएमजी-I (सामाजिक क्षेत्र)	6,331	30,722
2.	एएमजी-III (सामान्य क्षेत्र)	1,526	6,820
3.	एएमजी-II (आर्थिक क्षेत्र) ³	2,636	8,858
योग		10,493	46,400

विभागीय अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अभ्युक्तियों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहे, जो जवाबदेही के क्षरण में परिणत हुई। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की गई है अथवा नहीं, स्वतः प्रेरित कार्रवाई करनी होती है। उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य के विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर, विस्तृत टिप्पणियाँ, जिसको लेखापरीक्षा द्वारा पुनः जांचा गया हो, प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें उनके द्वारा की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई दर्शाई गई हो।

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) प्राप्त न होने से सम्बंधित स्थिति तालिका-1.6 में दी गई है:

³ इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित मामलों भी सम्मिलित हैं।

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त न होने से सम्बंधित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुति की तिथि	कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त की देय तिथि	31 मार्च 2021 तक बकाया कार्रवाई टिप्पणियां
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	2012-13	जनजातीय विकास	21.02.2014	20.05.2014	01
	2013-14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.04.2015	09.07.2015	01
		जनजातीय विकास			01
		चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान			01
	2014-15	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें	07.04.2016	06.07.2016	01
	2015-16	गृह	31.03.2017	30.06.2017	02
		सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य			03
		मत्स्य पालन			01
	2016-17	सूचना प्रौद्योगिकी	05.04.2018	04.07.2018	01
		उद्यान			01
		गृह			01
	2017-18	पशु पालन	14.12.2019	13.03.2020	01
		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			01
राजस्व		02			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन	2014-15	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	07.04.2016	06.07.2016	09
	2016-17	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	05.04.2018	04.07.2018	07
	2017-18	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	14.12.2019	13.03.2020	02
		ब्यास वेली पावर कारपोरेशन लिमिटेड			01
		हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड			02
		हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड			01
		हिमाचल प्रदेश वित्त निगम			01
		हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक कारपोरेशन लिमिटेड			01

		हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम			01
		हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम			01
		हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम			01
		हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड			01

1.8 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना तथा राज्य विधायिका के समक्ष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून एवं न्याय, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इनमें से राज्य के 18 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं। बकाया लेखाओं वाले प्राधिकरणों के विवरण तालिका-1.7 में दिए गए हैं।

तालिका-1.7: निकायों या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे लम्बित हैं	2019-20 तक लम्बित लेखाओं की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला	2019-20	01
2	हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	07
3	प्रतिपूरक वनिकरण प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2013-14	07
4	हिमाचल प्रदेश परिवहन एवं बस स्टैंड प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण	2018-19	02
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विनियामक आयोग	2019-20	01
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला	2019-20	01
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	2018-19	02
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		02
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन		02
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	2019-20	01
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		01
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर		01
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डी		01

तालिका-1.7 से स्पष्ट है कि लेखे एक से सात वर्षों से बकाया/ लम्बित हैं। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लगने का जोखिम रहता है, अतएव, लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा शीघ्रतिशीघ्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के अनुसार विभागों से छः सप्ताह के भीतर निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर उनकी प्रतिक्रियाएं प्रेषित करनी अपेक्षित है।

विगत तीन वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों का मुद्रा-मूल्य सहित वर्ष-वार विवरण तालिका-1.8 में दिया गया है।

तालिका-1.8: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2016-19 में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद		प्राप्त उत्तर	
		संख्या	मुद्रा मूल्य	संख्या	मुद्रा मूल्य	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	2016-17	4	318.11	26	595.88	-	5
	2017-18	2	341.17	21	114.52	2	20
	2018-19	2	116.09	14	86.92	1	9
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	2016-17	1	203.54	13	34.10	1	5
	2017-18	1	643.04	11	20.08	1	2
	2018-19	-	-	10	437.17	-	5

उत्तर प्रस्तुत करने से सम्बंधित मामला सम्बन्धित विभागों के सचिवों के साथ उठाया गया था तथा अक्टूबर 2020 में मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2016-19 के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तरों की स्थिति पूर्ववर्ती तालिका-1.8 में दर्शाई गई है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दस अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद समाविष्ट हैं। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 302.90 करोड़ है।

अध्याय-॥
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(विभाग)

अध्याय-II

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

शिक्षा विभाग

2.1 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी का प्रावधान

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरम्भ में गुणवत्ता-पूर्ण वर्दी का कपड़ा उपलब्ध करवाने की उसकी प्रतिबद्धता के अनुसार योजना बनाने तथा पूरा करने में असमर्थ थी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं आपूर्ति आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण 2018-19 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी का कपड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा 2016-18 एवं 2019-20 की अवधि के दौरान विभागीय प्राधिकारियों ने वर्दी के कपड़ों के वितरण में एक से 11 माह से अधिक का समय लिया। विभागीय प्राधिकारियों ने सिलाई-प्रभार के संवितरण में पांच से 164 दिनों का समय लिया तथा नमूना-जांचित तीन खण्डों में 2016-20 के दौरान 200 विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का भुगतान नहीं किया गया। निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसी प्रयोगशाला को वर्दी के कपड़े के नमूने के परीक्षण का कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ का अनियमित व्यय (2019-20) हुआ।

2.1.1 परिचय

राज्य सरकार जनवरी 2012 में आरम्भ की गई अटल स्कूल वर्दी योजना⁴ के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों⁵ को वर्दी का कपड़ा निःशुल्क प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को दो जोड़ी वर्दी का कपड़ा प्रदान किया जाना है। स्कूल वर्दी की रूपात्मकता/विशिष्टताओं को हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा गठित एक अधिकृत समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव (शिक्षा) करता है, द्वारा निर्धारित/परिभाषित किया जाता है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा वर्दी के कपड़े की खरीद तथा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने में

⁴ कक्षा 1 से 10 के लिए अटल वर्दी योजना 2012 से आरम्भ की गई थी तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की दिनांक 23-2-2013 की अधिसूचना से इसे कक्षा 1 से 10 के लिए महात्मा गांधी वर्दी योजना का नाम दिया गया एवं हिमाचल प्रदेश अधिसूचना दिनांक 14-7-2016 से कक्षा 11 एवं 12 के लिए मुख्यमंत्री वर्दी योजना 2016-17 से आरम्भ की गई थी। उक्त दोनों योजनाओं को विलय कर 2018-19 से कक्षा 1 से 12 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना का नाम दिया गया।

⁵ 2012-13 से कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थी, जिसे 2016-17 में बढ़ा कर कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों तक कर दिया गया। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) डेटा के अनुसार 2016-20 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 8.01 लाख से 8.90 लाख के मध्य थी।

नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वर्दी के कपड़े⁶ की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है।

प्रत्येक वर्ष निदेशक, प्राथमिक शिक्षा वर्दी के कपड़े की मांग हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भेजता है। फर्म की पहचान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम विज्ञापित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से करता है, जिसमें पूर्व-निर्धारित विनिर्देशानुसार मान्यता प्राप्त⁷ प्रयोगशालाओं (प्रेषण-पूर्व परीक्षण) से प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र एवं विश्लेषण रिपोर्ट सहित कपड़े के नमूने बोलीदाताओं द्वारा उनकी तकनीकी बोलियों के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने तथा सरकार से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम चयनित फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करता है एवं आपूर्ति सीधे मांग-पत्र अधिकारी⁸ को की जाती है। आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात् कपड़े के परीक्षण की एक अतिरिक्त प्रणाली (प्रेषणोत्तर जांच) भी निर्धारित की गई है जिसमें प्रत्येक मांग-पत्र अधिकारी द्वारा प्राप्त बैचों से यादृच्छिक रूप से चुने गए कपड़ों के नमूने⁹ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्वतंत्र रूप से परीक्षित करवाए जाते हैं। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) को भुगतान करने के लिए अग्रिम भुगतान करता है। खरीद एवं संवितरण की प्रक्रिया को परिशिष्ट-2.1 में वर्णित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

चूंकि निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा नोडल विभाग था, अतः लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा कार्यालय, शिमला, चार जिलों में चार¹⁰ (12 में से) उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा तथा 18¹¹ (47 में से) खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा वर्दी के कपड़ों की खरीद, आपूर्ति एवं जारी किये गए सिलाई-प्रभार से सम्बंधित अभिलेखों की जांच की (जुलाई 2019 से मार्च 2020)।

⁶ चार जोड़े: जोड़ा संख्या-1 (कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए) - शर्ट व पैंट; जोड़ा संख्या-2 (कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए) - शर्ट व पैंट; जोड़ा संख्या-3 (कक्षा 1 से 5 की छात्राओं के लिए) - कुर्ती व सलवार तथा; जोड़ा संख्या-4 (कक्षा 6 से 10 की छात्राओं के लिए)- कुर्ती-सलवार व दुपट्टा।

⁷ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त।

⁸ कक्षा 1 से 5 हेतु खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/ कक्षा 6 से 12 हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

⁹ न्यूनतम एक सैट व कुल आपूर्ति जोड़ों (सैटों) का अधिकतम 0.05 प्रतिशत।

¹⁰ बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर एवं मंडी।

¹¹ बल्ह, बैजनाथ, डाडासीबा, देहरा, फतेहपुर, गोपालपुर-I, गोपालपुर-II, घुमारवीं-I, घुमारवीं-II, सदर मंडी, सुंदरनगर-I, कल्पा, सदर बिलासपुर, झंडुता, रक्कड़, ज्वाली, स्वारघाट एवं पालमपुर।

2.1.2 निधियों का उपयोग

राज्य सरकार बजट के माध्यम से वर्दी की खरीद एवं सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को संवितरित करने की योजना के क्रियान्वयन हेतु निधियां उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे वाले कक्षा 1 से 8 के छात्रों को स्कूल वर्दी उपलब्ध कराने के लिए समग्र शिक्षा अभियान¹² के तहत भारत सरकार द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।

2.1.2.1 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

राज्य बजट की निधियां हर वर्ष कोषागार से आहरित की जाती हैं तथा राज्य परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान से प्राप्त ये निधियां प्रारंभिक रूप में बचत बैंक खाते में रखी जाती हैं तथा समयावधि के दौरान संबंधित (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/ स्कूल) को त्रैमासिक आधार पर जारी की जाती हैं। 2016-20 के दौरान निधियों की कुल उपलब्धता एवं उनके उपयोग का विवरण नीचे तालिका-2.1.1 में दिया गया है :

तालिका-2.1.1: निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य बजट	बजट से आहरित नहीं की गई निधियां	बैंक खाते में उपलब्ध निधियां					उपयोग की गई निधियां	अप्रयुक्त निधियां (प्रतिशत)
			राज्य की निधियों का आहरण		विगत वर्ष का शेष	समग्र शिक्षा अभियान निधियां	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधियां		
			प्राथमिक	उच्चतर					
2016-17	42.89	0.00	32.01	10.88	4.00	20.10	66.99	63.81	03.18 (05)
2017-18	49.09	0.00	36.52	12.57	3.18	19.27	71.54	64.72	06.82 (10)
2018-19	43.00	43.00	00*	00	6.82	27.59	34.41	4.70 [#]	29.71 (86)
2019-20	55.00	5.20	36.74	13.06	29.71	27.59	107.10	79.51	27.59 (26)
कुल			105.27	36.51	-	94.55	-	212.74	-

स्त्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

* कोषागार से निधियों का आहरण नहीं किया गया।

मध्यस्थता निर्णय के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा फर्म की पिछली देयता का भुगतान किया गया।

- 2016-20 के दौरान ₹ 240.33 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों (2015-16 से शेष: ₹ 4.00 करोड़, कोषागार से आहरित राज्य की निधियां: ₹ 141.78 करोड़ एवं समग्र शिक्षा अभियान की निधियां: ₹ 94.55 करोड़) से ₹ 212.74 करोड़ उपयोग हुए तथा

¹² स्कूली शिक्षा हेतु भारत सरकार की एक समेकित योजना जिसे पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान/ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नाम दिया गया था।

मार्च 2020 तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के बचत बैंक खाते में ₹ 27.59 करोड़ का शेष जमा रहा।

- ₹ 43.00 करोड़ का प्रावधान 2018-19 के दौरान वर्दी के कपड़े की खरीद न होने के कारण उपयोग नहीं किया गया (परिच्छेद 2.1.3.2) तथा 2019-20 हेतु ₹ 5.20 करोड़ का प्रावधान मार्च 2020 तक उपयोग नहीं किया गया जो व्यपगत (लैप्स) हो गया।
- वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्त (जुलाई 2018) समग्र शिक्षा अभियान की ₹ 27.59 करोड़ निधियों का वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया (परिच्छेद-2.1.3.2)। यह राशि¹³ 2019-20 हेतु वर्दी के कपड़े की आपूर्ति के लिए जून से अगस्त 2019 में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी की गई थी। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने वर्ष 2019-20 हेतु समग्र शिक्षा अभियान की ₹ 27.59 करोड़ की निधियां (भारत सरकार से) पुनः प्राप्त (दिसम्बर 2019) की जो अप्रयुक्त रहीं।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि 2018-19 हेतु प्रावधान का उपयोग निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण नहीं किया जा सका परन्तु 2019-20 के दौरान हुई बचत के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.2.2 अग्रिमों का समायोजन न करना

अधिकृत समिति के निर्णयानुसार (फरवरी 2012), आपूर्तिकर्ताओं को वर्दी के कपड़े एवं मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को नमूना-जांच प्रभार का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाना था। निविदा प्रक्रिया एवं सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वर्दी के कपड़े की कुल लागत पर सरकार द्वारा एक प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाना था। इस प्रयोजनार्थ शिक्षा विभाग कुल भुगतान का 90 प्रतिशत अग्रिम रूप से तथा मांग-पत्र अधिकारियों से सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर आपूर्ति पूर्ण होने के पश्चात् शेष जारी करेगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2016-20 के दौरान, विभाग ने ₹ 159.04 करोड़¹⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अग्रिम रूप से जारी किए। हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अग्रिम भुगतान के आवश्यक समायोजन जून 2021 के दौरान किये गए। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दी गई जानकारी (जून 2021) के अनुसार लेखाओं को केवल 2018-19 तक ही अंतिम रूप दिया गया था एवं

¹³ जून 2019: ₹ 10.34 करोड़; जुलाई 2019: ₹ 9.18 करोड़; एवं अगस्त 2019: ₹ 8.07 करोड़।

¹⁴ 2016-17: ₹ 47.89 करोड़; 2017-18: ₹ 50.75 करोड़; एवं 2019-20: ₹ 60.40 करोड़ वर्ष 2018-19 के लिए।

केवल ₹ 54.06 लाख¹⁵ की राशि अभी तक असमायोजित थी। आगे बताया गया कि इसे आगामी आपूर्तियों में समायोजित कर लिया जायेगा तथा जैसे ही लेखाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा उन्हें शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। यह शिक्षा विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी राशि में से उसके द्वारा किये गए व्यय के विवरण/लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने में किसी भी तंत्र के अभाव को दर्शाता था।

लम्बे समय तक अग्रिमों का समायोजन न होना जन-धन के उपयोग में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा जवाबदेही तंत्र में कमी को दर्शाता है तथा अभीष्ट उद्देश्य हेतु धन का उपयोग न होने की संभावनाएं भी हैं।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) था कि वर्ष 2015-19 हेतु अंतिम लेखे हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रस्तुत किये गए परन्तु व्यय का मिलान न करने/ अग्रिम का समायोजन न करने के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.3 वर्दी के कपड़े की खरीद एवं वितरण

प्रत्येक वर्ष निदेशक, प्राथमिक शिक्षा वर्दी के कपड़े की मांग हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भेजता है। फर्म की पहचान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम विज्ञापित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से करता है जिसमें पूर्व-निर्धारित विनिर्देशानुसार मान्यता प्राप्त¹⁶ प्रयोगशालाओं (प्रेषण-पूर्व परीक्षण) से प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र एवं विश्लेषण रिपोर्ट सहित कपड़े के नमूने बोलीदाताओं द्वारा उनकी तकनीकी बोलियों के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने तथा सरकार से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम चयनित फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करता है। आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात् कपड़े के परीक्षण की एक अतिरिक्त प्रणाली (प्रेषणोत्तर-जांच) भी निर्धारित की गई है जिसमें प्रत्येक मांग-पत्र अधिकारी¹⁷ द्वारा प्राप्त बैचों से यादृच्छिक रूप से चुने गए कपड़ों के नमूने¹⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्वतंत्र रूप से परीक्षित करवाए जाते हैं। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) को भुगतान करने के लिए अग्रिम भुगतान करता है। 2016-20 के दौरान हुई कुल खरीद का विवरण तालिका-2.1.2 में दिया गया है।

¹⁵ मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अंतर्गत जो महात्मा गांधी वर्दी योजना में विलय की गई थी तथा 2018-19 से इसे अटल स्कूल वर्दी योजना का नाम दिया गया।

¹⁶ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त।

¹⁷ खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/ प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

¹⁸ न्यूनतम एक सैट व कुल आपूरित जोड़ों (सैटों) का अधिकतम 0.05 प्रतिशत।

तालिका-2.1.2: वर्दी के कपड़े की खरीद का विवरण

वर्ष	खरीदे गए वर्दी के कपड़े के जोड़ों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
2016-17	8,97,420	48.02
2017-18	8,75,008	48.99
2018-19	निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण वर्दी का कपड़ा नहीं खरीदा गया।	
2019-20	8,30,945	57.89
योग	26,03,373	154.90

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

2.1.3.1 खरीद प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अभाव एवं पूर्ण करने में विलम्ब

राज्य सरकार की अधिसूचना (जनवरी 2012) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिए जाने वाले कपड़े की मात्रा, विशिष्टता, डिज़ाइन, रंग एवं व्यवस्था प्रभार की राशि का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार थी। यह हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत भी करेगी। राज्य सरकार ने विगत सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए योजना के संचालन एवं निगरानी हेतु एक अधिकृत समिति (समिति) का गठन किया (सितम्बर 2014)। समिति से योजना के कार्यान्वयन हेतु विनिर्देशों, डिज़ाइन, रंग पर अंतिम निर्णय लेना, व्यवस्था-प्रभार नियत करना इत्यादि तथा आवश्यकतानुसार बैठक करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त समिति से वर्दी सामग्री की समयबद्ध सुपूर्दगी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना अपेक्षित था। तथापि, विद्यार्थियों को वर्दी के कपड़े का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूर्ण करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आदर्शतः हर वर्ष अप्रैल में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यद्यपि, किसी निर्धारित समय-सीमा के अभाव में यह देखा गया कि 2016-19 के दौरान हर वर्ष खरीद प्रक्रिया को पूर्ण करने में एक से 12 माह का विलम्ब हुआ था (विवरण परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है)। प्रत्येक वर्ष में हुए विलम्ब के संक्षिप्त कारण नीचे बताये गए हैं:

- **2016-17-** हालांकि वर्दी के कपड़े की विशिष्टता, डिज़ाइन, रंग इत्यादि पर अंतिम निर्णय मार्च 2016 के मध्य तक ले लिया गया था, 2016-18 की दो वर्ष की अवधि हेतु निविदाओं पर जून 2016 के प्रारम्भ तक अंतिम निर्णय लिया जा सका। आपूर्ति आदेश सरकारी मंजूरी प्राप्त होने के उपरांत जून¹⁹/ अगस्त²⁰ 2016 में जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2016 में सत्र प्रारंभ होने से दो से चार माह का विलम्ब हुआ।

¹⁹ कक्षा 1 से 10

²⁰ कक्षा 11 और 12

- **2017-18-** यद्यपि इस वर्ष हेतु निविदाओं पर पूर्ववर्ती वर्ष (जून 2016) में अंतिम निर्णय लिया जा चुका था, आपूर्ति आदेश मई 2017 में मांग प्राप्त होने के उपरांत जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2017 में सत्र आरम्भ होने से एक माह का विलम्ब हुआ।
- **2018-19-** 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने वर्दी के डिजाइन की मंजूरी सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् प्रदान की (मई 2018)। 2018-20 की दो वर्ष की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदाओं पर अंतिम निर्णय लेने के पश्चात् मामला सरकार को मंजूरी हेतु भेजा गया (अगस्त 2018)। दिसम्बर 2018 में निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी गईं तथा 2019-21 के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गईं। यह वर्दी के कपड़े की खरीद/ वितरण न होने में परिणत हुआ तथा 2018-19 के सत्र के दौरान विद्यार्थी निःशुल्क वर्दी के कपड़े से वंचित रहे।

सरकार ने अपने उत्तर में (अगस्त 2021) तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि खरीद प्रक्रिया में हुआ विलम्ब जानबूझ कर नहीं वरन विभिन्न प्रशासनिक कारणों से हुआ था।

2.1.3.2 वर्दी के कपड़े के वितरण में विलम्ब

खरीद प्रक्रिया समय पर पूर्ण न होने के कारण 2018-19 के दौरान वर्दी के कपड़े की खरीद एवं विद्यार्थियों को वितरित नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, वितरण समय पर विचार न करने के कारण वर्दी के कपड़े की वास्तविक प्राप्ति में और भी विलंब हुआ। 2016-18 व 2019-20 के दौरान सत्र प्रारंभ की तिथि 01 अप्रैल से वर्दी का कपड़ा दो से 12 माह से अधिक के विलम्ब के पश्चात् वितरित किया गया, जैसा कि तालिका-2.1.3 में विवर्णित है:

तालिका-2.1.3: वर्दी के कपड़े की आपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सत्र प्रारंभ होने की तिथि	आपूर्ति की अवधि	आपूर्ति की देय तिथि से लिया गया समय	खरीदे गए जोड़ों की संख्या	मूल्य
2016-17	01 अप्रैल 2016	12 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 (कक्षा 1 से 10)	03 से 11 माह से अधिक	7,17,696	37.06
		05 सितंबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 (कक्षा-11-12)	05 से 12 माह से अधिक	1,79,724	10.96
2017-18	01 अप्रैल 2017	16 जून 2017 से 03 नवंबर 2017 (कक्षा 1 से 10)	02 से 07 माह से अधिक	6,97,959	37.64
		16 अगस्त 2017 से 10 अक्टूबर 2017 (कक्षा- 11-12)	04 से 06 माह से अधिक	1,77,049	11.35
2018-19	01 अप्रैल 2018	निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण विद्यार्थियों को वर्दी का कपड़ा प्रदान नहीं किया गया			
2019-20	01 अप्रैल 2019	26 अगस्त 2019 से 01 अक्टूबर 2019 (कक्षा- 1-12)	04 से 06 माह से अधिक	8,30,945	57.89

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

इस प्रकार, 2016-20 के दौरान किसी भी वर्ष में वर्दी के कपड़े की आपूर्ति अप्रैल के आरम्भ में सुनिश्चित नहीं की गई, जिससे स्कूल के विद्यार्थी एक से 16 माह की अवधि तक वर्दी के नए कपड़े से वंचित रहे जिसमें 2018-19 की 12 माह की अवधि भी शामिल है जब किसी प्रकार की वर्दी का कपड़ा खरीदा एवं वितरित नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि 2018-19 के दौरान ई-निविदाएं प्रशासनिक कारणों से समय से अनुमोदित नहीं हो सकी थीं। आगे यह बताया गया कि स्कूल की वर्दी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रेषणोत्तर यादृच्छिक नमूना परीक्षण की प्राप्ति के बाद वर्दी विद्यार्थियों में वितरित करने का निर्णय लिया गया था जिसमें प्रयोगशाला द्वारा बहुत समय लिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 2019-20 से पूर्व प्रेषणोत्तर परीक्षण वर्दी के कपड़े के वितरण के बाद किया जा रहा था।

2.1.3.3 विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का भुगतान

राज्य सरकार के निर्देशानुसार (जून 2012), प्रति वर्ष कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के कपड़े की प्रति इकाई पर ₹ 100 की दर से सिलाई-प्रभार दिया जाता है। 2016-18 के दौरान निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने राज्य के सभी विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार देने के लिए कोषागार से हर वर्ष राशि का आहरण किया तथा तत्पश्चात उसे उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं उप-निदेशक, उच्चतर शिक्षा को, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/ प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे संवितरित करने के लिए जारी किया। वर्ष 2019-20 में खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों/ प्रधानाचार्यों को बजट के आवंटन द्वारा विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार संवितरित किया गया।

विभाग ने 2016-20 के दौरान विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार जारी करने के लिए कोई समय-सारणी निर्धारित नहीं की थी। विभागीय प्राधिकारियों ने समयबद्ध रूप से विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का संवितरण सुनिश्चित नहीं किया जो निम्नलिखित उप-परिच्छेदों में दर्शाया गया है:

(i) सिलाई-प्रभार के संवितरण में लिया गया समय

- (क) 2018-19 के दौरान विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि इस वर्ष स्कूल वर्दी के कपड़े की खरीद एवं वितरण नहीं हुआ।
- (ख) 2016-18 एवं 2019-20 के दौरान-
- शैक्षणिक सत्र के आरम्भ से (01 अप्रैल) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने जिलों को निधियां जारी करने/ आवंटित करने में तीन से चार माह का समय लिया।
 - 2016-20 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने सिलाई-प्रभार की राशि को आगे खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को जारी करने में निदेशक,

प्राथमिक शिक्षा से निधियों की प्राप्ति की तिथि से चार से 156²¹ दिनों का समय लिया। इसी भांति नमूना-जांचित 14²² (18 में से) खण्डों²³ में, सम्बंधित खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से निधियों की प्राप्ति की तिथि से छः से 214 दिनों का समय लेते हुए सिलाई-प्रभार की राशि को आगे जारी किया। 2016-18 एवं 2019-20 के दौरान इन नमूना-जांचित जिलों व खण्डों द्वारा सिलाई-प्रभार जारी करने/ संवितरण में लिए गए समय का विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है।

(ii) विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का संवितरण न होना

नमूना-जांचित 18 खण्डों में से मंडी जिले में दो (चार में से) खण्डों (बल्हः 24 व गोपालपुर-II: 23) में 47 विद्यार्थियों एवं बिलासपुर जिले के सदर खण्ड (चार में से) में 153 विद्यार्थियों को क्रमशः 2016-17 व 2017-18 के दौरान सिलाई-प्रभार नहीं दिया गया।

इस प्रकार, सम्मिलित की गई अवधि के दौरान विभागीय प्राधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का भुगतान समयबद्ध ढंग से जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, तीन खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सिलाई प्रभारों का भुगतान न करने के कारण सम्बंधित विद्यार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रह गए।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि बजट सीधे सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किया जाए। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट सीधे वितरित करने (2019-20) के पश्चात् भी 40 से 214 दिनों का विलम्ब हुआ था।

2.1.4 वर्दी के कपड़े के नमूनों का परीक्षण एवं शिकायतों का निवारण

2.1.4.1 निविदा आमंत्रित किए बिना परीक्षण का कार्य प्रदान करना

राज्य वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि सामान की खरीद के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के साथ मितव्ययिता एवं दक्षता से सार्वजनिक खरीद करने का उत्तरदायी होगा। ₹ 10.00 लाख या उससे अधिक अनुमानित मूल्य की खरीद विज्ञापित निविदा प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

²¹ बिलासपुर: 21 से 49 दिन; कांगड़ा: 69 से 156 दिन और किन्नौर: चार से 28 दिन।

²² नमूना-जांचित चार खण्डों (कल्पा, झंडुता, रक्कड़ व सुंदरनगर-I) ने 2016-18 व 2019-20 हेतु सिलाई-प्रभार के आंकड़े प्रदान नहीं किए।

²³ बल्ह, बैजनाथ, डाडासीबा, देहरा, फतेहपुर, गोपालपुर-I, गोपालपुर-II, घुमारवीं-I, घुमारवीं-II, सदर मंडी, सदर बिलासपुर, ज्वाली, स्वारघाट व पालमपुर।

- अधिकृत समिति ने नमूनों के पूर्व एवं प्रेषणोत्तर परीक्षण दोनों कार्य को बिना किसी निविदा प्रक्रिया को अपनाए मैसर्स श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली को देने का निर्णय (मार्च 2016) इस आधार पर लिया कि यह एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला थी एवं निष्पक्ष परीक्षण में उसकी साख थी; ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार अभिलेख में नहीं था।
- अधिकृत समिति ने प्रेषण-पूर्व परीक्षण (वर्दी के कपड़े की आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जाना था) करने वाली प्रयोगशाला (मैसर्स श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली) को प्रेषणोत्तर परीक्षण (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाना था) का कार्य प्रदान करने से स्पष्ट हितों को टकराव को भी नजरअंदाज किया था।

यह बिंदु 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के परिच्छेद संख्या 3.3) में भी उल्लिखित किया गया था जिसमें 2015-18 में निविदा-प्रक्रिया के कारण ₹ 1.62 करोड़ के अनियमित व्यय को इंगित किया गया था। तथापि, समान अनियमितता 2019-20 में जारी रही। इस प्रकार 2019-20 के दौरान (2018-19 के दौरान वर्दी के कपड़े की आपूर्ति न होने के कारण कोई व्यय नहीं हुआ) वर्दी के कपड़े के नमूने के परीक्षण का कार्य निविदाएं आमंत्रित किये बिना उसी प्रयोगशाला को प्रदान करना राज्य के वित्तीय नियमों का उल्लंघन था जो ₹ 1.73 करोड़ के अनियमित व्यय के अतिरिक्त प्रयोगशाला को अनुचित लाभ देने में परिणत हुआ।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि अधिकृत समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली से स्कूल की वर्दी का परीक्षण कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा उस प्रयोगशाला विशेष को चुनने का कोई कारण अभिलेख में नहीं था।

2.1.4.2 नमूनों का परीक्षण किए बिना वर्दी के कपड़े का वितरण

खरीद की अधिकृत समिति के निर्णयानुसार (मार्च 2016 एवं फरवरी 2018) 2016-18 के दौरान फर्म से वर्दी के कपड़े की प्राप्ति के उपरांत प्रत्येक मांग-पत्र अधिकारी (खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/ प्रधानाचार्य) से वर्दी के कपड़े की दो जोड़ी हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को परीक्षण हेतु भेजनी अपेक्षित थी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण वर्दी का कपड़ा दिया जा रहा है, नमूने का विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाएगा। इसके अतिरिक्त, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निर्देशानुसार (अगस्त 2018 व अगस्त 2019 के मध्य) वर्दी का

कपड़ा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से अनुमोदित फर्म से प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) **वर्दी के कपड़े के नमूनों के परीक्षण हेतु समय-सारणी का न होना-** 2016-18 के दौरान विभाग ने मांग-पत्र अधिकारियों द्वारा वर्दी के कपड़े के नमूने प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजने तथा उसके पश्चात् विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। नमूना-जांचित 13²⁴ (18 में से) खण्डों में 2016-18 के दौरान खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वर्दी के कपड़े के नमूने भेजने में 30 से 270 दिनों का समय लिया था। सम्बंधित प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किये गए नमूनों की आवश्यक रिपोर्टें भी खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थीं। यह दर्शाता है कि खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों ने बिना किसी नमूना परीक्षण रिपोर्ट के वर्दी का कपड़ा वितरित किया था।

(ii) **नमूना विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना वर्दी के कपड़े का वितरण-** 2019-20 के दौरान किन्नौर जिले में खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा नमूनों को प्रयोगशाला परीक्षण में भेजे बिना वर्दी का कपड़ा विद्यार्थियों को वितरित किया गया। इसी भांति, मंडी²⁵ व कांगड़ा²⁶ जिलों के नमूना-जांचित खण्डों में 2019-20 के दौरान खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों ने परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना विद्यार्थियों को वर्दी के कपड़े का वितरण किया।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि वर्दी के कपड़े के नमूने भेजने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त परीक्षण हेतु नमूने भेजने में विलम्ब के सम्बन्ध में यह बताया गया कि क्योंकि कुछ स्कूल मुश्किल (दुरूह) एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं इसलिए विलम्ब हुआ तथा 2019-20 के दौरान नमूने न भेजने के लिए यह बताया गया कि सम्बंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूने भेजने के लिए समय-सीमा वर्ष 2019-20 में निर्धारित थी तथा वर्ष 2016-18 हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

अतएव, विभागीय निर्देशों के उल्लंघन में वर्दी के कपड़े के नमूनों का परीक्षण किए बिना अथवा परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना विद्यार्थियों को वितरित किए गए थे जिससे नमूनों के प्रेषणोत्तर परीक्षण का उद्देश्य निष्फल रहा। इस संदर्भ में यह विशेष रूप से

²⁴ बल्ह, डाडासीबा, देहरा, फतेहपुर, गोपालपुर-I, गोपालपुर-II, घुमारवीं-I, घुमारवीं-II, सदर बिलासपुर, सुंदरनगर-I, ज्वाली, स्वारघाट व पालमपुर।

²⁵ बल्ह व गोपालपुर-II

²⁶ डाडासीबा व पालमपुर।

उल्लेखनीय है कि अन्य बातों के साथ निविदा दस्तावेज यह प्रावधान करता है कि परीक्षण के पश्चात् नमूने का विनिर्देशों से कम स्तर का पाए जाने की स्थिति में ऐसी आपूर्ति सामग्री की लागत निविदाकर्ता से वसूली जाए। साथ ही, यह शास्ति खण्ड को अनावश्यक बना देता है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से पता चलता है।

2013-15 में, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान विनिर्दिष्ट मानकों से कम गुणवत्तापूर्ण वर्दी के कपड़े के 150 बैचों की आपूर्ति करने के लिए फर्मों पर ₹ 6.04 करोड़ की शास्ति लगाई थी। हालांकि, मामला मध्यस्थता में चला गया तथा मध्यस्थ ने इस आधार पर शास्ति रद्द कर दी (जून 2017) कि पहले से ही उपभोग की गई सामग्री पर आपूर्तिकर्ता 'माल की बिक्री, अधिनियम 1930 की धारा 16 (2) की शर्तानुसार शास्ति का उत्तरदायी नहीं है। स्पष्ट है, नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना वर्दी के कपड़े के वितरण के कारण शास्ति खंड को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सका तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम परीक्षण में विफल नमूनों की आपूर्ति पर शास्ति लगाने में विफल रहा।

2.1.4.3 स्कूल वर्दी के कपड़े की खराब गुणवत्ता से सम्बंधित शिकायतों का निवारण

वर्ष 2018-19 हेतु वर्दी के कपड़े को 2019-20 के दौरान विद्यार्थियों को वितरित किया गया। 2019-20 के दौरान वर्दी के कपड़े के 8,30,945 जोड़ों की आपूर्ति के लिए चयनित फर्म²⁷ को ₹ 57.89 करोड़ में वर्दी के कपड़े की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश दिए गए (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को हेल्पलाइन/ खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से खराब गुणवत्ता के स्कूल वर्दी के कपड़े की आपूर्ति के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.4 में वर्णित है।

यद्यपि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने सम्बंधित जिलों के उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को शिकायतें अग्रेषित की तथापि उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा की गई कार्रवाई 13 से 15 माह समाप्त होने के पश्चात् भी निदेशक, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रतीक्षित थी। इस प्रकार, विभाग शिकायतों का निवारण करने में गंभीर नहीं था।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि मामले की जांच सम्बंधित उप-निदेशकों द्वारा की गई थी तथा रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अग्रेषित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जांच रिपोर्ट की प्रतियां भेजी नहीं गई थी तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने बताया (12 अगस्त 2021) कि उप-निदेशकों की जांच रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित थी। इस प्रकार, विभाग शिकायतों का निवारण करने में गंभीर नहीं था।

²⁷ मैसर्स मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई।

2.1.5 स्कूल वर्दी के कपड़े की निगरानी

राज्य सरकार ने योजना के संचालन एवं निगरानी के लिए एक अधिकृत समिति का गठन किया (सितम्बर 2014) जिसमें इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधान सचिव (शिक्षा), पांच अन्य सदस्य तथा इसके सचिव सदस्य में रूप में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा सम्मिलित थे। समिति से वर्दी के कपड़ों की समयबद्ध सुपुर्दगी हेतु आवश्यक कदम उठाना भी अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- यद्यपि 2016-20 के दौरान समिति की 11 बैठकें आयोजित की गई थीं, इसमें से किसी भी बैठक में वर्दी के कपड़े की एवं विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार की समयबद्ध सुपुर्दगी तथा गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु उपायों पर चर्चा नहीं की गई थी। यह अधिकृत समिति द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी में कमी को दर्शाता था।
- निदेशालय/ जिला/ खण्ड स्तर पर योजना की प्रभावी निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं पाया गया (आवधिक बैठकें, रिपोर्टिंग, निरीक्षण, इत्यादि)।

विभिन्न स्तरों पर निगरानी का अभाव योजना के कार्यान्वयन में कमियों/ चूकों में परिणत हुआ जो पूर्ववर्ती परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

2.1.6 निष्कर्ष

सरकार हर वर्ष सत्र के आरम्भ में गुणवत्तापूर्ण वर्दी का कपड़ा उपलब्ध करवाने की उसकी प्रतिबद्धता के अनुसार योजना बनाने तथा पूरा करने में असमर्थ रही। विभाग ने खरीद प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की। प्रत्येक वर्ष खरीद प्रक्रिया पूर्ण करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2016-18 एवं 2019-20 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी के कपड़े के वितरण में विलम्ब हुआ तथा 2018-19 के दौरान वर्दी के कपड़े की खरीद नहीं हुई। विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप में सिलाई-प्रभार जारी नहीं किए गए, जिससे विद्यार्थियों को सिले हुए वर्दी के कपड़े की वास्तविक उपलब्धता में और विलम्ब हुआ। कपड़े के प्रेषणोत्तर परीक्षण से सम्बंधित कार्य बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, नमूना विश्लेषण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना वर्दी के कपड़े के वितरण के कारण विनिर्देशों से कम गुणवत्तापूर्ण वर्दी के कपड़े की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध शास्ति खंड को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सका तथा खरीद एजेंसी परीक्षण में विफल नमूनों के लिए आपूर्तिकर्ता पर शास्ति नहीं लगा सकी।

2.1.7 सिफारिशें

सरकार विचार करे कि:

- खरीद-प्रक्रिया, जिसमें सुपुर्दगी एवं परीक्षण अवधि भी शामिल हैं, के प्रत्येक चरण हेतु समय-सारणी बनाएं एवं अधिसूचित करें ताकि प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विद्यार्थियों को वर्दी के कपड़े का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्दी के कपड़े की आपूर्ति के तुरन्त बाद विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का संवितरण सुनिश्चित करें ताकि वर्दी के कपड़े की समय पर सिलाई की सुविधा दी जा सके।
- वर्दी के कपड़े के नमूनों का परीक्षण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करें तथा प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विद्यार्थियों को वर्दी के कपड़े का वितरण करें ताकि गुणवत्तापूर्ण वर्दी के कपड़े की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- वर्दी के कपड़े की खरीद एवं आपूर्ति प्रक्रिया की निगरानी तथा शिकायतों के समयबद्ध ढंग से निवारण हेतु उचित तंत्र तैयार करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.2 ट्रॉमा केन्द्रों के पूर्ण न होने/ कार्य न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन

विभाग ₹ 10.61 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी पांच अस्पतालों में परिकल्पित ट्रॉमा केन्द्रों को स्थापित करने में विफल रहा। इन अस्पताल प्राधिकारियों के पास ₹ 7.81 करोड़ की निधियां 30 से 57 माह तक अवरुद्ध रही।

केंद्र प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं के विकास हेतु क्षमता निर्माण' के अंतर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल आपातकालीन सेवा हेतु ट्रॉमा केन्द्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध करती है।

भारत सरकार ने टांडा, चंबा, हमीरपुर, मंडी व रामपुर स्थित राज्य के पांच अस्पतालों²⁸ में ट्रॉमा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण के लिए ₹ 30.04 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹ 27.04 करोड़ एवं राज्यांश: ₹ 3.00 करोड़) संस्वीकृत (अक्टूबर 2015) किए तथा राज्य सरकार को प्रथम किस्त के रूप में ₹ 17.09 करोड़²⁹ का अपना अंश जारी किया

²⁸ डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा: ₹ 10.27 करोड़; जिला अस्पताल, चंबा; क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर; जोनल अस्पताल, मंडी; एवं महात्मा गाँधी चिकित्सा सेवा केंद्र (एमजीएमएससी), रामपुर: ₹ 4.942 करोड़ प्रत्येक।

²⁹ डॉ. आरपीजीएमसी टांडा: ₹ 6.07 करोड़; तथा अन्य चार अस्पताल: ₹ 2.754 करोड़ प्रत्येक।

(अक्टूबर 2015); भारत सरकार द्वारा निधियों को (क) राज्य के उसके 10 प्रतिशत अंश जारी करने के दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करने तथा (ख) निर्माण की प्रगति व उपकरणों की खरीद, के पश्चात् जारी करना था। भारत सरकार से निधियां जारी होने के डेढ़ वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होना था तथा दो वर्ष के भीतर उपकरणों की प्रतिस्थापना होनी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019) तथा सम्बंधित अस्पताल प्राधिकारियों से एकत्रित जानकारी (जून 2019 व फरवरी 2021 के मध्य) से उजागर हुआ कि ट्रॉमा केयर सुविधाओं की स्थापना व सुदृढीकरण का कार्य परिकल्पनानुसार पूर्ण नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2016 में चार अस्पतालों (चंबा, हमीरपुर, मंडी व रामपुर) तथा मार्च 2017 में एक अस्पताल (टांडा) में सिविल कार्यों (₹ 4.45 करोड़) एवं उपकरणों की खरीद व प्रतिस्थापना (₹ 12.64 करोड़) सहित, ₹ 17.09 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति अर्थात् भारत सरकार से प्रथम किश्त प्राप्त होने से क्रमशः आठ से 16 माह के विलम्ब के पश्चात् प्रदान की गई।

राज्य सरकार को टांडा, चंबा, मंडी, हमीरपुर एवं रामपुर स्थित पांच अस्पतालों के सम्बन्ध में ₹ 1.90 करोड़ का कुल राज्यांश (₹ 17.09 करोड़ के भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अंश के प्रति 10 प्रतिशत का मिलान अंश) जारी करना आवश्यक था। यह देखा गया कि यद्यपि राज्य सरकार ने टांडा (मार्च 2018: ₹ 0.67 करोड़) एवं रामपुर (मार्च 2019: ₹ 0.66 करोड़) स्थित अस्पतालों के लिए ₹ 1.33 करोड़ जारी किए थे तथापि जुलाई 2020 तक चंबा, हमीरपुर एवं मंडी स्थित अस्पतालों के सम्बन्ध में ₹ 0.92 करोड़ का राज्यांश जारी नहीं किया गया था। अस्पताल-वार आवंटन एवं उन्हें जारी करने का विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दर्शाया गया है।

चंबा, हमीरपुर, मंडी, रामपुर एवं टांडा स्थित पांच अस्पतालों के प्राधिकारियों ने सिविल कार्यों हेतु कोषागार से ₹ 5.25 करोड़ की निधियां आहरित की थी (सितम्बर 2016 व मार्च 2019 के मध्य) परन्तु समर्पित ट्रॉमा केन्द्रों के निर्माण के सिविल कार्य को प्रारंभ करने या पूर्ण करने में असमर्थ थे जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

चंबा एवं हमीरपुर में स्थल पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ, मंडी में स्थान परिवर्तित किया गया, रामपुर में स्थल पर वृक्षों को हटाने में विलम्ब हुआ तथा टांडा में कार्य के निष्पादन में विलम्ब हुआ। अस्पताल प्राधिकारियों/ कार्यकारी एजेंसियों के पास ₹ 1.98 करोड़³⁰ की राशि 30 से 57 माह तक अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त, कार्यों के अपूर्ण निष्पादन के कारण तीन

³⁰ चंबा: ₹ 36.62 लाख; हमीरपुर: ₹ 76.42 लाख; रामपुर: ₹ 28.07 लाख; एवं मंडी: ₹ 57.29 लाख।

अस्पतालों में सिविल कार्यों पर व्यय की गई ₹ 2.78 करोड़³¹ की राशि अवरुद्ध रही। सिविल कार्यों के निष्पादन का विवरण **परिशिष्ट-2.6** में दर्शाया गया है।

परिणामस्वरूप, चूंकि सिविल कार्य या तो प्रारंभ नहीं किए गए अथवा पूर्ण नहीं किए गए, अतः रामपुर में उपकरणों की खरीद नहीं हुई; हमीरपुर, चंबा एवं मंडी में ₹ 3.62 करोड़ मूल्य के उपकरण अस्पताल के अन्य वार्डों में स्थानांतरित किए गए तथा टांडा में ₹ 2.52 करोड़ मूल्य के उपकरण प्रतिस्थापित नहीं किए गए। तीन अस्पताल प्राधिकारियों के पास ₹ 5.83 करोड़³² की राशि 30 से 57 माह तक अवरुद्ध रही। उपकरणों की खरीद एवं प्रतिस्थापन का विवरण **परिशिष्ट-2.6** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार सिविल कार्यों एवं उपकरणों की खरीद पर ₹ 10.61 करोड़ का व्यय करने तथा अस्पताल प्राधिकारियों के पास ₹ 7.81 करोड़ की राशि होने के पश्चात भी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति में विलम्ब होने; कार्य-स्थल पर अंतिम निर्णय न होने, स्थान परिवर्तन एवं उसके बाद कार्य-स्थल से वृक्षों को हटाने में विलम्ब के कारण सिविल कार्यों का निष्पादन न होने तथा कार्य के निष्पादन में विलम्ब जैसे कारणों के चलते सिविल कार्य पूर्ण नहीं होने; उपकरणों की खरीद, स्थानांतरण अथवा प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण चंबा, हमीरपुर, मंडी, रामपुर एवं टांडा में स्थित पांच अस्पतालों में से किसी में भी ट्रॉमा केयर सुविधाएं भारत सरकार द्वारा निधियों की संस्वीकृति के छः वर्षों से अधिक समय तक की अवधि के बाद भी परिचालित नहीं की जा सकी।

रामपुर के मामले में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (सितम्बर 2021) कि सिविल कार्य प्रगति पर था एवं सिविल कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपकरणों की खरीद की जाएगी। चंबा एवं मंडी स्थित अस्पतालों के मामले में अस्पताल प्रभारी ने बताया (अप्रैल/ जून 2021) कि खरीदे गए उपकरण पहले से मौजूद कैजुअल्टी/ आपातकालीन वार्डों में स्थापित किए गए थे जिनमें रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही थीं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष फरवरी 2021 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। सचिव (स्वास्थ्य) ने बताया (सितम्बर 2021) कि टांडा के मामले में 95 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण हो चुका था तथा उपकरणों की खरीद प्रगति पर थी। हालांकि अन्य ट्रॉमा केयर केन्द्रों के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

सिफारिश: सरकार अभीष्ट उद्देश्यों हेतु ट्रॉमा केन्द्रों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ट्रॉमा केन्द्रों हेतु बाधा रहित स्थल की उपलब्धता एवं सिविल कार्य पूर्ण करने व उपकरणों की खरीद प्राथमिकता आधार पर सुनिश्चित करने पर विचार करें।

³¹ रामपुर: ₹ 118.93 लाख; मंडी: ₹ 23.71 लाख; एवं टांडा: ₹ 135.00 लाख।

³² हमीरपुर: ₹ 100.12 लाख; रामपुर: ₹ 194.40 लाख; एवं टांडा: ₹ 288.32 लाख।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

2.3 परित्यक्त सड़क कार्य पर निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

योजना में विफलता, समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने में देरी एवं विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में देरी के कारण परित्यक्त सड़क कार्य पर ₹ 2.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। उच्च दर मद के अनधिकृत निष्पादन के कारण ठेकेदार को ₹ 0.53 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, इसके अतिरिक्त लोग अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु, "स्वारघाट फकरेड कोहला डुंगीप्लेट लुहानी झिंगरी सड़क³³ का निर्माण" ₹ 5.97 करोड़ में नाबार्ड³⁴ ऋण के अंतर्गत स्वीकृत (दिसम्बर 2011) किया गया एवं इसे डेढ़ वर्ष के भीतर (अर्थात् जून 2013) पूरा करने की योजना बनाई गई थी। विभाग द्वारा कार्य की कम की गई मात्रा के लिए ₹ 4.33 करोड़³⁵ का कार्य प्राक्कलन अनुमोदित (दिसंबर 2015) किया गया एवं कार्य एक ठेकेदार को ₹ 3.68 करोड़ (निविदा में रखी गई राशि से 15.18 प्रतिशत कम) में 2 वर्षों में (मई 2018) पूरा करने हेतु सौंपा (मई 2016) गया।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग मंडल, नालागढ़ के अभिलेखों की नवंबर 2019 में जांच से निम्नलिखित उजागर हुआ:

क. वन भूमि के अपवर्तन हेतु 'अंतिम अनुमोदन' प्राप्त करने में विलम्ब -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नालागढ़ मंडल ने नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि-XVII ऋण के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु वन भूमि अपवर्तन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से मई 2010 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त किया। हालांकि, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत मंत्रालय द्वारा 'अंतिम अनुमोदन' दिए जाने तक वन भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी थी। यह 'अंतिम अनुमोदन' निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन था :

क. क्षतिपूरक वनीकरण की लागत एवं अपवर्तन की जा रही वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य जमा करना

³³ 11.640 किमी. की कुल लम्बाई, सड़क दूरी 0/0 से 11/640

³⁴ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ-XVII)।

³⁵ कार्य प्राक्कलन की राशि नाबार्ड ऋण के अंतर्गत अनुमोदन से कम थी क्योंकि विभाग ने कार्य प्राक्कलन वृद्धि प्रभार एवं आकस्मिक प्रभार के बिना तैयार किया और अनुप्रस्थ निकास (क्रॉस ड्रेनेज) कार्य (आरसीसी स्लैब पुलिया एवं ह्यूम पाइप पुलिया) के दायरे को भी कम कर दिया।

ख. कलेक्टर-सह-जिला आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कि 'प्रस्तावित भूमि के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कोई दावा मौजूद नहीं है'

ग. आवश्यकता उत्पन्न होने पर निवल वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने हेतु सहमत होने की वचनबद्धता।

यह देखा गया कि मंडल ने अगस्त 2011 में क्षतिपूरक वनीकरण एवं निवल वर्तमान मूल्य की लागत जमा की, एवं मई 2015 में वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान करने की वचनबद्धता प्रस्तुत की। मंडल द्वारा पांच साल की इस देरी के परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अंतिम अनुमोदन (नवंबर 2015) प्राप्त करने में देरी हुई जिसके कारण कार्य आबंटन में विलम्ब हुआ।

अधिशासी अभियंता ने कहा (मार्च 2021) कि राजस्व विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उठाए गए प्रश्नों के कारण देरी हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने क्षतिपूरक वनीकरण एवं निवल वर्तमान मूल्य राशि एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद जमा की एवं जनवरी 2013 में अर्थात् 'सैद्धांतिक अनुमोदन' से ढाई साल से अधिक की देरी के बाद राजस्व विभाग को वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

ख. खराब योजना के कारण हुई देरी के कारण कार्य का परित्याग-

1. एक समान दर पर कार्य का आबंटन- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में, मंडल ने फॉर्मेशन कटिंग हेतु तीन अलग-अलग दरों³⁶ पर मिट्टी/ चट्टानों के तीन वर्गीकरण किए। हालांकि, उपरोक्त वर्गीकरण निविदा दस्तावेज में नहीं किया गया एवं 1,88,940.60 घन मीटर की मात्रा के उत्खनन कार्य के लिए केवल एक मद शीर्षक 'पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कार्य में सभी ऊंचाई एवं गहराई में खुदाई, जिसमें सभी प्रकार की मिट्टी, साधारण चट्टान या विस्फोट द्वारा मिट्टी काटने समेत कठोर चट्टान' शामिल की गई थी। फॉर्मेशन कटिंग के दौरान विस्फोट की आवश्यकता वाली चट्टान की मात्रा हेतु निविदा में कोई पृथक अनुमान नहीं दिया गया था। ठेकेदार ने उत्खनन कार्य हेतु ₹ 64 प्रति घन मीटर की एक समान दर उद्धृत की एवं कार्य उसी दर पर मिट्टी के किसी भी वर्गीकरण के बिना उसे सौंपा गया। इस प्रकार, ठेकेदार को कठोर

³⁶ मिट्टी में उत्खनन के लिए ₹ 84.95 प्रति घन मीटर (45,724.24 घन मीटर); चट्टान जिसमें विस्फोटन की आवश्यकता नहीं है के लिए ₹ 134.45 प्रति घन मीटर (45,724.24 घन मीटर); विस्फोटन की आवश्यकता वाली चट्टान के लिए ₹ 212 प्रति घन मीटर (81,724.63 घन मीटर)।

चट्टान की मात्रा जिसका उत्खनन होना था, के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे ठेकेदार के लिए एक समान दर पर कार्य करना संभव न होने का जोखिम था।

2. विस्फोटक सामग्री प्रदान करने में विलम्ब- विस्फोटन कार्य के लिए, संविदा अनुबंध के खंड 10 में विनिर्दिष्ट था कि विस्फोटक सामग्री³⁷ की आपूर्ति नालागढ़ मंडल द्वारा उसके नालागढ़ में स्थित लोक निर्माण विभाग भंडार से की जाएगी। हालांकि, मंडल के पास विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने का कोई साधन नहीं था क्योंकि उसके पास विस्फोटक सामग्री के भंडारण हेतु कोई मैगज़ीन³⁸ नहीं थी। प्रमुख अभियंता ने सभी मुख्य अभियंताओं (जुलाई 2016) को लिखे गए पत्र में, पूर्व में जारी निर्देशों³⁹ को दोहराया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोक निर्माण विभाग मंडल पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना अगस्त 2015 के तहत अनिवार्य विस्फोटक मैगज़ीन, लाइसेंस प्राप्त ब्लास्ट मैन/ शॉट फायरर्स एवं लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक वैनों से लैस रहें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि मंडलों को ब्लास्ट मैन/ शॉट फायरर हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के मामले को उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के साथ जल्द से जल्द उठाना चाहिए। हालांकि प्रमुख अभियंता द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। 2017-18 के दौरान नालागढ़ मंडल आस-पास के मंडलों के साथ मामले को उठाने के लिए मजबूर हो गया, एवं अंततः मई 2018 में पड़ोसी बिलासपुर मंडल से विस्फोटक सामग्री प्राप्त कर सका। उसके बाद, ठेकेदार ने जून 2018 में एक कुशल ब्लास्ट मैन की व्यवस्था की एवं विस्फोटन का कार्य जुलाई 2018 में ही शुरू हो पाया।

3. विस्फोटन के दौरान आने वाली कठिनाइयों के कारण कार्य का परित्याग- एक बार जब विस्फोटक प्रदान कर दिए गए एवं लाइसेंस प्राप्त ब्लास्ट मैन की व्यवस्था हो गई, तो विस्फोटन का कार्य बहुत ही कम समयावधि के लिए, केवल अक्टूबर 2018 तक किया जा सका। अधीक्षण अभियंता के साथ पत्राचार में अधिशासी अभियंता ने कहा (मार्च 2020) कि अधिकांश सड़क बहुत कठोर चट्टान से होकर गुजरती थी, जिसके लिए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की आवश्यकता थी एवं सामग्री की दुलाई (वैन को किराए पर लेना) की लागत अधिक थी। इन कठिनाइयों के कारण ठेकेदार ने अप्रैल 2019 में उत्खनन कार्य बंद कर दिया एवं मशीनरी और मजदूरों को कार्य स्थल से स्थानांतरित कर दिया।

ठेकेदार को सभी प्रकार की मिट्टी/ चट्टान में फॉर्मेशन कटिंग हेतु एकसमान दर का भुगतान किया गया। उसने कठोर चट्टान में फॉर्मेशन कटिंग के संबंध में लागत का हवाला देते हुए

³⁷ अर्थात् जिलेटिन, एस.एफ.कॉइल व डेटोनेटर।

³⁸ विस्फोटक सामग्री के भंडारण हेतु सुविधा

³⁹ सितंबर 2012, फरवरी 2013 एवं अप्रैल 2016 दिनांकित पत्रों द्वारा

अप्रैल 2019 में कार्य छोड़ दिया एवं अनुबंध को बंद करने का अनुरोध किया। अनुबंध बंद करने का मामला मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र), शिमला के कार्यालय में विचाराधीन (सितम्बर 2021) था।

अधिकांश अभियंता ने स्वीकार किया (मार्च 2021) कि कार्य सौंपने से पहले मंडल व ठेकेदार की ओर से अपेक्षित लाइसेंस, मैगजीन, विस्फोटन वैन, ब्लास्ट मैन सुनिश्चित नहीं किया गया था, जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्वीकृति है। यह भी कहा गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले केवल दृश्य सर्वेक्षण किया गया था एवं 'मिट्टी के प्रकार' निर्धारित नहीं किये गए थे और नाबार्ड को प्रस्तुत प्राक्कलन में तीन अलग-अलग प्रकार की मिट्टी की मात्रा प्रकल्पित थी। उत्तर स्वयं इस तथ्य को इंगित करता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मात्रा का विश्वसनीय रूप से निर्धारण हेतु कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए एक समान दर देने से ठेकेदार द्वारा आसान/नरम चट्टान वाले भागों का कार्य करने एवं कठोर चट्टान के भागों को छोड़ने का जोखिम भी होता है।

ग. असंतुलित बोली एवं अनधिकृत निष्पादन के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ-

1. **असंतुलित बोली की स्वीकृति-** निविदा अनुबंध के विश्लेषण से उजागर हुआ कि, अन्य कार्यों के साथ-साथ, छः विभिन्न प्रकार की कंक्रीटिंग की जानी थी (नीचे तालिका का कॉलम 1 एवं 2 देखें)। विभाग का अनुमान कंक्रीट मिश्रों की घटती सुदृढ़ता के अनुरूप अनुमानित दरों में घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है (कॉलम 4)। दूसरी ओर, बोलीदाता द्वारा एम 5 कंक्रीट मिश्र के अतिरिक्त सभी मदों हेतु दी गई दरों में समान रूप से घटती प्रवृत्ति दिखाई देती है (कॉलम 5)। बोलीदाता द्वारा एम 5 कंक्रीट मिश्र हेतु उद्धृत दर अपेक्षाकृत बेहतर सुदृढ़ता जैसे एम 7.5 एवं एम 10 वाले अन्य कंक्रीट मिश्रों की दरों से अधिक थी (कॉलम 5)। निविदा दस्तावेज के खण्ड 11⁴⁰ के अनुसार, यदि किसी मद की इकाई दर निविदा में अवास्तविक दिखाई देती है, तो ऐसी निविदा को 'असंतुलित' माना जाएगा एवं बोलीदाता द्वारा इसके लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर निविदा को खारिज किया जा सकता है। हालांकि, इस प्रावधान के बावजूद, बोली को स्वीकार कर लिया गया।

⁴⁰ सामान्य नियम एवं निर्देश।

तालिका 2.3.1: असंतुलित बोली एवं उच्च दर मद का अनधिकृत निष्पादन

मदें	कंक्रीट मिश्र की श्रेणी	कंक्रीट मिश्र की लगभग सुदृढ़ता (न्यूटन/ मिमी ²)	निविदा में विभाग द्वारा अनुमानित दर (₹ प्रति घन मीटर)	चयनित बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर	निविदा/ अनुबंध में मात्रा (घन मीटर) (0/0 से 11/640)	चयनित बोलीदाता द्वारा निष्पादित मात्रा (घन मीटर) (0/0 से 2/600)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पी/एल कंक्रीट (1:1.5:3)	एम 20	20	4,725.95	4,900	223.06	7.78
पी/एल कंक्रीट (1:2:4)	एम 15	15	4,321.70	4,650	44.84	0.65
पी/एल कंक्रीट (1:3:6)	एम 10	10	2,928.35	2,500	5,485.89	481.25
पी/एल कंक्रीट (1:4:8)	एम 7.5	7.5	2,337.20	2,415	76.74	166.49
पी/एल कंक्रीट (1:5:10)	एम 5	5	2,068.20	2,578	1,899.20	2,573.91
पी/एल कंक्रीट (1:6:12)	बेस कंक्रीट	लागू नहीं	1,933.60	2,116	171.82	204.62

2. उच्च दर मद का अनधिकृत निष्पादन- सड़क की पूरी लंबाई 11.640 किलोमीटर में 1,899.20 घन मीटर एम 5 कंक्रीटिंग को निष्पादित किया जाना था (उपर्युक्त कॉलम 6); एवं अनुमान के अनुसार 2.600⁴¹ किलोमीटर में 507.50 घन मीटर एम 5 कंक्रीटिंग की जानी थी। इसके बजाय, ठेकेदार ने 2.600 किलोमीटर में 2,573.91 घन मीटर एम 5 कंक्रीटिंग का निष्पादन किया (कॉलम 7)। यह पूरी सड़क की लंबाई हेतु एम 5 की अनुमानित मात्रा से अधिक थी एवं 2.600 किलोमीटर हेतु एम 5 की अनुमानित मात्रा से लगभग 407.17 प्रतिशत अधिक थी। दूसरी ओर 11.640 किलोमीटर सड़क की पूरी लंबाई में 5,485.89 घन मीटर एम 10 कंक्रीटिंग की जानी थी एवं मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार 2.600 किलोमीटर के लिए 1,057.59 घन मीटर एम 10 कंक्रीटिंग का निष्पादन किया जाना था। हालांकि 2.600 किलोमीटर में एम 10 कंक्रीटिंग का केवल 481.25 घन मीटर निष्पादन किया गया था, जो 2.600 किलोमीटर हेतु एम 10 की अनुमानित मात्रा से 54.50

⁴¹ सड़क दूरी 0/0 से 2/600

प्रतिशत कम था। इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा कम सुदृढ़ता एवं उच्च दर कंक्रीटिंग की अधिक मात्रा तथा उच्च सुदृढ़ता एवं कम दर कंक्रीटिंग की कम मात्रा का निष्पादन किया गया।

3. विचलन हेतु अनुमोदन प्राप्त ना करना- हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या पीबीडब्ल्यू (सड़क एवं पुल) (बी) 17(6)1/2001 दिनांक 27.10.2004 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि यदि तकनीकी कारणों, अप्रत्याशित घटना, साइट की स्थिति आदि के कारण अनुमानों में विचलन की आवश्यक पड़ती है, तो ऐसे विचलन को क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के ध्यान में लाया जाना चाहिए एवं उनके निर्देश पर ही संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे संशोधित प्राक्कलनों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि के मामले में नाबाई से राज्य योजना विभाग के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। मंडल द्वारा एम 5 कंक्रीट मिश्रण की अधिक कंक्रीटिंग हेतु कोई संशोधित अनुमान तैयार किए बिना या सक्षम प्राधिकारी से विचलन हेतु अनुमोदन प्राप्त किए बिना भुगतान किया गया।

इस प्रकार, असंतुलित बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कम सुदृढ़ता और उच्च कीमत वाली एम 5 कंक्रीटिंग के अधिक निष्पादन की अनुमति देने एवं उच्च सुदृढ़ता और अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत वाली मर्दों जैसे एम 10 कंक्रीटिंग के कम निष्पादन से ठेकेदार को ₹ 0.53 करोड़⁴² का अनुचित लाभ हुआ।

अधिशाली अभियंता ने स्वीकार किया (मार्च 2021) कि कम सुदृढ़ता वाले कंक्रीट (एम 5) की दर उच्च सुदृढ़ता वाले कंक्रीट (एम 7.5 और एम 10) से अधिक थी। हालांकि, दरों को स्वीकार किया गया था क्योंकि वे अलग-अलग रूप से बाजार दर से नीचे थी, लेकिन भिन्न शक्ति वाले कंक्रीट के दरों की परस्पर तुलना नहीं की गई थी। कम शक्ति वाले कंक्रीट (एम 5) की अधिक मात्रा को निष्पादन के दौरान वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निष्पादित किया गया था और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। एम 10 की कम मात्रा का निष्पादन स्लेब कलवर्ट के कम निष्पादन के कारण किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्च शक्ति वाले कंक्रीट की तुलना में कम शक्ति वाले कंक्रीट के लिए उच्च दर की अनुमति देना निविदा दस्तावेज के खंड 11 के विरुद्ध था एवं बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उच्च दर पर भुगतान की गई मर्द (एम 5) के अनधिकृत निष्पादन की अनुमति ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के समान है।

घ. नाबाई ऋण की समाप्ति एवं ब्याज देयता का भार:

नाबाई ऋण मार्च 2018 में बंद हो गया था, एवं इसके तहत प्रतिपूर्ति जून 2018 में बंद हो गई थी। विभाग ने परित्यक्त सड़क कार्य के आंशिक निष्पादन पर ₹ 2.15 करोड़ का व्यय

⁴² (2573.91 - 507.50) घन मीटर * 2578 ₹/ घन मीटर।

किया, जो निष्फल रहा। हालांकि, नाबार्ड ऋण प्रतिपूर्ति विंडो बंद होने के कारण, नाबार्ड द्वारा केवल ₹ 1.61 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकी। लगभग ₹ 0.32⁴³ करोड़ की ब्याज देयता सहित शेष निष्फल व्यय राज्य के राजकोष को वहन करना होगा।

इस प्रकार वन भूमि के अपवर्तन हेतु 'अंतिम अनुमोदन' प्राप्त करने में विलम्ब, एकसमान दर पर कार्य का आवंटन, एवं ठेकेदार को समय पर विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप नाबार्ड ऋण की समय सीमा समाप्त हो गई एवं ठेकेदार द्वारा लागत के दृष्टिकोणों/पहलुओं के आधार पर अंततः कार्य छोड़ दिया गया (अप्रैल 2019)। अब तक किए गए ₹ 2.15 करोड़ का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ एवं क्षेत्र के लोग परिवहन सुविधा के इच्छित लाभों से वंचित रह गए। उच्च दर मद के अनधिकृत निष्पादन के कारण ठेकेदार को ₹ 0.53 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा परिणामों को सरकार को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2021)। सरकार ने प्रमुख अभियंता के उत्तर पर अपनी सहमति दी जिसमें प्रमुख अभियंता ने कहा था (सितम्बर 2021) कि विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में की गई कार्रवाई की जानकारी अधिशासी अभियंता के उत्तर में पहले ही विस्तृत रूप से दे दी गई है।

सिफारिश: विभाग को विलम्ब से बचने हेतु उचित योजना सुनिश्चित करनी चाहिए एवं असंतुलित बोलियों और उच्च दर मदों के अनधिकृत निष्पादन की जांच करने एवं उन्हें प्रतिबंधित करने हेतु कड़े नियम बनाने चाहिए।

जल शक्ति विभाग

2.4 फिना सिंह बांध के निर्माण में फर्म को अनुचित लाभ

एकमुश्त अनुबंध को काम के गलत दायरे और अनुचित मद दरों के साथ देने के परिणामस्वरूप अपर्याप्त स्टील कार्य के लिए भुगतान, विचलन के लिए उच्च दरों पर भुगतान, पहले से ही गणना की हुई गतिविधियों के लिए व्युत्पन्न दरों में आठ प्रतिशत का परिवर्धन एवं अन्वेषण/ डिज़ाइन के लिए अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 19.52 करोड़ के अनुचित लाभ के अतिरिक्त गैर-मापित कार्य के लिए भुगतान।

राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना (पीएसएमआईपी) को मार्च 2011 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना में चक्की नदी पर एक कंक्रीट भाराश्रित बांध का निर्माण सम्मिलित था।

⁴³ 07 समान वार्षिक किशतों में भुगतान हेतु ₹ 1.61 करोड़ के नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना निधि ऋणों पर 5.0 प्रतिशत (जून 2018 से 6.50 प्रतिशत की बैंक दर - 1.5 प्रतिशत) की दर से परिकलित।

प्रमुख अभियंता (परियोजना) ने मई 2015 में इस बांध के निर्माण हेतु ₹ 61.993 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। फरवरी 2016 में, जल शक्ति विभाग (पीएसएमआईपी मंडल, सदवां) द्वारा भाराश्रित बांध के निर्माण हेतु दो वर्षों (फरवरी 2018) के अन्दर पूरा करने के लक्ष्य के साथ, एक फर्म⁴⁴ को ₹ 59.87 करोड़ में एकमुश्त अनुबंध दिया गया। इस बीच, बांध निर्माण कार्य के दायरे एवं डिजाइन में परिवर्तन⁴⁵ आया, जिस कारण एक समिति द्वारा फरवरी 2020 में भुगतान हेतु मद दरों को अनुमोदित किया गया। निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है (जुलाई 2021) एवं बांध अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

पीएसएमआईपी मंडल सदवां के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2018) एवं उसके बाद प्राप्त अतिरिक्त जानकारी से निम्नलिखित उजागर हुआ :

(क) योजना बनाने में विफलता :

भारतीय मानक 15662:2006⁴⁶ में प्रावधान है कि एक अवलंबनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के साथ तैयार की जानी चाहिए, जिसमें आगे अन्वेषण हेतु कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए एवं इसे अंतिम माना जाना चाहिए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिशा-निर्देशों की धारा 3.1.3, (निष्पादन के दौरान किए गए मुख्य परिवर्तन) यह निर्धारित करती है कि कार्य के दायरे एवं विनिर्देशों को अत्यधिक बदलने से ठेकेदार को उच्च दरों पर मदों को निष्पादित करने की अनुमति देने से अनुचित लाभ मिल सकता है। उच्च दरों के अतिरिक्त, ठेकेदार को प्रतिस्पर्धा के बिना अतिरिक्त कार्य भी मिल सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त निर्देशों के उल्लंघन में विभाग ने अवलंबनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट⁴⁷ तैयार करने हेतु पर्याप्त भूवैज्ञानिक/ भू-तकनीकी अन्वेषण⁴⁸ नहीं किया। विभाग को जनवरी 2014 में पता था कि बांध की लागत ₹ 59.89 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले ₹ 115 करोड़ तक विचलित होने की संभावना थी, क्योंकि बांध की प्रारंभिक डिजाइन अपर्याप्त अन्वेषण⁴⁹ पर आधारित थी एवं कार्य सौंपने के उपरांत मात्रा में विचलन का निश्चित जोखिम था। इसके बावजूद, विभाग ने अपर्याप्त अन्वेषण के आधार पर गलत दायरे के साथ फरवरी 2016 में ₹ 59.87 करोड़ का एकमुश्त अनुबंध प्रदान कर दिया।

⁴⁴ मैसर्स जीएससीओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, चंडीगढ़।

⁴⁵ मई 2017 में, सीडब्ल्यूसी द्वारा आगे की जांच के सुझाव के साथ अभिकल्प बाढ़ निस्सरण (350 क्यूमेक्स) को बदल दिया गया (1145 क्यूमेक्स)।

⁴⁶ भाराश्रित बांधों तथा उत्प्लावी संरचनाओं के भूगर्भीय अन्वेषण-रीति संहिता।

⁴⁷ परियोजना की डीपीआर मार्च 2011 में सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित की गई थी।

⁴⁸ मृदा धारिता क्षमता परीक्षण, गाद भार गणना, अपरूपण बल मापदण्ड, पारगम्यता/ रिसन विश्लेषण आदि।

⁴⁹ प्रमुख अभियंता द्वारा अतिरिक्त, मुख्य सचिव, सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कार्य स्लिप।

फर्म को दिए गए अनुबंध में विस्तृत इंजीनियरिंग, अन्वेषण, ड्राइंग तैयार करना इत्यादि एवं इन्हें केंद्रीय जल आयोग से पुनरीक्षित कराना सम्मिलित था। हालांकि, फर्म ने प्रारंभिक डिजाइन एवं ड्राइंग अपर्याप्त अन्वेषण⁵⁰ के साथ प्रस्तुत किए एवं विस्तृत अन्वेषण केवल फरवरी 2019 तक पूरे किए गए। जिसके परिणामस्वरूप डिजाइन/ड्राइंग एवं कार्य के दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिससे कार्य शुरू होने में काफी देरी हुई।

प्रमुख अभियंता ने कहा (अक्टूबर 2021) कि यह कहना गलत है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व विभाग द्वारा विस्तृत भूवैज्ञानिक/भू-तकनीकी अन्वेषण नहीं किए गए। साथ ही, यह भी कहा गया कि विभाग ने परियोजना की साध्यता का पता लगाने में 25 वर्षों से अधिक समय लिया। विभाग ने 1984 से 2011 तक सभी प्रयास किए थे एवं केन्द्रीय जल आयोग एवं अन्य एजेंसियों की सभी टिप्पणियों एवं सुझावों को शामिल किया था। केन्द्रीय जल आयोग ने सभी आवश्यक जांचों की समीक्षा के उपरान्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी (2011) दी थी। बांध की अंतिम संरचना प्रारंभिक अन्वेषण पर तय नहीं की जा सकती है एवं यह गतिशील है और साइट की खोज एवं विस्तृत अन्वेषण के दौरान बदलती रहती है। यह अपेक्षित था कि प्रारंभिक अन्वेषण विस्तृत अन्वेषण से मेल खाएगा। बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 350 क्यूमेक्स के अभिकल्प बाढ़ निस्सरण के साथ तैयार की गई थी, जो काफी बढ़कर 1145 क्यूमेक्स हो गया। केन्द्रीय जल आयोग भी बाढ़ निस्सरण में इस महत्वपूर्ण अंतर को देखने में विफल रहा एवं यह विस्तृत डिजाइन चरण के दौरान ध्यान में आया। कार्य में अधिक विशेषज्ञता को आकर्षित करने हेतु एकमुश्त निविदा जारी की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन (2011) के सम्बन्ध में, निदेशक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन), केन्द्रीय जल आयोग, शिमला द्वारा यह कहा गया (जून 2021) था कि केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना के सामान्य तकनीकी एवं आर्थिक पक्षों की जांच की थी। संवीक्षा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों, मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र पर आधारित थी, इस धारणा के साथ कि आंकड़े एवं सूचना विश्वसनीय रूप से एकत्र की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई संवीक्षा में विस्तृत डिजाइन, संरचनात्मक, हाइड्रोलिक एवं यांत्रिक प्रदर्शन एवं सुरक्षा के संबंध में पृथक-पृथक घटकों के कार्यकारी आरेखण की जांच सम्मिलित नहीं थी, जिसे परियोजना अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। निर्माण चरण, डिजाइन एवं ड्राइंग के दौरान किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर परियोजना अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, जैसा

⁵⁰ केन्द्रीय जल आयोग (जून 2021) एवं निदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (अप्रैल 2018) ने कहा कि फर्म द्वारा डिजाइन गलत अभिकल्प बाढ़ मान (1145 क्यूमेक्स के बजाय 350 क्यूमेक्स), अपर्याप्त गाद भार विचार एवं भू-तकनीकी मुद्दों के निदान किए बिना सक्षम नींव एवं अंत्याधार चट्टान की उपलब्धता के बारे में गलत अनुमान के साथ प्रस्तुत की गई थी।

कि अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर (जून 2021) में स्वीकार किया था, कुछ आवश्यक आंकड़े अनजाने में छूट गए थे एवं हाइड्रोलिक आंकड़ों के मूल्यांकन हेतु केवल शॉर्टकट/ आनुभविक सूत्रों का प्रयोग किया गया था। यह गलत अभिकल्प बाढ़ निस्सरण के रूप में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक डिजाइन अधूरे थे एवं उनमें कमियां थीं जैसा कि स्वयं विभाग द्वारा नोट किया गया था। अंत में, सुधारों के पश्चात्, डिजाइन केवल फरवरी 2017 में, यानी कार्य सौंपने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) फर्म को अनुचित लाभ:

केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदित डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार अनुबंध का दायरा महत्वपूर्ण रूप से बदलने के पश्चात् निविदा मूल्यांकन समिति⁵¹ ने ₹ 59.87 करोड़ की समग्र प्रदत्त राशि के भीतर कार्य निष्पादित करने हेतु भुगतान के लिए 'मद दरों' को अनुमोदित किया (फरवरी 2020)।

निविदा मूल्यांकन समिति ने मद-दर प्रदान करने हेतु ₹ 61.993 करोड़ के कार्य प्राक्कलन⁵² में से 13 प्रमुख मदों जैसे उत्खनन, कंक्रीटिंग, फॉर्म वर्क आदि (परिशिष्ट 2.7) पर विचार किया था। कार्य अनुमान में मदों की मात्रा को फर्म द्वारा परियोजना के दायरे के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली आधार मात्रा के रूप में लिया गया था। हालांकि, कार्य के निष्पादन हेतु कार्य अनुमान में दरों को आधार दरों के रूप में लेने के बजाय, निविदा मूल्यांकन समिति ने भुगतान हेतु अलग मद दरों को अनुमोदित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निविदा मूल्यांकन समिति ने 'मद दरों' का अनुमोदन निम्नलिखित तीन विधियों का उपयोग करके किया :

क. उत्खनन एवं कंक्रीटिंग हेतु 'संयुक्त दरें': निविदा मूल्यांकन समिति ने निम्नलिखित सूत्र को लागू करके कार्य की सात मदों⁵³ (13 प्रमुख मदों में से) हेतु नई इकाई दरें (परिशिष्ट 2.8) व्युत्पन्न की:

$$\frac{\text{कार्य प्राक्कलन में मद हेतु प्रावधान (₹)}}{\text{कार्य प्राक्कलन में उत्खनन एवं कंक्रीटिंग की मात्रा (घन मीटर)}}$$

⁵¹ निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) में तत्कालीन (27/02/2020) प्रमुख अभियंता (जेएसवी), मुख्य अभियंता (डीजेड), मुख्य अभियंता (डी एंड एम), अधीक्षण अभियंता (वृत्त- नूरपुर), अधीक्षण अभियंता (पी एंड आई-II), अधीक्षण अभियंता (डिजाइन, धर्मशाला जोन), संयुक्त नियंत्रक (एफएंडए), अधिशासी अभियंता (डी, पी एंड आई- II), सदस्य सचिव सह अधिशासी अभियंता जेएसवी मंडल सदवां शामिल थे।

⁵² प्रमुख अभियंता (परियोजना) द्वारा मई 2015 में अनुमोदित।

⁵³ विजलन/ जल निष्कासन; विपथक व्यवस्था (कॉफर डैम/डाइक); ढलान संरक्षण कार्य प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह; ग्राउट करने के लिए छेद करना; फर्मा बंदी; पीवीसी स्टॉप सील; स्टील

उत्खनन एवं कंक्रीटिंग की मदों के लिए 'संयुक्त दर' (तालिका-2.4.1 का स्तम्भ 8) प्राप्त करने हेतु इस प्रकार इन सात मदों (परिशिष्ट-2.7 के क्रमांक 5-11) के लिए व्युत्पन्न नई इकाई दरों को उत्खनन एवं/या कंक्रीटिंग की मद दरों (परिशिष्ट-2.7 के क्रमांक 1-4) में जोड़ा गया। इसके बाद 'संयुक्त दरों' को 59.87/61.993 के गुणक द्वारा समायोजित किया गया (तालिका-2.4.1 के स्तम्भ 9), क्योंकि कार्य प्राक्कलन ₹ 61.993 करोड़ हेतु तैयार किया गया था, परन्तु अनुबंध ₹ 59.87 करोड़ की कम राशि पर दिया गया था। तत्पश्चात अंतिम मद दरों (तालिका-2.4.1 का स्तम्भ 11), जिनका उपयोग फर्म को भुगतान करने हेतु किया गया था, पर पहुंचने हेतु बैचिंग, मिक्सिंग आदि हेतु आठ प्रतिशत जोड़ा गया (तालिका-2.4.1 का स्तम्भ 10)। परिणामस्वरूप, इन सात मदों हेतु भुगतान उत्खनन एवं/या कंक्रीटिंग की मात्रा पर निर्भर हो गया एवं अपारदर्शी हो गया, क्योंकि इनके निष्पादन को अलग से मापने की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो गई थी।

ख. मृदा अन्वेषण, ड्राइंग आदि हेतु 'वर्धित दर': कार्य प्राक्कलन में मृदा अन्वेषण, ड्राइंग आदि की लागत (परिशिष्ट-2.7 का क्रमांक 12) ₹ 0.58 करोड़ थी जिसे बिना किसी औचित्य के निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा बढ़ाकर ₹ 3.59 करोड़ कर दिया गया।

तालिका-2.4.1: निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार की गई मद दरें

(₹ में)

प्रमुख मदें	कार्य प्राक्कलन के अनुसार लागत (₹ प्रति घन मीटर/इकाई)	जल निष्कासन हेतु परिवर्धन	विपथक व्यवस्था (कॉफ़र बांध/डाइक) हेतु परिवर्धन	संरक्षण कार्य हेतु परिवर्धन	गाउट करने की लिए छेद करने/ (फर्मा बंधी + पीवीसी स्टॉप सील) ⁵⁴ हेतु परिवर्धन	स्टील हेतु परिवर्धन	संयुक्त दर (स्तंभ 2 से 7 का योग)	समायोजित दर (स्तंभ 8*59.87/61.993)	स्तम्भ 9 पर बैचिंग, मिक्सिंग आदि हेतु 8% का परिवर्धन	निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित अंतिम मद दर (स्तम्भ 9+ स्तम्भ 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्खनन	407.45	49.27	26.78	84.62	34.57	-	602.69	582.05	-	582
कंक्रीटिंग ग्रेड- एम 25	4,189.10	49.27	26.78	84.62	41.87 (33.88+7.99)	2,080.87	6,472.51	6,250.85	500.07	6,750
कंक्रीटिंग ग्रेड- एम 20	3,655.85	49.27	26.78	84.62	41.87 (33.88+7.99)	2,080.87	5,939.26	5,735.86	458.87	5,660 ⁵⁵ (6,194.73)

⁵⁴ गाउटिंग के लिए छेद करने की लागत: ₹ 34.57; फरमा बंधी की लागत: ₹ 33.88 + पीवीसी स्टॉप सील की लागत: ₹ 7.99 प्रति घन मीटर।

⁵⁵ एम 20 के लिए अंतरिम रूप से एम 15 की दर पर भुगतान किया गया, यद्यपि एम 20 के लिए दर का अनुमोदन किया जा रहा है जिसका ₹ 6194.73 तक बढ़ने की संभावना है यदि समान गणना का पालन किया जाता है।

कंक्रीटिंग	3,143.20	49.27	26.78	84.62	41.87 (33.88+7.99)	2,080.87	5,426.61	5,240.77	419.26	5,660
ग्रेड- एम 15	4,196.98 ⁵⁶	49.27	26.78	84.62	41.87 (33.88+7.99)	20,80.87	6,480.39	6,258.46	500.67	6,759 निविदा सूचना के ऊपर
मृदा अन्वेषण डाइंग आदि	58,38,818	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59,22,000
कर्टेन एवं कंसोलिडेशन ग्राउटिंग	826.85	-	-	-	-	-	826.85	798.53	-	798

ग. कर्टेन एवं कंसोलिडेशन ग्राउटिंग हेतु 'समायोजित दर': जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा गया है, कार्य प्राक्कलन (परिशिष्ट-2.7 का क्रमांक 13) में दी गई एक मद (कर्टेन एवं कंसोलिडेशन ग्राउटिंग) की दर अपरिवर्तित छोड़ दी गई थी, इसलिए इस मद हेतु भुगतान को उत्खनन/ कंक्रीटिंग की मात्रा पर निर्भर नहीं बनाया गया था एवं इसकी दर (कार्य प्राक्कलन में दी गई) को केवल 59.87/61.993 के गुणक से कम कर दिया गया था (तालिका-2.4.1)। 59.87/61.993 के गुणक द्वारा मद दर (जैसे कि कार्य प्राक्कलन में दी गई) को समायोजित करने की उपरोक्त विधि को अन्य सभी मदों (परिशिष्ट-2.7) के लिए भी अपनाया जा सकता था। 'संयुक्त दरों' या 'वर्धित दर' की विधियों को उपयोग करने का कोई भी औचित्य या तर्क अभिलेखों में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 'समायोजित दर' (बिंदु ग) के बजाय 'संयुक्त दरों' एवं 'वर्धित दर' (बिंदु क एवं ख) की विधियों का उपयोग करने से ठेकेदार को निम्नलिखित तरीकों से अनुचित लाभ हुआ :

1. दरों को संयुक्त करने के कारण गैर-मापित कार्य के लिए ₹ 6.05 करोड़ का अनियमित भुगतान: लोक निर्माण लेखा संहिता⁵⁷ के साथ साथ निर्माण कार्य की खरीद नियम पुस्तक 2019⁵⁸ निर्धारित करती है कि एकमुश्त अनुबंधों में यदि कार्य को बढ़ाया जाता है और कम किया जाता है तो विस्तृत मापें दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि जैसा की उपर्युक्त तालिका-2.4.1 में देखा जा सकता है कि उत्खनन एवं कंक्रीटिंग मदों की संयुक्त दरों में (दायरे में परिवर्तन के समय व्युत्पन्न) अन्य मदों की दरें (जल निष्कासन, विपथक व्यवस्था/ कॉफर बांध/ डाइक, सुरक्षा कार्य/ ग्राउटिंग हेतु छेद करना/ फरमाबंदी/ पीवीसी स्टॉप सील, स्टील

⁵⁶ कार्य प्राक्कलन में एम 15 कंक्रीटिंग के लिए ₹ 3143.20 प्रति घन मीटर का प्रावधान था एवं निविदा मूल्यांकन समिति ने मनमाने ढंग से विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना/कार्य प्राक्कलन से ऊपर की मात्रा के लिए दर को ₹ 1053.78 प्रति घन मीटर से बढ़ा दिया।

⁵⁷ केंद्रीय लोक निर्माण लेखा कोड (अध्याय 11 के खंड 11.2.3 और 11.2.4) और विभाग द्वारा पालन किए जाने वाले पंजाब लेखा कोड (विभागीय वित्तीय नियम अन्य बातों के साथ-साथ अध्याय VII के खंड 7.100, 7.104, 7.105 में)।

⁵⁸ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धारा 3.2.1 (vii) में।

इत्यादि) भी सम्मिलित हैं। चूंकि अन्य मदों की दरों को उत्खनन एवं कंक्रीटिंग के साथ संयुक्त कर दिया गया था, अन्य मदों का वास्तविक निष्पादन निर्धारित नहीं किया गया। अन्य मदों के वास्तविक निष्पादन के किसी अभिलेख के बिना ठेकेदार को उत्खनन एवं कंक्रीटिंग की मात्रा के निष्पादन के अनुपात में भुगतान जारी कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त दरों के संयुक्तीकरण के कारण उत्खनन की अतिरिक्त मात्रा की प्रत्येक निष्पादित इकाई के साथ अन्य मदों (विपथक व्यवस्था, ढलान संरक्षण, जल निष्कासन, ग्राउटिंग के लिए छेद करना) के लिए अधिक भुगतान किए जाने की संभावना है, यद्यपि अन्य मदों के दायरे/ मात्रा में समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई हो।

दरों को संयुक्त करने के कारण गैर मापित कार्य हेतु अनियमित भुगतान नीचे तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका-2.4.2: गैर मापित कार्य हेतु अनियमित भुगतान

क्र. सं.	कार्य की मद	फर्म को किया गया वास्तविक भुगतान (17वें चालू खाता) बिल तक			कार्य प्राक्कलन के अनुसार अधिकतम प्रावधान (₹ करोड़)
		उत्खनन एवं/या कंक्रीटिंग की मात्रा (घनमीटर)	भुगतान किये गए मद की दर (सन्दर्भ तालिका-2.4.1) (₹ में)	फर्म को मद हेतु किया गया भुगतान (₹ करोड़ में) #	
1	विपथक व्यवस्था	3,19,046.53 ⁵⁹ (उत्खनन एवं कंक्रीटिंग)	26.78	0.85	0.38
2	ढलान संरक्षण कार्य प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह	3,19,046.53 (उत्खनन एवं कंक्रीटिंग)	84.62	2.70	1.21
3	जल निष्कासन	3,19,046.53 (उत्खनन एवं कंक्रीटिंग)	49.27	1.57	0.68
4	ग्राउट करने के लिए छेद करना	2,56,168 (उत्खनन)	34.57	0.89	0.21
5	फर्माबंदी + पीवीसी वॉटर स्टॉप सील	62,878.53 (कंक्रीटिंग)	41.87 (33.88 + 7.99)	0.26	0.32
योग				6.27 (6.05)⁶⁰	2.80

अंतिम भुगतान पर पहुंचने हेतु राशि को 59.87/61.993 के गुणक से समायोजित किया गया है।

⁵⁹ 319046.53 = 2,56,168 (उत्खनन) + 62,878.53 (कंक्रीटिंग)।

⁶⁰ कुल भुगतान: ₹ 6.27 करोड़ * 59.87/61.993 = ₹ 6.05 करोड़।

अतः उपरोक्त मदों हेतु कार्य प्राक्कलन में कुल ₹ 2.80 करोड़ के प्रावधान के प्रति, इन मदों के अलग-अलग माप को अभिलिखित किए बिना, 17वें चालू खाता बिल तक फर्म को ₹ 6.05 करोड़ का कुल भुगतान किया गया था।

प्रमुख अभियंता ने कहा (अक्टूबर 2021) कि मदों जैसे विपथक व्यवस्था, जल निष्कासन को अभिलिखित नहीं किया गया था क्योंकि ये भुगतान अनुसूची के भाग नहीं थे। कार्य की मुख्य मदों जैसे कंक्रीटिंग, स्टील आदि की प्रविष्टियां दर्ज की गईं, भले ही वे भुगतान अनुसूची का हिस्सा नहीं थे एवं कंक्रीटिंग, उत्खनन आदि के साथ अन्य मदों का संयुक्तीकरण डिजाइन में परिवर्तन एवं कार्य की अनिवार्यता के कारण किया गया था।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि डिजाइन/ दायरे में परिवर्तन के मामले में संयुक्तीकरण एवं परिणामी गैर मापन के बजाए यह विश्वसनीयता से सुनिश्चित करने हेतु कि वास्तव में निष्पादित कार्य की मात्रा भुगतान के अनुरूप है, सभी मदों का विस्तृत मापन किया जाना चाहिए था।

2. स्टील मद में अपर्याप्त कार्यों हेतु भुगतान ₹ 10.97 करोड़: हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 की धारा 6 (ई) में अपर्याप्त/ काल्पनिक/ फर्जी कार्य के लिए भुगतान करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा संयुक्त दरों का अनुमोदन करने के परिणामस्वरूप, कंक्रीटिंग के प्रत्येक घन मीटर के निष्पादन में, ठेकेदार को स्टील कार्य हेतु ₹ 2,080.87 की औसत दर का भुगतान किया जा रहा था। हालांकि, बांध निर्माण कार्य में स्टील का कार्य एकसमान नहीं किया जाता है। बांध के कुछ भागों में अन्य भागों से कम स्टील की आवश्यकता हो सकती है। अतः जब कंक्रीटिंग की प्रत्येक इकाई के लिए स्टील हेतु औसत दर पर भुगतान कंक्रीटिंग के उस भाग में कितना स्टील का कार्य किया जा रहा है को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है तो यह स्टील के घटक हेतु अधिक भुगतान के रूप में परिणत होता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

स्टील कार्य हेतु प्रदत्त दर = ₹ 2,080.87 प्रति घन मीटर कंक्रीटिंग

17 वें चालू खाता बिल⁶¹ तक निष्पादित कंक्रीटिंग की मात्रा = 62,878 घन मीटर

इस प्रकार, 17वें चालू खाता बिल तक स्टील हेतु किया गया भुगतान = ₹ 2,080.87 × 62,878 = ₹ 13.08 करोड़

परन्तु, कार्य प्राक्कलन में स्टील कार्य की दर = ₹ 62,152 प्रति मीट्रिक टन

सामग्री खपत विवरणियों के अनुसार 17वें चालू खाता बिल तक वास्तव में स्टील खपत की मात्रा (चूंकि विभाग द्वारा स्टील जारी किया गया था) = 277.15 मीट्रिक टन

⁶¹ 17वां चालू खाता बिल दिनांक 24/03/2021

इस प्रकार, 17वें चालू खाता बिल तक वास्तव में स्टील खपत हेतु देय भुगतान =
₹ 62,152 × 277.15 = ₹ 1.72 करोड़

अतः 17वें चालू खाता बिल तक स्टील हेतु अधिक भुगतान = $(13.08 - 1.72) \times \frac{59.87}{61.993} =$
₹ 10.97 करोड़

स्टील की खपत की वास्तविक मात्रा को सत्यापित किए बिना फर्म को कंक्रिटिंग की प्रत्येक इकाई के लिए, स्टील कार्य हेतु भुगतान किया गया था जो एक गंभीर अनियमितता थी एवं अनुचित लाभ के समान था।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के समय सुदृढीकरण (स्टील) की पूर्ण ड्राइंग उपलब्ध नहीं थी इसलिए उस समय स्टील की सटीक मात्रा का निर्धारण संभव नहीं था। इसलिए, कार्य प्राक्कलन में ली गई स्टील की मात्रा को अंतरिम उपाय के रूप में कंक्रिट की दरों के साथ जोड़ा गया था। यह देखा गया कि निर्माणाधीन भाग में स्टील की खपत पूरे बांध में स्टील की औसत मात्रा के अनुरूप नहीं थी। हालांकि, निविदा मूल्यांकन समिति उनके द्वारा अनुमोदित अंतरिम दरों को संशोधित कर सकती है।

यद्यपि विभाग इस तथ्य को स्वीकार करता है कि निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के समय स्टील की सटीक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती थी यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि, स्टील के लिए भुगतान एक समान दर के बजाय, वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना चाहिए था।

3. एम 15 ग्रेड के कंक्रिटिंग में विचलन हेतु अनुचित दरों के भुगतान से अनुचित लाभ, ₹ 3.36 करोड़: हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में प्रावधान है कि खरीद हेतु अधिकृत प्रत्येक अधिकारी दक्षता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा हेतु उत्तरदायी होगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों की धारा 3.1.3, (निष्पादन के दौरान किए गए मुख्य परिवर्तन) यह निर्धारित करती है कि कार्य के दायरे एवं विनिर्देशों को अत्यधिक बदलने से ठेकेदार को उच्च दरों पर मर्दों को निष्पादित करने की अनुमति देने से अनुचित लाभ मिल सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य प्राक्कलन के अनुसार एम 15 कंक्रिट के 11,594.37 घन मीटर के प्रावधान के प्रति, 17वें चालू खाता बिल तक 44,600.439 घन मीटर (285 प्रतिशत विचलन) की मात्रा का निष्पादन एवं भुगतान किया गया, जैसा कि तालिका-2.4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.4.3: कंक्रीटिंग कार्य का निष्पादन

क्र. सं.	कंक्रीट का प्रकार/ ग्रेड	कंक्रीट ग्रेड की शक्ति (न्यूटन/मिमी ²)	निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित दर ₹ प्रति घन मीटर	कार्य प्राक्कलन के अनुसार मात्रा (घन मीटर)	17वें चालू खाता बिल तक फर्म द्वारा वास्तविक निष्पादन
1	एम 35	35	-	4,214.800	0.000
2	एम 25	25	6,750	69,344.630	9,317.999
3	एम 20	20	5,660 (अनंतिम)	270.740	8,960.095
4	एम 15	15	5,660 (कार्य प्राक्कलन तक) एवं 6,759 (कार्य प्राक्कलन के बाहर)	11,594.370	44,600.439 (11,594.370 + 33,006.069)
कुल				85,424.540	62,878.533

संयुक्त मद दरों को तैयार करते समय, निविदा मूल्यांकन समिति ने एम 15 कंक्रीटिंग हेतु दो दरें अनुमोदित की थी (उपरोक्त तालिका-2.4.1) कार्य प्राक्कलन दायरे के भीतर मात्रा हेतु ₹ 5,660 प्रति घन मीटर (कार्य प्राक्कलन के अनुसार ₹ 3,143.20 प्रति घन मीटर की आधार दर लेकर) एवं अतिरिक्त मात्रा हेतु ₹ 6,759 प्रति घन मीटर (मनमाने ढंग से विचलन हेतु ₹ 4,196.98 की आधार दर लेकर)। इस प्रकार, निविदा मूल्यांकन समिति ने कार्य प्राक्कलन से अधिक एम 15 की मात्राओं के निष्पादन हेतु ₹ 1,053.78 प्रति घन मीटर (4,196.98 - 3,143.20) की वृद्धि अनुमत की। बिना किसी औचित्य के एम 15 कंक्रीट में 33,006.069 घन मीटर के विचलन हेतु ₹ 1,053.78 की अतिरिक्त दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 3.36 करोड़⁶² का अनुचित लाभ हुआ।

₹ 1,053.78 की अतिरिक्त दर अनुमत करना इसलिए भी अनुचित था क्योंकि विभाग द्वारा फर्म को मूल अनुबंध में सहमत दरों पर सीमेंट एवं स्टील जारी किए जा रहे थे एवं चालू खाता बिलों के भुगतान के अतिरिक्त पृथक मूल्य वृद्धि भुगतान (सामग्री, श्रम एवं ईंधन में वृद्धि हेतु) भी किए जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, विचलन हेतु ₹ 6,759 प्रति घन मीटर की दर इससे भी मजबूत कंक्रीट ग्रेड की दर से भी अधिक थी (एम 25 कंक्रीटिंग जिसकी शक्ति एम 15 की तुलना में 66.66 प्रतिशत अधिक थी, की दर ₹ 6,750 प्रति घन मीटर थी)। विभाग ने बिना औचित्य के विचलन हेतु उच्च दरें एवं इन उच्च दरों पर अतिरिक्त निष्पादन हेतु एक अधिकतम/ ऊपरी सीमा निर्दिष्ट किए बिना अनुमत की जिससे ठेकेदार को निष्पादित अतिरिक्त कार्य हेतु बहुत अधिक दरों पर भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिली।

⁶² ₹ 3.36 करोड़ = ₹ (1053.78 * 33,006.069) * प्रदत्त राशि (₹ 59.87 करोड़) / कार्य प्राक्कलन की लागत (₹ 61.993 करोड़)

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि कार्य प्राक्कलन के समय कंक्रीट की दरें सीमेंट एवं स्टील हेतु 1 किलोमीटर एवं रोड़ी और अन्य सामग्री हेतु 5 किलोमीटर के अन्दर की लीड को ध्यान में रखते हुए व्युत्पन्न की गई थी। परन्तु वास्तविकता में सीमेंट एवं स्टील हेतु यह लीड 20 किलोमीटर एवं रोड़ी और अन्य सामग्री हेतु 44 किलोमीटर है। इसलिए, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत मात्राओं का अनुमोदन समान लीड लेकर एवं निविदा आमंत्रण सूचना के बाहर वास्तविक लीड लेकर अनुमोदित किया गया।

निविदा दस्तावेज/ संविदा अनुबंध के खंड 35 (परिशिष्ट VI के साथ) के अनुसार, विभाग द्वारा उसके मदनपुर मंडलीय भण्डार से सीमेंट एवं स्टील की आपूर्ति की जानी थी तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी थी। इसलिए, बोली लगाने वालों को पहले से ही गंतव्य स्थल एवं सीमेंट एवं स्टील के जारी होने के स्थान के बारे में पता था, एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने की उनकी खुद की जिम्मेदारी थी। इस प्रकार, फर्म द्वारा आवश्यक सामग्री के निर्गम स्थान/उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मूल्य (सफल बोली लगाने वाले द्वारा ₹ 59.87 करोड़) उद्धृत किया गया था। इसलिए लीड में अंतर के कारक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

4. बैचिंग, पारगमन आदि हेतु अतिरिक्त आठ प्रतिशत अनुमत करने से अनुचित लाभ, ₹ 2.97 करोड़: ठेकेदार को मद दरें प्रदत्त करते समय, कंक्रीटिंग की संयुक्त दर में बैचिंग, पारगमन आदि हेतु अतिरिक्त 8 प्रतिशत जोड़ा गया (तालिका-2.4.1 का स्तम्भ 10)। यह अनियमित था क्योंकि कार्य प्राक्कलन में बैचिंग की लागत कंक्रीटिंग के मद दरों में पहले से ही सम्मिलित थी एवं बैचिंग, पारगमन आदि हेतु अतिरिक्त 8 प्रतिशत देने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, बैचिंग हेतु आठ प्रतिशत कंक्रीटिंग के इकाई दरों (तालिका-2.4.1 का स्तम्भ 2) पर नहीं बल्कि कंक्रीटिंग की संयुक्त दरों (स्तम्भ 10) पर उदग्रहित किया गया था जिससे बैचिंग हेतु अनुमत अतिरिक्त राशि और भी बड़ी एवं अतर्कसंगत हो गई।

फर्म को 17वें चालू खाता बिल तक कंक्रीटिंग हेतु ₹ 40.08⁶³ करोड़ का भुगतान किया गया था, जबकि कंक्रीटिंग हेतु वास्तव में देय राशि केवल ₹ 37.11 करोड़ थी। इस प्रकार, बैचिंग हेतु ₹ 2.97⁶⁴ करोड़ का शेष भुगतान (आठ प्रतिशत की दर से) ठेकेदार को अनुचित लाभ था।

प्रमुख अभियंता ने कहा (अक्टूबर 2021) कि मूल कार्य प्राक्कलन में बैचिंग प्लांट का प्रावधान नहीं किया गया था। नाम पद्धति में बैचिंग प्लांट का संदर्भ दिया गया था, परन्तु बैचिंग प्लांट की लागत नहीं जोड़ी गई थी। परन्तु निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा दरें प्रदत्त करते समय

⁶³ ₹ 40,07,94,585 (एम 25: 6,28,96,493 + एम 20: 4,91,85,938+ एम 15: 6,56,24,134 + एम 15: 22,30,88,020)

⁶⁴ (₹ 40.08 करोड़ - ₹ 37.11 करोड़); ₹ 37.11 करोड़ का आठ प्रतिशत जो कि ₹ 2.97 करोड़ है।

बैचिंग प्लांट के प्रावधान पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित दरें अंतरिम दरें हैं जो अंतिम चरण में समीक्षा के अधीन हैं।

उत्तर अस्वीकार्य है, क्योंकि फर्म द्वारा वांछित विनिर्देश (1:3:6) और वांछित शक्ति (15 न्यूटन/ मिमी² की शक्ति के साथ) की भार बैचिंग के साथ कंक्रीट बिछाना अपेक्षित था जिसे प्राप्त करने हेतु मूल कार्य प्राक्कलन/ दर के विश्लेषण में यांत्रिक मिश्रक, वाइब्रेटर और मजदूरों/ राजमिस्त्री आदि का प्रावधान था। यदि ठेकेदार अपनी सुविधा हेतु समान उत्पाद (अर्थात् एम 15 ग्रेड का कंक्रीट) देने के लिए बैचिंग प्लांट, पारगमन मिक्सर आदि का उपयोग करता है, तो विभाग को इसके लिए अतिरिक्त आठ प्रतिशत की दर अनुमत नहीं करनी चाहिए।

5. मृदा अन्वेषण, डिजाइन/ ड्राइंग आदि हेतु अधिक भुगतान अनुमत कर अनुचित लाभ, ₹ 2.22 करोड़: प्रारंभ में, बांध निर्माण हेतु ₹ 61.993 करोड़ के कार्य प्राक्कलन में मृदा अन्वेषण एवं डिजाइन/ ड्राइंग हेतु ₹ 0.58 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित था। हालांकि, अनुबंध ₹ 59.87 करोड़ में प्रदान किया गया, जिसका अर्थ था कि मृदा अन्वेषण, डिजाइन/ ड्राइंग का कार्य फर्म द्वारा ₹ 0.56 करोड़⁶⁵ में पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि, निविदा मूल्यांकन समिति ने इस कार्य को पूरा करने हेतु ₹ 3.59 करोड़ अनुमोदित किए।

इसमें से ₹ 2.63 करोड़ (17वें चालू खाता बिल तक 73.26 प्रतिशत कार्य पूर्ण) का भुगतान फर्म को मृदा अन्वेषण आदि के वास्तविक निष्पादन हेतु किया जा चुका है। वस्तुतः निष्पादित कार्य की इस मात्रा हेतु केवल ₹ 0.41 करोड़ (₹ 0.56 करोड़ का 73.26 प्रतिशत) का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 2.22 करोड़ (₹ 2.63 - ₹ 0.41 करोड़) के अधिक भुगतान के रूप में अनुचित लाभ दिया गया।

प्रमुख अभियंता ने कहा (अक्टूबर 2021) कि मूल एकमुश्त कार्य की भुगतान अनुसूची के अनुसार, ठेकेदार को संविदा राशि (₹ 3.59 करोड़) का 6 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। यह भी कहा गया कि एकमुश्त कार्य में, भुगतान अनुसूची सीधे तौर पर कार्य की मात्रा से संबंधित नहीं है बल्कि आंशिक भुगतान करने की एक सुविधा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकमुश्त भुगतान सूची सीधे तौर पर कार्य की मात्रा से सम्बंधित नहीं है, जैसा कि विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। मूल कार्य प्राक्कलन में मृदा अन्वेषण डिजाइन/ ड्राइंग के लिए केवल ₹ 0.58 करोड़ का प्रावधान था। हालांकि इसके बजाए जैसा तालिका-2.4.1 से स्पष्ट है कि निविदा मूल्यांकन समिति ने मृदा अन्वेषण

⁶⁵ प्रदत्त राशि और कार्य अनुमान के मूल्य में अंतर को समायोजित करने के लिए ₹ 0.58 करोड़ 59.87/61.993 के कारक से कम।

डिजाइन/ ड्राइंग आदि के समान कार्य के लिए ₹ 3.59 करोड़ भुगतान के तौर पर अनुमोदित कर दिए जो कि उचित नहीं था।

6. अनियमित भुगतान के ऊपर एवं अतिरिक्त सामग्री, श्रम एवं ईंधन हेतु मूल्य वृद्धि प्रदान करने के कारण अनुचित लाभ: विभाग द्वारा फर्म को 14वें चालू खाता बिल तक पारित बिलों की राशि के ऊपर एवं अतिरिक्त मूल्य वृद्धि के रूप में ₹ 2.18 करोड़⁶⁶ का भुगतान जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि फर्म को बांध का निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर पूरा करने की शर्त के साथ दिया गया था (फरवरी 2016)। कार्य में विस्तृत इंजीनियरिंग अन्वेषण, योजना, डिजाइन एवं विस्तृत कार्यकारी आरेखण तैयार करना एवं केंद्रीय जल आयोग से इसके पुनरीक्षण के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराना सम्मिलित था। हालांकि, विस्तृत अन्वेषण केवल फरवरी 2019 तक ही पूरे किए गए, जिसके परिणामों ने बांध के डिजाइन/ ड्राइंग एवं दायरे को काफी बदल दिया।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि केन्द्रीय जल आयोग (जून 2021) एवं निदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (अप्रैल-मई 2018) ने कहा कि फर्म द्वारा डिजाइन गलत अभिकल्प बाढ़ मान, अपर्याप्त गाद भार विचार एवं भू-तकनीकी मुद्दों के निदान किए बिना सक्षम नींव एवं अन्त्याधार चट्टान की उपलब्धता के बारे में गलत अनुमान के साथ प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, फरवरी 2019 तक की देरी काफी हद तक इसलिए हुई क्योंकि फर्म द्वारा प्रारंभिक डिजाइन एवं ड्राइंग अपर्याप्त अन्वेषण के साथ प्रस्तुत की गई थी। तथापि, विभाग ने डिजाइन/ ड्राइंग को अंतिम रूप देने में वास्तव में फर्म की कमी के कारण हुए विलंब की अवधि का पता लगाए बिना, विलम्ब की पूरी अवधि हेतु वृद्धि भुगतान अनुमत कर दिया।

फलस्वरूप, ठेकेदार की ओर से देरी हेतु मूल्य वृद्धि अनुचित है (जैसा कि ऊपर विस्तृत है)। इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि संयुक्त दरों के आधार पर अनुमत की गई थी, जिससे अधिक भुगतान हुआ क्योंकि कुछ घटक मदों हेतु अनुचित दरों को सम्मिलित किया गया था जैसा कि पैरा में पहले वर्णित है।

प्रमुख अभियंता ने स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2021) कि हालांकि विलम्ब के कुछ मामले हो सकते हैं, परन्तु यह सच नहीं है कि सम्पूर्ण विलम्ब केवल फर्म की ओर से हुआ। साथ ही, यह भी कहा गया कि भुगतान की गई दरें अनंतिम हैं एवं फर्म को किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान/ अधिक भुगतान को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। वर्तमान में,

⁶⁶ ₹ 2.18 करोड़ = ₹ {0.71 (प्रथम) +58.95 (दूसरे से छः वें) + 70.38 (सातवें से 10वें) + 38.36 (11वें से 12वें) + 49.49 (13वें से 14वें) चालू खाता बिल} लाख।

इन भुगतानों को निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित दरों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों में अंतर के कारण परिणामी प्रभाव कह सकते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग योजना बनाने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में विफल रहा। निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा जिस तरह से संयुक्त मद दरों एवं मृदा अन्वेषण ड्राइंग आदि हेतु वर्धित दर को तैयार किया गया एवं प्रदान किया गया, उससे गैर मापित कार्य हेतु किये गए ₹ 6.05 करोड़ के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त 17वें चालू खाता बिल तक फर्म को ₹ 19.52 करोड़⁶⁷ का अनुचित लाभ हुआ।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविदा करार के खंड 63.1 के अनुसार अधिक भुगतान केवल फर्म को देय राशि से या अनुबंध करार की निष्पादन प्रतिभूति जमा से वसूल किया जा सकता है। परन्तु, अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत की निष्पादन बैंक गारंटी (₹ 2.99 करोड़) एवं चालू खाता बिल भुगतान के 2.5 प्रतिशत पर रोकी गई प्रतिभूति (17वें चालू खाता बिल तक ₹ 1.38 करोड़), फर्म से इतनी बड़ी राशि के अनुचित/ अनियमित अधिक भुगतान की वसूली हेतु पर्याप्त नहीं थी, इसलिए विभाग से सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था (अगस्त 2021)। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2021) प्रमुख अभियंता के उत्तर (अक्टूबर 2021) को दोहराया।

सिफारिशें:

- *अवलंबनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के साथ तैयार की जानी चाहिए एवं सही मापदण्डों/उत्पाद विनिर्देशों एवं कार्य के वास्तविक दायरे/वित्तीय मूल्य सुनिश्चित करने के बाद ही एकमुश्त/ई०पी०सी० संविदा प्रदान की जानी चाहिए।*
- *विभाग अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु गहन जांच कर सकता है एवं अनुचित लाभ, अनियमित भुगतान, या परिणामी अनुचित लाभ की राशि की वसूली/नियमितीकरण कर सकता है।*
- *फर्म को किए गए भुगतान की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जा सकती है एवं यदि कोई वसूली हो तो फर्म को भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के प्रति समायोजित किया जा सकता है।*

⁶⁷ अपर्याप्त स्टील कार्य के लिए भुगतान (₹ 10.97 करोड़) + डीएनआईटी/ डब्ल्यूई से ऊपर कंक्रीटिंग के एम 15 ग्रेड में विचलन के लिए अनुचित दर देना (₹ 3.36 करोड़) + बैचिंग/ मिक्सिंग के लिए आठ प्रतिशत की वृद्धि (₹ 2.97 करोड़) + मृदा अन्वेषण एवं ड्राइंग के लिए अधिक भुगतान (₹ 2.22 करोड़)।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

2.5 हिमाचल प्रदेश में संग्रहालयों का प्रबंधन

विभाग ने 2016-20 के दौरान न तो वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रलेखीकरण एवं संरक्षण के लिए नीति/ दिशा-निर्देश बनाए एवं न ही संग्रहालयों के प्रबंधन हेतु वार्षिक कार्य-योजना बनाई। कला वस्तुओं का अधिग्रहण मनमाने ढंग से किया गया था क्योंकि 2017-20 के दौरान राज्य संग्रहालय, शिमला द्वारा खरीद (1,505) एवं उत्खनन (57) के माध्यम से अधिग्रहित 1,562 वस्तुओं में से 1,494 (96 प्रतिशत) राज्य संग्रहालय, शिमला हेतु एवं 68 धर्मशाला स्थित संग्रहालय हेतु अधिग्रहित किए गए तथा चंबा स्थित संग्रहालय के लिए कोई वस्तु अधिग्रहित नहीं की गई थी। अभिप्राप्ति रजिस्ट्रों का रख-रखाव विधिपूर्वक नहीं किया गया था क्योंकि सभी नमूना-जांचित प्रविष्टियों में वस्तुओं की अवस्थितियां (शैल्फ/ केस/ कक्ष) एवं तस्वीरों का उल्लेख नहीं किया गया/ चिपकाया नहीं गया तथा 489 वस्तुओं के सामने वस्तुओं की दिनांक/ अवधि दर्ज नहीं की गई थी। 21,755 वस्तुओं में से 8,663 (40 प्रतिशत) वस्तुओं के लिए डिजीटल प्रलेखीकरण पूर्ण कर लिया गया था। संग्रहालयों की संरक्षण प्रयोगशालाओं में विलवणीकरण संयंत्र, अल्ट्रासोनिक/ लेजर क्लीनर, उच्च विभेदन सूक्ष्मदर्शी (हाई रेसोल्यूशन माइक्रोस्कोप), संरक्षण टेबल आदि सहित प्रमुख उपकरण उपलब्ध नहीं थे। संग्रहालयों में सुरक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी तथा आगंतुकों की प्रभावी निगरानी/ ट्रैकिंग का अभाव था।

2.5.1 परिचय

संग्रहालयों का प्रबंधन भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के मुख्य कार्यों में से एक है, जो राज्य की भाषाओं, साहित्य, कला तथा संस्कृति के प्रसार, प्रचार एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। राज्य में चार संग्रहालय हैं, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

1. भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा
2. हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला
3. कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला
4. जनजातीय संग्रहालय लाहौल-स्पीति, केलांग

राज्य में संग्रहालयों के प्रबंधन का आकलन करने के लिए, 2016-20 की अवधि को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा ने भाषा, कला एवं संस्कृति निदेशालय तथा तीन संग्रहालयों (भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा; हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला; एवं कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला) के अभिलेखों की नमूना-जांच की (जुलाई-अगस्त 2019 एवं फरवरी-मार्च 2021)। नमूना-जांचित संग्रहालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। लेखापरीक्षा में प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों/ वस्तुओं की योजना, अधिग्रहण, प्रलेखीकरण एवं संग्रहालयों में प्रदर्शन, संग्रहालय

में संग्रहित वस्तुओं के संरक्षण, सुरक्षा व बचाव तथा क्षमता निर्माण सहित जनशक्ति प्रबंधन के पहलुओं को शामिल किया गया। विषयगत लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड संग्रहालय सुरक्षा हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश (अगस्त 2005), राज्य सरकार का निर्णय (अप्रैल 2008), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालयों के लिए दिशा-निर्देश (2013), संग्रहालयों हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश (मई 2017), आदि से लिए गए थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.5.2 योजना

2.5.2.1 नीति दिशा-निर्देश, मानक एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय नियमावली के परिच्छेद 14.10.1 के अनुसार, कार्यक्रमों एवं कार्यों के उचित व व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक विभाग को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले सभी विभागीय कार्यक्रमों/ योजनाओं/ परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों, नीतिगत पहलों व प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं सहित लक्ष्यों, उपलब्धियों, बजट, व्यय तथा मुख्य गतिविधियां सम्मिलित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों/ वस्तुओं के प्रबंधन हेतु विभाग के पास व्यापक नीति/ दिशा-निर्देश नहीं थे। इसके अतिरिक्त, संग्रहालयों की वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण, प्रलेखीकरण एवं अभिरक्षा के लिए कोई मानक और मापदंड नहीं थे। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं के प्रबंधन के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियमस् एवं यूनेस्को द्वारा जारी किए गए कई अंतरराष्ट्रीय मानक उपलब्ध हैं।
- 2016-20 के दौरान विभाग ने राज्य में संग्रहालयों के प्रबंधन के लिए गतिविधि-वार योजनाओं/ लक्ष्यों को दर्शाते हुए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की थी।

इसने दर्शाया कि संग्रहालयों के प्रबंधन हेतु विभिन्न गतिविधियां बिना किसी योजना के की गई थी। नीति/ दिशा-निर्देशों एवं मापदंडों/ मानकों के अभाव के कारण संग्रहालयों के प्रबंधन में कमी आई जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण, प्रलेखीकरण एवं अभिरक्षा के लिए उनके पास कोई मानक या बेंचमार्क नहीं थे। यह भी बताया गया कि 'संग्रहालय में राष्ट्रीय खजाने का संग्रह है जिसके लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय इसकी अभिरक्षा, मापदंड व सुरक्षा हेतु मानक नीतियां तैयार करता है जिसे लागू करना हर राज्य के लिए अनिवार्य है'। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने

संग्रहालयों की वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण, प्रलेखीकरण एवं अभिरक्षा के लिए भारत सरकार की नीतियों/ दिशा-निर्देशों/ मापदंडों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई थी।

2.5.3 वित्तीय प्रबंधन

बचाव एवं अग्नि प्रबंधन, भंडार एवं प्रदर्शन के लिए रखी गई वस्तुओं के रख-रखाव तथा संग्रहालय संग्रह का डिजिटल प्रलेखीकरण, संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों के परिरक्षण व संरक्षण, जनशक्ति प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण आदि जैसे पहलुओं पर व्यय नियमित बजट के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत गठित (अगस्त 2005) राज्य संग्रहालयों के लिए हिमाचल प्रदेश समिति के माध्यम से भी संग्रहालयों की गतिविधियों पर व्यय किया जाता है। समिति संग्रहालयों के वर्तमान कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करती है। प्रवेश शुल्क, स्मृति चिन्हों एवं प्रकाशनों की बिक्री, सदस्यों से वार्षिक सदस्यता आदि के माध्यम से हुई समिति की आय का उपयोग संग्रहालयों के व्यवस्थापन, मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए किया जाता है। तथापि, संग्रहालय के प्राधिकारियों ने न तो 2016-20 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा को समिति की आय व व्यय का विवरण प्रदान किया न ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया था जिसका यह तर्क दिया गया कि सरकार ने समिति को कोई अनुदान नहीं दिया था। हालांकि, संग्रहालय के प्राधिकारियों का तर्क नियमों के अनुरूप नहीं है क्योंकि समिति की आय एवं कर्मचारियों को भुगतान राज्य की समेकित निधि से निर्मित ढाँचे के कारण होता है। आय व व्यय तथा अन्य अभिलेखों के विवरण के उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति द्वारा अर्जित की गई आय व किए गए व्यय की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी।

2.5.3.1 बजट एवं व्यय

2016-20 के दौरान नमूना-जांचित संग्रहालयों के बजट एवं व्यय की प्रास्थिति तालिका-2.5.1 में दी गई है।

तालिका-2.5.1: 2016-20 के दौरान नमूना-जांचित संग्रहालयों के बजट एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला		भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा		कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
2016-17	1.49	1.13	0.74	0.49	0.59	0.39
2017-18	1.44	1.23	0.59	0.53	0.56	0.52
2018-19	1.79	1.43	0.77	0.57	0.63	0.48
2019-20	1.86	1.53	0.66	0.60	0.58	0.52
योग	6.58	5.32	2.76	2.19	2.36	1.91

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

2016-20 के दौरान ₹ 11.70 करोड़ के बजट के प्रति ₹ 2.28 करोड़ की बचत हुई (शिमला: ₹ 1.26 करोड़; चंबा: ₹ 0.57 करोड़ व धर्मशाला: ₹ 0.45 करोड़) जिसमें वेतन शीर्ष के तहत हुई ₹ 1.93 करोड़ (85 प्रतिशत) की बचत शामिल थी। वेतन शीर्ष के तहत हुई बचत मुख्य रूप से संग्रहालयों में रिक्त पदों के कारण हुई। यह उन कारकों में से एक था जिसके कारण संग्रहालयों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में कमियां हुईं, जैसा कि बाद के परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त 2016-20 की अवधि हेतु (परिशिष्ट-2.9) तीन संग्रहालयों के सम्बन्ध में व्यय के मानक मद-वार विवरण के अनुसार संग्रहालयों के ₹ 9.42 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 8.25 करोड़ (88 प्रतिशत) वेतन व अन्य प्रशासनिक खर्चों⁶⁸ पर एवं ₹ 1.14 करोड़⁶⁹ (12 प्रतिशत) अन्य प्रभारों पर तथा ₹ 0.03 करोड़ सामग्री व आपूर्ति पर व्यय किए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि बचत रिक्त पदों के कारण वेतन शीर्ष के अंतर्गत हुई थी जिसका उपयोग अन्य व्यय की मानक मद में नहीं किया जा सकता था क्योंकि वेतन शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं थी।

2.5.4 प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों एवं वस्तुओं का अधिग्रहण, प्रलेखीकरण तथा प्रदर्शन

अधिग्रहण का अर्थ है संग्रहालयों के लिए वस्तुओं का अधिकार प्राप्त करना। संग्रहालय मुख्य रूप से खरीद, उपहारों, खोज इत्यादि के माध्यम से कला वस्तुओं का अधिग्रहण करते हैं। संग्रहालय का प्रलेखीकरण संग्रहालय संग्रह की वस्तुओं के बारे में जानकारी के विकास व उपयोग से संबंधित है। यह जानकारी एक संग्रहालय की प्रलेखीकरण प्रणाली में लिखित या डिजिटल रूप में दर्ज की जानी चाहिए तथा कर्मियों, शोधकर्ताओं एवं जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए।

2.5.4.1 संग्रहालयों द्वारा कला वस्तुओं का अधिग्रहण

राज्य संग्रहालय, शिमला राज्य के सभी संग्रहालयों के लिए वस्तुओं का अधिग्रहण करता है। राज्य में सभी संग्रहालयों के लिए विभिन्न प्राचीन वस्तुओं, भित्ति चित्रों, मूर्तियों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए, एक कला खरीद समिति है जिसमें भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव अध्यक्ष, 13 सदस्य व राज्य संग्रहालय के अध्यक्ष सदस्य सचिव के रूप में हैं।

⁶⁸ मजदूरी: ₹ 0.34 करोड़; यात्रा व्यय: ₹ 0.02 करोड़; कार्यालय व्यय: ₹ 0.43 करोड़; चिकित्सा प्रतिपूर्ति: ₹ 0.08 करोड़; एवं मोटर वाहन: ₹ 0.02 करोड़।

⁶⁹ शिमला: ₹ 1.08 करोड़; चंबा: ₹ 0.02 करोड़ व धर्मशाला: ₹ 0.04 करोड़।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं के प्रबंधन के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियमस् एवं यूनेस्को द्वारा जारी किए गए कई अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध हैं। तथापि, यह देखा गया कि कलाकृतियों के अधिग्रहण के लिए कोई बेंचमार्क या मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। संग्रहालयों ने कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन के लिए कोई नीति व योजना विकसित नहीं की थी।

विभाग ने संग्रहालयों हेतु कलाकृतियों/ वस्तुओं के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन के लिए कोई नीति/ योजना व बेंचमार्क/ मानक तैयार नहीं किए थे। संग्रहालयों हेतु कलाकृतियों/ वस्तुओं की खरीद, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2021), प्रशासनिक सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) की अध्यक्षता में कला खरीद समिति द्वारा की जाती है। राज्य संग्रहालय, शिमला का अध्यक्ष विभाग/ प्रशासनिक सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। राज्य संग्रहालय इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन करने के लिए अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करते हैं एवं सभी विक्रेताओं को अधिसूचना भेजते हैं। एक निर्धारित दिन पर, सभी कला विक्रेता खरीद समिति के समक्ष अपनी कला वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं एवं उनकी कीमत उद्धृत करते हैं। वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं जैसे, वास्तविक अधिकार, आकार, प्रस्तावित मूल्य आदि पर चर्चा के बाद, कला खरीद समिति अधिग्रहण के लिए वस्तुओं पर अंतिम निर्णय करती है। संग्रहालयों द्वारा वस्तुओं के अधिग्रहण के पश्चात्, अधिग्रहित वस्तुओं के स्रोत, मूल्य, उनके अधिकार आदि को दर्शाते हुए अभिप्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अध्यक्ष, राज्य संग्रहालय ने प्रशासनिक सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) को प्रस्ताव भेजते समय खरीदे जाने हेतु अपेक्षित कलाकृतियों/ वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। अध्यक्ष ने कला विक्रेताओं को बुलावा-पत्र (कॉल लेटर) में खरीदी जाने वाली वस्तुओं का कोई विवरण/ सूची प्रदान नहीं की थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि खरीद प्रक्रिया केवल विक्रेता केन्द्रित है तथा विभाग कलाकृतियों/ वस्तुओं को जैसा कि विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शित/ प्रस्तावित की गई हैं, खरीदता है।

संग्रहालय प्राधिकारी ने प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई विज्ञापन नहीं दिया था, क्योंकि उसका कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। कला खरीद समिति ने खरीद हेतु चुनी गई वस्तुओं के लिए एवं उनके मूल्य निर्धारण करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। पारदर्शिता व निष्पक्षता सहित खरीद के वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया था, जो दर्शाता है कि कलाकृतियों/ वस्तुओं का अधिग्रहण मनमाने/ तदर्थ तरीके से किया जा रहा था।

- 2016-20 के दौरान, राज्य संग्रहालय, शिमला ने खरीद (1,505) एवं उत्खनन (57) के माध्यम से 1,562 वस्तुओं का अधिग्रहण किया था जिसका विवरण तालिका-2.5.2 में दिया गया है:

तालिका-2.5.2: राज्य संग्रहालय, शिमला द्वारा अधिग्रहित एवं वितरित वस्तुओं का विवरण (2016-20)
(वस्तु संख्या में व मूल्य ₹ लाख में)

वर्ष	अधिग्रहित प्राचीन वस्तु/ कलाकृतियां/ वस्तु				वितरित प्राचीन वस्तु/ कलाकृतियां/ वस्तु		
	खरीद	मूल्य	उत्खनन	मूल्य	राज्य संग्रहालय, शिमला	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला
2016-17	शून्य	शून्य	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
2017-18	392	4.24	12	शून्य	404	शून्य	शून्य
2018-19	351	3.86	25	शून्य	370	शून्य	06
2019-20	762	17.44	10	शून्य	710	शून्य	62
योग	1,505	25.54	57	शून्य	1,494	शून्य	68

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

तालिका से देखा जा सकता है कि:

- 2016-17 के दौरान संग्रहालयों द्वारा खरीद या उपहार द्वारा प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था। 2016-17 के दौरान उत्खनन के माध्यम से 10 प्राचीन वस्तुओं का अधिग्रहण किया गया।
- राज्य संग्रहालय ने 2016-20 के दौरान उत्खनन के माध्यम से प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन नहीं किया था।
- 2017-20 के दौरान राज्य संग्रहालय द्वारा खरीद के माध्यम से अधिग्रहित की गई 1,505 वस्तुओं में से 68 (पांच प्रतिशत) कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला को वितरित की गई, जबकि भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा को कुछ भी प्रदान नहीं किया गया था। शेष सभी वस्तुएं राज्य संग्रहालय, शिमला को आवंटित की गईं।

अध्यक्ष, राज्य संग्रहालय, शिमला ने बताया (फरवरी 2021) कि प्राचीन वस्तुओं व कला वस्तुओं को प्राचीन वस्तु एवं कला खजाने अधिनियम, 1972 के तहत खरीद, खोज व उपहार के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था तथा वस्तुओं का मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने संग्रहालयों के लिए कलाकृतियों/ वस्तुओं के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन हेतु कोई नीति/ योजना व मापदण्ड/ मानक तैयार नहीं किए थे तथा इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया कि मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा था।

2.5.4.2 संग्रहालय संग्रह के अभिप्राप्ति रजिस्ट्रों का रख-रखाव

संग्रहालयों में सभी प्राचीन वस्तुओं के प्राप्त होते ही उनका उचित लेखांकन किया जाना चाहिए। संग्रहालय की वस्तुओं की सुरक्षा एवं बचाव के लिए अभिप्राप्ति रजिस्टर का उचित तथा नियमित रख-रखाव आवश्यक है। संग्रहालय सुरक्षा के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों (अगस्त 2005) के अनुसार, अभिप्राप्ति रजिस्टर के स्तंभों (कॉलम) को वस्तुओं के विशिष्ट विवरण के साथ विधिपूर्वक पूरा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से सिक्के एवं तस्वीरें समुचित रूप से चिपकाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि संग्रहालयों के नमूना-जांचित अभिप्राप्ति रजिस्ट्रों की 719 प्रविष्टियों में से चंबा (135), धर्मशाला (80) एवं शिमला (504) में वस्तुओं के विवरण (तिथि या अवधि, स्थानीयता, टिप्पणी व संदर्भ तथा स्थान-कक्षा/ केस/ शैल्फ) रजिस्ट्रों में उचित रूप से नहीं दर्शाए गए, जैसा कि तालिका-2.5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5.3: नमूना-जांचित संग्रहालयों के अभिप्राप्ति रजिस्ट्रों में उल्लिखित नहीं की गई वस्तुओं के ब्यौरे का विवरण

(वस्तुओं की प्रविष्टियां संख्या में)

क्र.सं.	उल्लिखित नहीं किए गए ब्यौरे का विवरण	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला	राज्य संग्रहालय, शिमला
1.	अधिग्रहण की तिथि	102	58	208
2.	तिथि/ अवधि	94	47	348
3.	स्थान/ मूल	123	40	233
4.	संग्रहालय में स्थान (शैल्फ/ केस/ कक्षा)	135	80	504
5.	फोटोग्राफ (चिपका हुआ)	135	80	504
6.	टिप्पणियां या संदर्भ	91	25	39

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संग्रहालयों के अभिप्राप्ति रजिस्ट्रों का विधिपूर्वक अनुरक्षण नहीं किया गया था, जो संग्रहालयों में संग्रहों के प्रलेखीकरण में कमियों को इंगित करता है।

संबंधित संग्रहालय अध्यक्षाओं ने बताया (जुलाई 2019) कि संग्रहालय के प्राचीन वस्तुओं का अनुरक्षण संग्रहालय के मानदंडों के अनुसार किया जा रहा था तथा रजिस्टर में केवल उपलब्ध विवरण दर्ज किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिप्राप्ति रजिस्टर भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों (अगस्त 2005) के अनुसार पूरी तरह से नहीं भरे गए तथा संग्रहालय के प्राधिकारियों ने उनके द्वारा पालन किये जा रहे मानदंड प्रदान/ उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के विषय में स्थान, फोटोग्राफ, तिथि जैसे विवरणों की कमी दर्शाती है कि इन्हें प्रमाणिकता सुनिश्चित किए बिना अधिग्रहित किया गया था।

2.5.4.3 प्राचीन वस्तुओं/ संग्रहालय के संग्रहों का डिजिटल प्रलेखीकरण

डिजिटलीकृत प्रलेखीकरण का उद्देश्य आम जनता द्वारा ऑनलाइन देखने के लिए अपनी वेबसाइट पर संग्रहालय संग्रह का एक ऑनलाइन डेटाबेस आसानी से उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के निर्णय (अप्रैल 2008) के अनुसार संग्रहालय में उपलब्ध सभी कलाकृतियों को समयबद्ध तरीके से सूचीबद्ध एवं कम्प्यूटरीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय दिशा-निर्देश (2013) में निर्धारित है कि प्रत्येक संग्रहालय परिरक्षण, संरक्षण, व्याख्या, डिजाइन, प्रकाशन और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए संग्रहालय संग्रहों के डिजिटलीकृत दस्तावेज तैयार करें।

नमूना-जांचित संग्रहालयों के संग्रहों के डिजिटलीकरण से सम्बंधित विवरण तालिका-2.5.4 में दिए गए हैं:

तालिका-2.5.4: संग्रहालय के संग्रहों का डिजिटलीकरण

(संख्या में)

क्र.सं.	संग्रहालय	कुल संग्रह	डिजिटलीकृत संग्रह (कुल से प्रतिशतता)	कमी
1.	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा	5,097	997 (20)	4,100
2.	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला	5,054	0	5,054
3.	राज्य संग्रहालय, शिमला	11,604	7,666 (66)	3,938
योग		21,755	8,663 (40)	13,092

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए आकड़ें प्रतिशतता दर्शाते हैं।

अध्यक्ष, कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला ने दस्तावेजीकृत संग्रहों का डिजिटलीकरण न किये जाने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया। अध्यक्ष, भूरी सिंह संग्रहालय, चम्बा एवं राज्य संग्रहालय, शिमला ने बताया (जुलाई 2019) कि बुनियादी ढांचे के अभाव एवं श्रमशक्ति उपलब्ध न होने के कारण डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि संग्रहालय के संग्रहों का डिजिटलीकरण तकनीकी स्टाफ की कमी एवं संग्रहालय में नए पदों का सृजन न होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

2.5.4.4 दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विजुअल) एवं संवादपरक (इंटरैक्टिव) तकनीक के प्रदर्शन (डिस्प्ले) का अभाव

राज्य सरकार के निर्णयानुसार (अप्रैल 2008), सभी संग्रहालयों को ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति एवं टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान करनी थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

दिशा-निर्देश (2013) सभी आगंतुकों के लिए संग्रहालय की परिकल्पना एवं कथन को संप्रेषित करने के लिए मल्टी-मीडिया डिस्प्ले तथा इंटरैक्टिव तकनीक के उपयोग को निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2019) कि :

- सभी आगंतुकों के लिए संग्रहालय की परिकल्पना एवं कथन को संप्रेषित करने के लिए मल्टी-मीडिया डिस्प्ले व इंटरैक्टिव तकनीक मार्च 2021 तक किसी भी संग्रहालय में उपयोग में नहीं थी।
- चम्बा, कांगड़ा और शिमला के प्रत्येक संग्रहालय को ₹ 2.83 लाख⁷⁰ की लागत से तीन टच स्क्रीन कियोस्क के रूप में आवश्यक ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति व टच स्क्रीन सुविधाएं प्रदान की गई थी (2010)। हालांकि, 2010 से सॉफ्टवेयर के अभाव में सिस्टम परिचालन में नहीं थे। विभाग ने पिछले 10 वर्षों में इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया था। यह लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित (फरवरी-मार्च 2021) संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान भी देखा गया था जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों में दर्शाया गया है :



राज्य संग्रहालय, शिमला में
अकार्यशील टच स्क्रीन कियोस्क
(02 मार्च 2021)



भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा में
अकार्यशील टच स्क्रीन कियोस्क
(23 फरवरी 2021)



कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला
में अकार्यशील टच स्क्रीन
कियोस्क (26 फरवरी 2021)

इस प्रकार, विभाग संग्रहालयों में मल्टी-मीडिया डिस्प्ले एवं इंटरैक्टिव तकनीक उपलब्ध कराने में विफल रहा।

अध्यक्ष, हिमाचल राज्य संग्रहालय ने बताया (जुलाई 2019) कि कियोस्क के साथ और कोई सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए सरकार से राशि की मांग की गई थी (2018)। सूचना उपलब्ध कराने के लिए बार-कोडिंग का कार्य प्रगति पर था।

⁷⁰ भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा: ₹ 1.01 लाख; कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला: ₹ 1.01 लाख और हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला: ₹ 0.81 लाख।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संग्रहालयों ने 2018 तक कियोस्क के उपयोग के लिए पहल नहीं की थी जो संग्रहालयों में मल्टीमीडिया डिस्प्ले एवं इंटरैक्टिव तकनीकों का कार्यान्वयन नहीं होने में परिणत हुआ है।

2.5.4.5 संग्रहालयों में वस्तुओं का प्रदर्शन

लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहालयों के प्रतिनिधियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2019 एवं फरवरी 2021) में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) प्रदर्शित वस्तुओं का विवरण

भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा एवं कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला में वस्तुओं का प्रदर्शन विशिष्ट विषयों के अनुसार नहीं था। आगंतुकों की जानकारी हेतु कुछ वस्तुओं पर विस्तृत विवरण अंकित/ सूचीबद्ध नहीं किए गए थे जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों में दिखाया गया है:



भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा में बिना विवरण के कुछ वस्तुएं
(23 फरवरी 2021)

कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला में बिना विवरण के कुछ
वस्तुएं (26 फरवरी 2021)

(ii) संग्रहालय के मुख्य द्वार के समीप खुले में पत्थर की मूर्तियां

कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला में, संग्रहालय संग्रह (प्राचीन वस्तुओं) की वस्तुओं के रूप में अभिप्राप्ति रजिस्टर में दर्ज की गई पत्थर की मूर्तियों को संग्रहालय के मुख्य द्वार के पास फुटपाथ के किनारों पर खुले में प्रदर्शित किया गया था (फोटोग्राफ)। इससे इन वस्तुओं का बाहरी लोगों/ शरारती तत्वों द्वारा चोरी एवं क्षति का जोखिम था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में होने वाली बारिश/ धूप/ मौसम की स्थितियों के परिणामस्वरूप इन संग्रहों की अवनति होने की संभावना थी।



कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला में खुले में रखी गई प्राचीन मूर्तियां (26 फरवरी 2021)

इस प्रकार, संग्रहालय के प्राधिकारियों ने सुरक्षित तरीके से वस्तुओं का परिरक्षण/ बचाव सुनिश्चित नहीं किया था।

कांगड़ा कला संग्रहालय के अध्यक्ष ने कहा (जुलाई 2019) कि जनता को आकर्षित करने हेतु एप्रोच रोड के किनारे पत्थर की मूर्तियां स्थापित की गई थीं एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि, उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि खुले में रखी गई इन वस्तुओं को विभिन्न जोखिमों से कैसे बचाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितंबर 2021) कि संग्रहालय के मानकों के अनुसार, प्रत्येक संग्रहालय में विवरण डिजिटल एवं आभासी रूप में उपलब्ध किया गया है एवं प्रादेशिक संग्रहालयों में कमियों को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। हालांकि, विभाग ने लेखापरीक्षा को कोई मानक उपलब्ध नहीं कराए।

2.5.4.6 दिव्यांगजनों की संग्रहालय गैलरी तक पहुंच न होना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय दिशा-निर्देश (2013) दिव्यांगजनों की संग्रहालय में गैलरी एवं आगंतुक सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थाएं करना निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी संग्रहालय ने संग्रहालय की प्रथम एवं द्वितीय मंजिल पर स्थित गैलरी में विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुंच हेतु कोई व्यवस्था नहीं की थी। लिफ्टों की कोई व्यवस्था नहीं थी, एवं प्रदर्शित कलाकृतियों का विवरण दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु ब्रेल में नहीं था। इसके अतिरिक्त, संग्रहालयों में शारीरिक रूप से विकलांग/ दिव्यांगजन आगंतुकों हेतु व्हील चेयर का कोई प्रावधान नहीं था। संग्रहालय के अधिकारियों ने इस मामले में मार्च 2021 तक कोई कदम नहीं उठाया था।

संग्रहालयों के अध्यक्षों ने बताया (जुलाई 2019) कि सभी हेतु आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि संग्रहालयों में दिव्यांगजनों की पहुंच उपलब्ध कराने की संभाव्यता का पता लगाने हेतु इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के साथ उठाया गया था।

2.5.5 संग्रहालयों में वस्तुओं का संरक्षण

2.5.5.1 प्रदर्शन एवं भंडारण में वस्तुओं का नियमित रख-रखाव

संग्रहालयों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिशा-निर्देश (2013) साइट के संरक्षण तथा भंडार में रखे हुए संग्रहों के दीर्घकालिक परिरक्षण एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। संग्रहालयों को निवारक उपायों, संरक्षण एवं निरंतर निगरानी की एक संग्रह देखभाल योजना तैयार करनी थी जिससे प्रदर्शन एवं आरक्षित दोनों में रखे संग्रह वस्तुओं पर जलवायु परिस्थितियों, प्रकाश, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि आदि के प्रभाव का आकलन किया जा सके, विशेषकर यदि वे कमजोर व अरक्षित हैं।

संग्रहालयों को प्रदर्शन एवं भंडार के संग्रह की नियमित एवं उचित सफाई सुनिश्चित करने हेतु मानक नियमावली तैयार एवं प्रदान करनी चाहिए एवं प्रशिक्षण देना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) संरक्षण हेतु संग्रह देखभाल योजना तैयार न करना

किसी भी संग्रहालय ने वस्तुओं के संरक्षण हेतु कोई संग्रह देखभाल योजना तैयार नहीं की थी जिसके अभाव में कमजोर वस्तुओं की पहचान, अवनति आदि का आकलन उपलब्ध नहीं था।

(ii) आर्द्रता एवं तापमान नियंत्रण

तीनों संग्रहालयों में शौकेस में सापेक्ष आर्द्रता को नियंत्रित करने हेतु यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

(iii) एल.ई.डी नहीं लगाना

भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा में संग्रहालय के साथ-साथ शौकेस में कोई एल.ई.डी. नहीं लगाई गई थी जबकि मौजूदा ट्यूब लाइटों में उच्च चमकदार तीव्रता होती है जो संवेदनशील लघु चित्रों के रंग को नुकसान पहुंचाएगी।

(iv) वस्तुओं की सफाई

भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा में उपलब्ध एकमात्र वैक्यूम क्लीनर (अक्टूबर 1988 में खरीदा गया) जुलाई 2019 से काम नहीं कर रहा था।

हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला के अध्यक्ष ने बताया (जुलाई 2019) कि संग्रहालय संरक्षण दल संग्रहालय की वस्तुओं पर नियमित रूप से कार्य करता है। कर्मियों की कमी का मामला सरकार के समक्ष उठाया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि कर्मियों की कमी के कारण संरक्षण की प्रक्रिया समान अनुपात में धीमी है। हिमाचल प्रदेश में संग्रहालय नवीनीकरण एवं विस्तार की प्रक्रिया में हैं एवं भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में एलईडी लाइट लगाने का कार्य प्रगति पर है।

तथापि, तथ्य यह है कि संग्रहालयों ने न तो एकत्रित की गई/ खोजी गई वस्तुओं के संरक्षण हेतु संग्रह देखभाल योजना तैयार की थी और न ही प्रदर्शन एवं भंडारण में रखी वस्तुओं को उचित रूप से व्यवस्थित/ प्रबंधित किया था जिसके परिणामस्वरूप समय बीतने के साथ उनकी अवनति होगी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने संग्रह देखभाल योजना तैयार न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए थे।

2.5.5.2 संरक्षण प्रयोगशाला का सुदृढीकरण

संग्रहालयों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिशा-निर्देश (2013) में वस्तुओं के विश्लेषण एवं स्वस्थाने संरक्षण हेतु सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण एवं संग्रहालय कार्मिकों को संरक्षण की नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान हैं।

नमूना-जांचित संग्रहालयों की प्रयोगशालाओं में वस्तुओं के संरक्षण हेतु आवश्यक एवं वास्तव में उपलब्ध प्रमुख उपकरणों का विवरण तालिका-2.5.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5.5: उपकरणों की अनुपलब्धता का विवरण

क्र.सं.	संरक्षण उपकरण	संरक्षण कार्य जिस हेतु आवश्यकता थी	उपलब्धता का विवरण		
			राज्य संग्रहालय, शिमला	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला
1.	विलवणीकरण संयंत्र	पत्थर की कलाकृतियों का विलवणीकरण	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	अल्ट्रासोनिक/ लेजर क्लीनर	पत्थर/ धातु की कलाकृतियों पर बाहरी अवसादन की सफाई	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	कार्बनिक रंग	चित्रों के संरक्षण के लिए	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4.	उच्च विभेदन सूक्ष्मदर्शी		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	लकड़ी भरने वाले	लकड़ी की कलाकृतियों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	संरक्षण मेज	पांडुलिपियों का पुनरुद्धार/ उपचार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	चमड़े की चादरों के लिए तेल	चमड़े के कार्यों का संरक्षण	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	गैर-अम्लीकरण कक्ष	पांडुलिपियों का गैर-अम्लीकरण	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	यूवी/ आईआर लैंप	पांडुलिपियों का परिरक्षण	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	दाग हटाना/ सफाई एजेंट	लकड़ी की कलाकृतियाँ	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी संग्रहालयों की संरक्षण प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण उपकरण नहीं थे। इन उपकरणों के अभाव से संग्रहालयों में कलाकृतियों के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संग्रहालय में संरक्षण प्रयोगशालाओं को चलाने हेतु कुशल/ प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे। किसी भी संग्रहालय में रसायनज्ञ एवं संरक्षक का कोई पद नहीं था। विभाग ने मौजूदा कर्मचारियों को संरक्षण के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त रूप से योजना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं की थी जैसा कि अनुच्छेद-2.5.7.2 में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष, राज्य संग्रहालय शिमला ने बताया (जुलाई 2019) कि संरक्षण उपकरण महंगे थे एवं संचालन हेतु कुशल जनशक्ति/ कार्मिकों की आवश्यकता थी। चंबा एवं कांगड़ा स्थित संग्रहालयों के अध्यक्षों ने संरक्षण हेतु सुसज्जित प्रयोगशालाओं की स्थापना/ सुदृढीकरण नहीं करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि जहां संरक्षण कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, वहां संग्रहालयों को उपकरण उपलब्ध कराने के बजाय विभाग सभी संग्रहालयों की कलाकृतियों के उपचारात्मक संरक्षण हेतु

राज्य संग्रहालय, शिमला में एक केंद्रीय सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित करने की पहल कर रहा था।

2.5.6 संग्रहालयों में सुरक्षा एवं अग्नि प्रबंधन

कला वस्तुओं की रक्षा एवं सुरक्षा संग्रहालयों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक थी।

2.5.6.1 सुरक्षा प्रबंधन में कमियां

भारत सरकार की योजना 'क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों का प्रचार एवं सुदृढीकरण' के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संग्रहालय के पास प्राचीन वस्तुओं/ कला वस्तुओं की हानि/ क्षति/ चोरी की विभिन्न घटनाओं से निपटने की आवश्यकताओं⁷¹ को संदर्भ में रखते हुए अपनी एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

नमूना-जांचित संग्रहालयों में विभिन्न सुरक्षा मापदंडों की प्रास्थिति तालिका-2.5.6 में दी गई है।

तालिका-2.5.6: सुरक्षा मापदंडों में कमियों का विवरण

क्र.सं.	सुरक्षा मापदंड	राज्य संग्रहालय, शिमला	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला
1.	आग/ धुआं, डकैती, बिजली की विफलता, क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) पर संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने आदि के खिलाफ आकस्मिक योजना।	तैयार नहीं किया गया	तैयार नहीं किया गया	तैयार नहीं किया गया
2.	चोरी के खिलाफ इन्फ्रारेड अलार्म सिस्टम	स्थापित नहीं है	स्थापित नहीं है	स्थापित नहीं है
3.	इंटरकॉम नेटवर्किंग	केवल संग्रहालय की सेना गैलरी में स्थापित	नहीं है	नहीं है
4.	सुरक्षा ड्रिल	रिकॉर्ड नहीं रखा गया	रिकॉर्ड नहीं रखा गया	रिकॉर्ड नहीं रखा गया
5.	डोर फ्रेमड मेटल डिटेक्टर (DFMD)/ हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD)/ एक्स-रे स्कैनर	नहीं है	डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर उपलब्ध हैं	नहीं है
6.	सीसीटीवी निगरानी प्रणाली	स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी नहीं लगाए गए	सीसीटीवी निगरानी प्रणाली गैर-कार्यात्मक	सीसीटीवी मॉनिटर्स नहीं लगे हैं
7.	पावर बैक-अप सिस्टम	हां	हां	नहीं
8.	शौकेस और स्टोरेज में इलेक्ट्रॉनिक लॉक	नहीं	नहीं	नहीं

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

⁷¹ बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए चार-परत कवरेज, प्रभावी अभिगम नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, सुरक्षा के लिए आगंतुक प्रवाह जांच, खुफिया नेटवर्किंग, सुरक्षा के लिए स्थानिक योजना आदि।

इस प्रकार, संग्रहालयों के सुरक्षा विषयों का पर्याप्तता से निदान नहीं किया गया था। संग्रहालयों में विभिन्न सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन न करने से उनकी चोरी/ क्षति/ प्राचीन वस्तुओं/ कला वस्तुओं की हानि का जोखिम हो गया था। किसी भी संग्रहालय प्राधिकारी ने कमियों का कारण नहीं बताया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन संग्रहालयों में सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया था।

2.5.6.2 अग्नि प्रबंधन में कमियां

भारत सरकार के 'क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के प्रचार एवं सुदृढ़ीकरण' के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संग्रहालयों में फायर साइनेज (ऑटो ग्लो) एवं फायर प्रूफ वायरिंग (सिलिकॉन) के साथ एक पूर्ण फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। अग्निशमन⁷² एवं नियमित रूप से प्रत्येक माह अग्नि अभ्यास का आवश्यक प्रावधान होना चाहिए। अग्निशमन एवं विद्युत तंत्र के नियमित निरीक्षण हेतु विभाग को स्थायी समिति का गठन करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित संग्रहालयों में अग्नि प्रबंधन मापदंड में कमियां थीं जैसा कि तालिका-2.5.7 में वर्णित है:

तालिका-2.5.7: अग्नि प्रबंधन मापदंडों में कमियों का विवरण

क्र.सं.	अग्नि सुरक्षा-निवारक एवं अग्निशामक उपाय	राज्य संग्रहालय, शिमला	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला
1.	फायर साइनेज (ऑटो ग्लो) और फायर प्रूफ वायरिंग (सिलिकॉन) के साथ फायर अलार्म सिस्टम	उपलब्ध	स्थापित नहीं है	स्थापित नहीं है
2.	फायर कंट्रोल रूम में 24 घंटे तैनाती	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
3.	अग्निशमन के लिए अग्निशामक जल	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
4.	आग बुझाने वाला पानी	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5.	नियमित अग्नि अभ्यास	आयोजित नहीं किया गया	आयोजित नहीं किया गया	आयोजित नहीं किया गया
	नियमित फायर ड्रिल का रजिस्टर	अनुरक्षित नहीं किया गया	अनुरक्षित नहीं किया गया	अनुरक्षित नहीं किया गया
6.	अग्निशमन एवं विद्युत प्रणालियों के निरीक्षण हेतु विभागीय स्थायी समिति	कर्मियों को अग्निशमन अधिकारी के रूप में नामित किया गया	कर्मियों को अग्निशमन अधिकारी के रूप में नामित किया गया	कर्मियों को अग्निशमन अधिकारी के रूप में नामित किया गया

⁷² अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक जल और अग्निशमन उपकरण, अग्नि नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे तैनाती की जाए।

7.	दमकल अधिकारियों द्वारा अग्निशामक और विद्युत प्रणालियों के निरीक्षण के लिए निर्धारित समय	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं
8.	दमकल अधिकारियों द्वारा हर माह में एक बार अग्निशमन एवं विद्युत प्रणालियों का निरीक्षण	रिकॉर्ड नहीं रखा गया	रिकॉर्ड नहीं रखा गया	रिकॉर्ड नहीं रखा गया

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

अध्यक्ष राज्य संग्रहालय, शिमला ने बताया (मार्च 2021) कि अग्नि नियंत्रण का प्रबंधन कार्यालय समय के बाद संग्रहालय की बिजली बंद करके किया जा रहा था। अन्य दो संग्रहालयों के अध्यक्षों ने कमियों का कारण नहीं बताया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत शॉर्ट सर्किट अग्नि दुर्घटना का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। आग अन्य कारणों से भी लग सकती है एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु अग्नि नियंत्रण कक्ष अनिवार्य है।

2.5.6.3 संग्रहालयों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करना

संग्रहालयों हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों (मई 2017) के अनुसार, संग्रहालय सुरक्षा एवं संग्रह प्रबंधन हेतु विभाग/ संग्रहालय प्राधिकारियों से तत्काल कुछ कार्यों⁷³ को प्राथमिकता देना/ करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग/ संग्रहालय प्राधिकारी ने मार्च 2021 तक उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता देकर कार्रवाई नहीं की थी। संग्रहालयों ने न तो आपदा जोखिम प्रबंधन योजना (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित) बनाई थी एवं न ही इस हेतु उपयुक्त प्रावधान किए थे। संग्रहालयों ने आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं करवाया था एवं प्राकृतिक आपदा के मामले में कोई आपातकालीन योजना/ निकासी योजना नहीं थी।

संग्रहालयों के अध्यक्षों ने बताया (मार्च 2021) कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि संग्रहालयों हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुसार इस मामले में विभाग/ संग्रहालयों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

⁷³ प्रशिक्षित पेशेवरों का डेटाबेस सुनिश्चित करें जिन्हें आपात स्थिति के दौरान जुटाया जा सकता है; राज्य आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत संग्रहालयों के लिए समन्वित रणनीति तैयार करना और संग्रहालयों को सुव्यवस्थित करना; आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं विकसित करना और इसे जिला/ राज्य में संचालित बड़े आपदा जोखिम ढांचे के कार्यों से जोड़ना; सामान्य डेटाबेस में संग्रह का डिजिटलीकरण, प्राथमिकता और सुव्यवस्थित करना; संस्थागत स्तर पर प्रशिक्षण गतिविधियों और अभ्यास (क्षमता निर्माण) का रोस्टर बनाए रखना और नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा और रख-रखाव गतिविधियों को बनाए रखना।

2.5.7 संग्रहालयों में जनशक्ति प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण

2.5.7.1 संग्रहालयों में रिक्तियां

लेखापरीक्षा ने देखा कि संग्रहालय संबंधित गतिविधियों से निपटने वाले तकनीकी कर्मचारियों की कमी थी जैसा कि नीचे तालिका-2.5.8 में विवरण दिया गया है:

तालिका-2.5.8: नमूना-जांचित संग्रहालयों के कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या पद का नाम	संस्वीकृत संख्या	तैनात कर्मी	रिक्त पद	रिक्ति की अवधि
1. हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला				
संग्रहालय अध्यक्ष-I	1	1	शून्य	-
संरक्षण अधिकारी	1	1	शून्य	-
संरक्षण सहायक	1	1	शून्य	-
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	शून्य	-
गैलरी परिचारक	15	7	8	2007 से
2. भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा				
संग्रहालय अध्यक्ष-II	1	शून्य	1	2017 से
संरक्षण सहायक	1	शून्य	1	2003 से
प्रशिक्षक	1	शून्य	1	2017 से
तकनीकी सहायक	1	शून्य	1	2015 से
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	1	1	शून्य	-
गैलरी परिचारक	9	3	6	2006 से
3. कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला				
संग्रहालय अध्यक्ष-II	1	1	शून्य	-
संरक्षण सहायक	1	1	शून्य	-
तकनीकी सहायक	1	शून्य	1	2002 से
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	1	1	शून्य	-
गैलरी परिचारक	2	2	शून्य	-

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

संग्रहालयों में, विशेष रूप से भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा, में प्रमुख पदाधिकारियों की कमी से संग्रहालयों के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जैसा कि पूर्ववर्ती परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

संग्रहालय के अध्यक्षों ने बताया कि पदों को भरने का मामला निदेशालय के समक्ष उठाया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, भाषा, कला एवं संस्कृति ने बताया (सितम्बर 2021) कि विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ रिक्त पदों को भरा था एवं आवश्यक रिक्त एवं सुरक्षा पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

2.5.7.2 तकनीकी एवं परिरक्षण स्टाफ का प्रशिक्षण

राज्य सरकार के निर्देशों (अप्रैल 2008) के अनुसार विभाग से संग्रहालय के कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी 2021) कि इन संग्रहालयों ने न तो राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (एनआरएलसी), लखनऊ में संग्रहालय के कर्मचारियों⁷⁴ के प्रशिक्षण हेतु योजना तैयार की थी एवं न ही 2008-20 के दौरान संरक्षण कर्मचारियों, अध्यक्षों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं गैलरी परिचारकों को सिवाय चार अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया था। कर्मचारियों को कोई दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

अध्यक्षों ने प्रशिक्षण प्रदान न करने का कारण स्टाफ की कमी बताया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समय एवं संरक्षण तकनीकों के परिवर्तन के साथ, कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक की ओर उन्मुख होना पड़ता है।

2.5.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने संग्रहालयों की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण कमियां देखीं। विभाग ने न तो प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों/ वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रलेखीकरण एवं संरक्षण हेतु नीति/ दिशा-निर्देश तैयार किए थे एवं न ही संग्रहालयों के प्रबंधन हेतु गतिविधि-वार आवधिक लक्ष्यों को दर्शाते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार की थी। कलाकृतियों की वास्तविकता का आकलन करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। संग्रहालयों में अभिप्राप्ति रजिस्टर के व्यवस्थित रख-रखाव का काफी हद तक अभाव था। अधिग्रहित कलाकृतियों के खराब प्रलेखीकरण एवं प्रलेखीकरण हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के पूर्ण न होने के कारण, कलाकृतियों को क्षति/ हानि पहुंचने का जोखिम था। संग्रहालयों ने दिव्यांगजनों की गैलरी तक आसान पहुंच हेतु प्रावधान नहीं किया था। संरक्षण प्रयोगशालाएं सुसज्जित नहीं थीं क्योंकि इनमें प्रमुख संरक्षण उपकरण एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कुशल कर्मचारियों की कमी थी। संग्रहालयों की सुरक्षा प्रणाली में कमी थी एवं आगंतुकों की प्रभावी निगरानी/ ट्रैक का अभाव था। संग्रहालयों में जनशक्ति (प्रमुख पदाधिकारियों) की कमी संग्रहालयों के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

योजना, अधिग्रहण, प्राचीन वस्तुओं/ वस्तुओं का प्रलेखीकरण एवं प्रदर्शन, वस्तुओं का संरक्षण, सुरक्षा एवं अग्नि प्रबंधन, जनशक्ति प्रबंधन आदि सहित संग्रहालयों के प्रबंधन के हर पहलू में कमियां संग्रहालयों के प्रबंधन में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को परिलक्षित करती हैं।

⁷⁴ क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला, मैसूर में दीवार पेंटिंग के दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (राज्य संग्रहालय, शिमला: 2008 में एक संरक्षण सहायक; कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला: 2008 में एक संरक्षण सहायक); 2010 में एनआरएलसी, लखनऊ में कला वस्तुओं के सामान्य संरक्षण का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं 2017 में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली में पाण्डुलिपि के उपचारात्मक संरक्षण पर उच्च प्रशिक्षण।

2.5.9 सिफारिशें

सरकार विचार करें :

- एक व्यापक नीति/ दिशा-निर्देश तैयार करना और संग्रहालयों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करना एवं कला वस्तुओं के अधिग्रहण, संरक्षण या प्रलेखीकरण हेतु मानदंड/मानक तय करना।
- जीर्णोद्धार/ संरक्षण की आवश्यकता वाली कला वस्तुओं की पहचान करने हेतु उपयुक्त तंत्रों को विकसित करना एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु योजना तैयार करना।
- राज्य के सभी संग्रहालयों के सभी प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों के डिजिटलीकृत प्रलेखीकरण में तीव्रता लाना एवं उनके केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस का रख-रखाव करना।
- संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुओं/ कलाकृतियों/ वस्तुओं की चोरी, क्षति एवं नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु उचित सुरक्षा उपायों को अपनाना।

अध्याय-III

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-III
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड

3.1 हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड - प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर निष्फल-व्यय, ₹ 7.82 करोड़

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड ने प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट (परियोजना) पर ₹7.82 करोड़ व्यय किए परन्तु उसका उपयोग नहीं किया। ₹ 2.74 करोड़ की अतिरिक्त देयता अभी भी बकाया है।

भारत सरकार⁷⁵ ने केंद्रीकृत प्रयोज्यता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के कार्यालयों की आंतरिक व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी (मार्च 2015)। प्रोजेक्ट ₹8.83 करोड़ के सहायता-अनुदान⁷⁶ के कुल परिव्यय सहित तीन वर्ष (जून 2015 से जून 2018) की समयावधि का था। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (14), फल प्रसंस्करण इकाइयों (3), शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) (2) तथा मुख्यालय को एकीकृत करना था जिससे पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सके ताकि परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके एवं वास्तविक समय आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी की उपलब्धता प्रदान की जा सके। बेहतर मानव संसाधन (एच आर) प्रबंधन; आपूर्ति व विनिर्माण की बाधाओं को कम करना; परिवहन, वेयरहाउस वितरण लागत घटाना तथा बेहतर ग्राहक प्रबंधन परिकल्पित लाभ थे।

अलग से किसी प्रकार की परियोजना प्रबंधन इकाई नहीं बनाई गई थी। एचपीएमसी स्वयं परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में काम कर रहा था। वह हितधारकों के मध्य समन्वय, आधारभूत संरचना का निर्माण मानक के अनुरूप सुनिश्चित करना, समय-सीमा एवं सेवा स्तर अनुबंध की निगरानी, एप्लीकेशन की उपयोगकर्ता स्वीकार्यता जांच संचालित करने, आंतरिक क्षमता निर्माण एवं किसी भी अन्य प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था।

⁷⁵ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

⁷⁶ केन्द्रीय अंश: ₹ 7.90 करोड़ (₹ 3.94 करोड़ की प्रथम किस्त मार्च 2015 में जारी की गई) तथा राज्यांश: ₹ 0.93 करोड़।

एचपीएमसी के अतिरिक्त निजी एवं सार्वजनिक एजेंसियां भी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में लगी थीं। इनकी भूमिका निम्नवत थी:

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एचपीएमसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा प्रारूप बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना था।
- एचपीएमसी ने प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया था जिसको एचपीएमसी की आवश्यकतानुसार एसएपी का ग्राहकीकरण करना था। इसके अतिरिक्त, सिस्टम इंटीग्रेटर का कार्य मुख्यतः प्रोजेक्ट की कार्य-योजना, डिज़ाइन बनाना, सिस्टम विकसित करना एवं डेटा का डिज़िटीकरण/स्थानांतरण करना था।
- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एचपीएमसी ने एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया जिसके लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु एसएपी इंटरप्राइज को सहायता शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था।
- कंपनी ने प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध करवाने के लिए विप्रो लिमिटेड को नियुक्त किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2019) से उजागर हुआ कि कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:

- i. 16 नवम्बर 2017 को स्वीकृति हेतु प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का आकलन करते समय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देखा कि विकसित की गई एप्लीकेशन वेब आधारित नहीं थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस बहुत जटिल था तथा मॉड्यूलस् एचपीएमसी की आवश्यकतानुसार डिज़ाइन नहीं किए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एचपीएमसी से सिफारिश की, कि प्रत्येक प्रक्रिया पर उन लोगों से चर्चा की जानी चाहिए जो उस डोमेन विशेष से सम्बंधित हैं।
- ii. प्रोजेक्ट को फरवरी 2018 में लाइव कर दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस प्रणाली का अधिक उपयोग नहीं किया गया था। उदाहरणस्वरूप गो-लाइव के नौ माह पश्चात् भी गुम्मा शाखा के अंतर्गत झाकड़ी स्थित सेब संग्रह केंद्र में मात्र तीन प्रविष्टियां ही की गई थी। एचपीएमसी ने यह आकलन करने के लिए कि सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

उपर्युक्त के बावजूद, प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी ने उचित रूप से उपयोगकर्ता स्वीकृति (यूजर एक्सेप्टेंस) की जांच किए बिना प्रमाणित किया (जनवरी 2019) कि प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट पूरा किया था। एचपीएमसी ने प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को ₹ 7.82 करोड़ का भुगतान किया था जैसा कि **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है। यद्यपि फरवरी 2019 से किसी भी मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब प्रोजेक्ट अकार्यशील है क्योंकि एसएपी. उद्यम, जो ई.आर.पी. (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) हेतु लाइसेंस प्रदान करता है, ने भी अपनी लाइसेंस फीस का भुगतान न करने के कारण अपनी सेवाएं रद्द कर दी थी (दिसम्बर 2019)।

भारत सरकार ने सहायता-अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए एचपीएमसी से दिल्ली में आयोजित (13 अगस्त 2019) बैठक में प्रोजेक्ट समाप्ति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट), समेकित अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के प्रमाण के रूप में एचपीएमसी की कार्यप्रणाली तथा कृषकों व अंतिम उपयोगकर्ता को हुए इसके लाभों से सम्बंधित एक लघु वीडियो फिल्म प्रस्तुत करने को कहा। इस प्रकार की किसी रिपोर्ट को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने सम्बन्धी कोई अभिलेख नहीं है। प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी ने निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को 15 जनवरी 2020 को सूचित किया कि “एचपीएमसी में प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है।” भारत सरकार ने जून 2020 में दूसरी किस्त (₹ 3.91 करोड़) जारी की।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2021) प्रशिक्षित आईटी स्टाफ की कमी एवं परामर्शदाताओं की सेवा की अनुपलब्धता को विफलता का जिम्मेदार बताया। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि श्रम-शक्ति के मुद्दों पर प्रोजेक्ट के योजना चरण में विचार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, परामर्शदाता प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु एवं रख-रखाव अवधि के दौरान भी उपलब्ध थे परन्तु कंपनी सम्पूर्ण अवधि में परियोजना को संचालित नहीं कर सकी।

एचपीएमसी ने ₹ 8.83 करोड़ के कुल सहायता-अनुदान के प्रति ₹ 11.57 करोड़ का कुल व्यय किया तथा इस प्रकार प्रोजेक्ट से बिना कोई लाभ प्राप्त किए ₹ 2.74 करोड़ की अतिरिक्त देयता निर्मित की।

सिफारिश: सरकार अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने, एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार करें।

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.2 हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अनुबंध प्रबंधन

कंपनी ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 41 परियोजनाओं का निष्पादन किया। कार्य सौंपने एवं उसके उपरांत, कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ। अनुचित मूल्य भिन्नता, अस्वीकार्य भुगतान व परिनिर्धारित नुकसान का अनुद्ग्रहण सहित वित्तीय सुरक्षा उपायों को लागू न करने के उदाहरण देखे गए, जिनमें परिनिर्धारित नुकसान भी शामिल पाया गया।

3.2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) का गठन (अगस्त 2008) राज्य में ट्रांसमिशन नेटवर्क (संचरण जाल) को मजबूत करने एवं आगामी विद्युत उत्पादन संयंत्रों से विद्युत के निष्क्रमण की सुविधा के लिए किया गया था। इसे वर्ष 2010 में राज्य संचरण जनोपयोगी सेवा का दर्जा दिया गया था। इसे 66 किलोवाट एवं उससे अधिक की ट्रांसमिशन लाइनों व सब-स्टेशनों से संबंधित सभी नए कार्यों के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। अनुबंधों से संबंधित कंपनी की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट-3.2 में दी गई है।

अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक तीन वर्षों में अनुबंधों की योजना, कार्य सौंपने एवं निष्पादन की जांच करने के लिए अक्टूबर 2020 व दिसंबर 2020 के बीच लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। 2017-20 के दौरान निष्पादित 41 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं का चयन बिना प्रतिस्थापन विधि के आकार के अनुपात में संभाव्यता का उपयोग करके किया गया था। जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में वर्णित है।

तालिका-3.2.1: परियोजनाओं की प्रास्थिति

अवधि/वर्ष	सौंपे गए	सौंपे जाने का मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रगति में	पूर्ण
	क	ख	ग ('क' में से)	घ ('क' में से)
2017-18 तक	26	1,728.46	11	15
2018-19	08	449.65	08	0
2019-20	07	315.78	07	0

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- कार्यों को सौंपने के लिए उचित निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया था;
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित किए गए थे; तथा

- विचलन एवं समय के विस्तार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित माना गया एवं अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

नमूना जांच हेतु चयनित 14 परियोजनाओं में, कार्य प्रदान करने में विलम्ब, आपूर्ति समझौते में विरोधाभासी प्रावधान, अस्वीकार्य भुगतान, कर का परिहार्य भुगतान, समय विस्तार की अनियमित अनुमति एवं निष्पादन गारंटी की कम जमा राशि जैसे मुद्दे देखे गए थे। इन मुद्दों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है :

3.2.2 कार्य सौंपने में विलम्ब

छ: परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदनोपरांत 15 से 40 महीनों के मध्य कार्य सौंपे गए थे। ये कार्य 28 से 66 महीनों के विलम्ब से पूरे किए गए जैसा कि नीचे तालिका-3.2.2 में वर्णित है:

तालिका-3.2.2: कार्य सौंपने एवं परियोजना पूर्ण होने में विलंब

क्र. सं.	कार्य का नाम	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन की तिथि	सौंपे जाने की तिथि	सौंपे गए कार्य के अनुसार पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कार्य सौंपने में विलम्ब (माह)	पूर्ण होने में विलम्ब (माह)
1.	33/132 के वी, सब-स्टेशन, चंबी	05 जून 2012	01.10.2015	अप्रैल 2017	20.08.2019	40	28
2.	220 के वी लाइन लाहल से बुधिल जल विद्युत परियोजना	05 जून 2012	11.03.2015	मार्च 2016	29.06.2020	33	51
3.	33/220/400 के वी लाहल सब-स्टेशन	24 जून 2013	20.09.2014	सितंबर 2017	30.06.2020	15	34
4.	220/400 के वी, सब-स्टेशन, प्रगति नगर	06 अप्रैल 2011	25.10.2013	अप्रैल 2015	02.11.2020	30	66
5.	66 के वी, उरनी सब-स्टेशन	05 जून 2012	07.06.2014	सितंबर 2015	30.09.2020	24	61
6.	66/220/400 के वी, वांगतू सब-स्टेशन, 400 के वी करछम: काला अम्ब ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किटों का निर्माण।	14 मार्च 2012	24.07.2013	मई 2015	29.09.2021	16	52

3.2.3 अनुबंध में कमियां

लेखापरीक्षा ने एक परियोजना में पाया कि अनुबंध में अनियमितताओं से मूल्य विचलन के लिए अनुचित भुगतान संभव हुआ। लाहल सब-स्टेशन⁷⁷ के निर्माण के लिए, सितंबर 2014 में एक ठेकेदार को आपूर्ति-सह-सेवा अनुबंध दिया गया था। आपूर्ति अनुबंध ₹ 185.55 करोड़ एवं 1,11,900 अमेरिकी डॉलर का था। सेवा अनुबंध ₹ 46.90 करोड़ के लिए था। अनुचित मूल्य विचलन निम्नलिखित उदाहरणों में दिया गया था-

(i) आपूर्ति अनुबंध में विरोधाभासी प्रावधान

बोलीदाताओं को दिए निर्देशों⁷⁸ के अनुसार, लो टेंशन/ पावर ट्रांसफार्मर, सिविल कार्यों एवं ट्रांसमिशन परियोजना के लिए संबद्ध परिनिर्माण घटक⁷⁹ को छोड़कर, किसी प्रकार का मूल्य विचलन स्वीकार्य नहीं था। अनुबंध की शर्तों में भी बाहर से खरीदी गई मर्दों⁸⁰ पर मूल्य विचलन का प्रावधान नहीं था।

ये दो प्रावधान विरोधाभासी हैं क्योंकि इस अनुबंध में पावर ट्रांसफार्मर एक बाहर से खरीदी हुई वस्तु थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार ने पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के संबंध में मूल्य विचलन का दावा किया (05 फरवरी 2019), जिसके लिए कंपनी ने ₹ 6.33 करोड़ का भुगतान किया (मई 2019)। चूंकि पावर ट्रांसफार्मर⁸¹ एक बाहर से खरीदी गई वस्तु थी, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹ 6.33 करोड़ के मूल्य विचलन का भुगतान स्वीकार्य नहीं था। कंपनी द्वारा ठेकेदार को ₹ 6.33 करोड़ का भुगतान करने से पहले विसंगतियों का समाधान करना चाहिए था।

(ii) सेवा अनुबंध में मूल्य विचलन खंड का समावेश

सेवा अनुबंध हेतु बोलीदाताओं को दिए निर्देशानुसार, सेवा अनुबंधों में मूल्य विचलन स्वीकार्य नहीं था तथा बोली उसी के अनुसार लगाई एवं स्वीकार की गई थी। लाहल सब-स्टेशन निर्माण के सेवा-अनुबंध में मूल्य-विचलन खण्ड कार्य सौंपने के उपरांत अनुबंध में शामिल किया गया था तथा इससे ठेकेदार मूल्य-विचलन हेतु पात्र बन गया। यह ₹ 5.92 करोड़ के मूल्य-विचलन राशि के अनुचित भुगतान में परिणत हुआ।

इस प्रकार, कंपनी ने बोली/ अनुबंध के नियमों व शर्तों के विरुद्ध ₹ 12.25 करोड़ (₹ 5.92 करोड़ + ₹ 6.33 करोड़) के मूल्य विचलन का भुगतान जारी करके अनुचित लाभ दिया।

⁷⁷ 33/220/400 केवी जीआईएस सब-स्टेशन

⁷⁸ अनुबंध की धारा-2 (बीडीएस) का खंड 18.6 एवं धारा 8 (अनुबंध की विशेष शर्तों) का खंड 11.2

⁷⁹ कंक्रीटिंग; अन्य इस्पात कार्य का सुदृढीकरण और निर्माण

⁸⁰ ठेकेदार द्वारा अन्य निर्माताओं से खरीदे गए सामान

⁸¹ (मेसर्स तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित)

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि निविदा दस्तावेज/ बोली पूर्व स्पष्टीकरण के अनुसार मूल्य विचलन केवल प्रमुख उपकरणों यानी लो टेंशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर एवं सिविल कार्यो के लिए लागू है। उत्तर पावर ट्रांसफार्मर के बाहर से खरीदे गए मद होने के विषय में कोई जानकारी नहीं देता, जिस पर कोई मूल्य विचलन स्वीकार्य नहीं थी।

3.2.4 अनुबंधों का कार्यान्वयन

3.2.4.1 समझौते की शर्तों का उल्लंघन

अनुबंधों की शर्तों का पालन न करने के उदाहरण निम्नानुसार थे:

(i) सड़क चौड़ी करने के लिए अमान्य भुगतान

एक परियोजना (लाहल स्थित सब-स्टेशन) में, कंपनी ने सड़क सुदृढीकरण/ चौड़ी करने के कार्य का वित्तीय बोझ वहन किया जो स्पष्ट रूप से बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में था।

लाहल सब-स्टेशन के निर्माण के लिए "बोलीदाता के दायरे में पुलों व सड़कों के सुदृढीकरण" खंड पर एक बोली-पूर्व प्रश्न में, एक बोलीदाता जानना चाहता था कि क्या सफल बोलीदाताओं द्वारा चंबा एवं लाहल के बीच सड़क व पुलों को मजबूत किया जाना है। कंपनी ने उत्तर दिया (30 जनवरी 2014) कि जहां भी आवश्यक हो, पुलों का अस्थायी सुदृढीकरण एवं सड़कों को चौड़ा करना बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में होगा। निविदा के अनुसार ठेकेदार को कार्य निष्पादन के लिए गंतव्य तक सामग्री को पहुंचाना था। इसके लिए आवश्यक सड़क सुदृढीकरण की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी।

ठेका देने के बाद, संभावित बाधाओं की पहचान करने के लिए कंपनी, ठेकेदार तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा चंबा-भरमौर सड़क का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया (6 अगस्त 2015) था। सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि भारी वाहनों के सुचारु आवागमन हेतु आवश्यक निर्गम बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर सड़क चौड़ी करने तथा लटकती हुई चट्टानों पर जाली लगाने (ड्रेजिंग) की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शाहपुर द्वारा ₹ 2.00 करोड़ का प्राक्कलन (सितम्बर 2017) तैयार किया गया था। कंपनी ने यह राशि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास जमा की (दिसंबर 2017)।

बोली-पूर्व स्पष्टीकरण में कंपनी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों को चौड़ा करना, जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में था। इसलिए, संविदात्मक प्रावधान के विरुद्ध सड़क चौड़ी करने की लागत कंपनी द्वारा जमा करने के कारण ₹ 2.00 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

(ii) अतिरिक्त मदों की स्वीकृति

दो परियोजनाओं में, कंपनी ने अतिरिक्त मदों के लिए अलग से मंजूरी दी तथा अतिरिक्त भुगतान किया, जिन्हें ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में शामिल माना गया था।

वांगटू एवं लाहल सब-स्टेशनों के निर्माण के अनुबंध में, भाग-1 (परियोजना) के खंड 3.6 के अनुसार सब-स्टेशनों के सफल निर्माण, प्रारंभ, परिचालन एवं रख-रखाव के सभी संदर्भों में विनिर्दिष्ट या अन्य आवश्यक उपकरणों, सामग्रियों, प्रणाली व सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार थे। इन्हें ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में शामिल माना जाएगा एवं कंपनी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों ने फिल्टर मीडिया उपलब्ध कराने एवं बिछाने के लिए जल निकासी छिद्रों (विप होल्स) के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए तथा प्रतिधारण (रिटेंनिंग)/ सुरक्षा दीवार में तापीय विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन जोइंट), फिलर बोर्ड के लिए अतिरिक्त मद के रूप में अतिरिक्त दावा प्रस्तुत किया था, जिसके लिए कम्पनी ने ₹ 0.99 करोड़ का भुगतान किया, जैसा कि नीचे तालिका-3.2.3 में दिया गया है:

तालिका-3.2.3: ठेकेदार को दिए अतिरिक्त भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	दावे का माह	दावा की गई राशि	भुगतान की गई राशि
1.	400/220/66 केवी जीआईएस, वांगटू	अक्टूबर 2016	2.66	0.92
2.	33/220/400 किलोवाट, जीआईएस, लाहल	जनवरी 2020	0.07	0.07
योग				0.99

इस प्रकार, अनुबंधों की शर्तों का पालन न करने तथा उपर्युक्त मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में मानने के कारण ₹ 0.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि सुरक्षा दीवार को पूरा करने के लिए आवश्यक पीवीसी पाइप आदि को बोली पूर्व प्रश्न में शामिल नहीं किया गया था, एवं इस तरह एक अतिरिक्त मद के रूप में भुगतान किया गया। उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि अनुबंध में पहले से ही शामिल प्रावधानों के अनुसार ये मदें मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें थी, जैसा की उपरोक्त परिच्छेद में चर्चा की गई है।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर का परिहार्य भुगतान

चार परियोजनाओं में, कंपनी ने खरीदी गई मर्दों पर वस्तु एवं सेवा कर का परिहार्य भुगतान किया, जो अनुबंधों के अनुसार अपेक्षित नहीं था।

लाहल, चंबी, सुंडा-हाटकोटी, उरनी एवं लाहल-बुधिल में सब-स्टेशन/ट्रांसमिशन लाइन (टीएल) के निर्माण के लिए अनुबंध-समझौतों की धारा-8 के खंड 14.9 (जून 2014 व अक्टूबर 2015 के बीच प्रदान किया गया) में प्रावधान था कि अनुबंध मूल्य एवं भुगतान की शर्तें⁸² उन करों, उदग्रहणों व प्रभारों एवं शुल्कों पर आधारित होंगी जो बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 28 दिन पहले प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि यदि अनुबंध के दौरान करों में कोई परिवर्तन होता है, तो अनुबंध मूल्य में तदनुसार न्यायसंगत समायोजन किया जाएगा। हालांकि, ये समायोजन नियोक्ता एवं ठेकेदार के मध्य सीधे लेनदेन तक ही सीमित थे एवं खरीदी गई वस्तुओं पर लागू नहीं थे।

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने (1 जुलाई 2017) के बाद, कंपनी ने इन चार अनुबंधों के अनुबंध मूल्य को संशोधित किया एवं वस्तु एवं सेवा कर के अनुसार बाहर से खरीदी गई वस्तुओं की कीमत को समायोजित किया। यह अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन था, तथा अनुबंध में बाहर से खरीदी गई वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर को समायोजित करने के कारण कंपनी को ₹ 24.57 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा, जैसा कि तालिका-3.2.4 में वर्णित है:

तालिका-3.2.4: वस्तु एवं सेवा कर के कारण परिहार्य भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	वस्तु एवं सेवा कर काल के पश्चात आपूर्ति खरीदी गई मर्दों का मूल्य	चुकाने योग्य केंद्रीय बिक्री कर के समायोजन पश्चात चुकाई गई अधिक वस्तु व सेवा कर
1.	जीआईएस लाहल	1,33,57,16,768	22,01,78,766
2.	जीआईएस चंबी	8,13,28,031	1,30,12,485
3.	सुंडा-हाटकोटी टी/एल	7,57,36,875	1,21,17,900
4.	उरनी सब-स्टेशन	24,59,240	3,93,480
कुल			24,57,02,631

3.2.4.2 वित्तीय सुरक्षा उपाय लागू न करना

(i) अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रतिधारण राशि जारी करना

एक परियोजना (लाहल सब-स्टेशन) में अनुबंध के सफल समापन तक प्रतिधारित करने के बजाय, कंपनी ने ठेकेदार को समय से पहले प्रतिधारण राशि जारी की, जिससे ब्याज राजस्व की हानि हुई।

⁸² जैसा कि अनुबंधों के अनुच्छेद-2 में विनिर्दिष्ट था।

लाहल सब-स्टेशन के निर्माण हेतु ठेकेदार ने मई 2019 में कंपनी को सूचित किया कि वह अनुबंध कार्यों के लिए खराब नकदी प्रवाह के कारण भारी दबाव में है एवं उसने बैंक गारंटी के प्रति ब्याज रहित प्रतिधारण राशि जारी करने का अनुरोध किया। यद्यपि ठेकेदार को भुगतान समय पर जारी किया जा रहा था, कम्पनी ने जीसीसी के खंड संख्या 25.5.2 (ख) के अनुसार 20 जून 2019 को बैंक प्रत्याभूति के प्रति ₹ 18 करोड़ एवं 27 दिसम्बर 2019 को ₹ 3.13 करोड़ की प्रतिधारण राशि जारी की।

जीसीसी के खंड संख्या 25.5.2 (ख) के अनुसार, ठेकेदार को बैंक प्रत्याभूति के प्रति प्रतिधारण राशि केवल नियोक्ता द्वारा की गई देरी के कारण जारी की जा सकती है, न कि ठेकेदार को खराब नकदी प्रवाह के कारण। इसलिए, 10 प्रतिशत प्रतिधारण राशि जारी करना अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में था एवं कंपनी को देय होने से पहले जारी की गई राशि पर ₹ 2.01 करोड़⁸³ की परिहार्य ब्याज हानि वहन करनी पड़ी।

(ii) अनुचित समय-विस्तार की अनुमति के परिणामस्वरूप परिनिर्धारित नुकसान का अनुद्ग्रहण

एक परियोजना में, कंपनी ने ठेकेदार से परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं की एवं विलम्ब के लिए समय के अनुचित विस्तार की अनुमति दी।

चंबी सब-स्टेशन⁸⁴ के निर्माण का ठेका ₹ 39.18 करोड़ व 9,59,950 अमेरिकी डॉलर में दिया गया था। कार्य को अनुबंध लागू होने की तिथि (15 जून 2016) से 18 महीने के भीतर अर्थात् 15 दिसंबर 2017 तक पूरा करना अपेक्षित था। यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल होता है, तो जीसीसी की धारा 7 के खंड 26.2 में प्रावधान है कि उस पर अनुबंध-मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से जिसकी 20 सप्ताह के अंत में 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा है, परिनिर्धारित नुकसान उद्ग्रहित की जाए।

19 मार्च 2019 को, ठेकेदार ने भुगतान करने में देरी, निर्माण रेखाचित्रों, विक्रेता तथा गारंटीकृत तकनीकी मापदण्डों के अनुमोदन में देरी के कारण 8 दिसंबर 2017 से 30 जून 2019 (569 दिन) तक समय-विस्तार हेतु आवेदन किया।

हालांकि, अनुबंध⁸⁵ के अनुसार, ठेकेदार द्वारा इन दस्तावेजों को तैयार करना तथा इन्हें परियोजना प्रबंधक/ नियोक्ता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। जब तक परियोजना प्रबंधक/ नियोक्ता उसकी अस्वीकृति या संशोधन के बारे में लिखित रूप में ठेकेदार को सूचित नहीं करता है, इन्हें जमा करने के चौदह दिनों के भीतर अनुमोदित माना जाएगा।

⁸³ ₹ 18.00 करोड़ x 10 प्रतिशत x 376 दिन + ₹ 3.13 करोड़ x 10 प्रतिशत x 186 दिन = ₹ 2.01 करोड़

⁸⁴ 33/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन

⁸⁵ खंड (20.1.1, 20.3.1, 20.3.2)

26 मार्च 2019 को, ठेकेदार द्वारा दावा किए गए 569 दिनों के विस्तार के प्रति, कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक 477 दिनों का विस्तार दिया। कंपनी गारंटीकृत तकनीकी मापदण्डों एवं निर्माण ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब के लिए दावा किए गए 212 दिनों की कटौती करने में विफल रही। अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिखित रूप में, अस्वीकृति या संशोधन के अभाव में, गारंटीकृत तकनीकी मापदण्डों एवं ड्राइंग को स्वीकृत माना जाता था। इस प्रकार कंपनी इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं थी एवं इसलिए ठेकेदार को समय का विस्तार स्वीकार्य नहीं था।

इस प्रकार, विस्तार केवल 265 दिनों (477-212 दिन) के लिए दिया जाना चाहिए था। परिनिर्धारित नुकसान के उद्ग्रहण के बिना 212 दिनों के अतिरिक्त समय विस्तार के अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत पर ₹ 4.58 करोड़⁸⁶ के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली/ उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(iii) निष्पादन गारंटी कम जमा करना

दो परियोजनाओं में, कंपनी ने ठेकेदारों से अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत से कम की निष्पादन गारंटी प्राप्त की। अनुबंध की मानक शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को कार्य के निष्पादन में किसी भी कमी के मामले में कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से निष्पादन गारंटी जमा करना आवश्यक है।

स्नेल से हाटकोटी तक 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के ठेके में ठेका राशि ₹ 18.00 करोड़ से संशोधित करके ₹ 25.44 करोड़ कर दी गई थी। कंपनी को ठेकेदार से निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 2.54 करोड़ की जमा राशि प्राप्त करनी चाहिए थी, इसके बजाय, उसने केवल ₹ 1.89 करोड़ (₹ 18.00 करोड़ की प्रारंभिक आवंटित राशि पर) प्राप्त किए। इस प्रकार, प्रतिभूति राशि की वसूली में ₹ 0.65 करोड़ की कमी हुई थी।

इसी प्रकार 220 किलोवाट लाहल-बुडिल ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के ठेके में अनुबंध की राशि ₹ 4.81 करोड़ से संशोधित कर ₹ 5.87 करोड़ कर दी गई। कंपनी को ठेकेदार से निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 0.59 करोड़ जमा प्राप्त होने चाहिए थे, इसके बजाय, उसने केवल ₹ 0.48 करोड़ (₹ 4.81 करोड़ की प्रारंभिक आवंटित राशि पर) प्राप्त किए। इस प्रकार, ₹ 0.11 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

उपरोक्त दो मामलों में निष्पादन प्रतिभूति में कुल मिलाकर ₹ 0.76 (₹ 0.65 + ₹ 0.11) करोड़ की कमी थी।

⁸⁶ ₹ 39.18 करोड़ का 10 प्रतिशत + ₹ 0.66 करोड़ (9,59,950 अमेरिकी डॉलर का 10 प्रतिशत)।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2021) कि केवल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के लिए निष्पादन गारंटी दी जानी चाहिए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंध के अनुसार किए गए परिवर्धन अनुबंध मूल्य का हिस्सा होते हैं। इसलिए, परिवर्धन के अनुसार संशोधित लागत पर निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी) प्राप्त करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को अप्रैल 2021 में भेजे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2021)।

3.2.5 निष्कर्ष

कार्य सौंपने एवं उसके पश्चात् कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ। कंपनी ने अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मूल्य विचलनों का भुगतान, करों का परिहार्य भुगतान, परिनिर्धारित नुकसानों का उद्ग्रहण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ। इससे कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ा।

3.2.6 सिफारिश

कंपनी बोलियों एवं अनुबंधों की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन एवं परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सामग्री खरीद एवं मालसूची प्रबंधन

चार (12 में से) ऑपरेशन सर्कल के अभिलेखों की जांच की गई। अतिरिक्त स्टॉक रखने के कारण कंपनी को ₹ 4.88 करोड़ की ब्याज हानि हुई। बिना निविदा या बाजार दरों के विश्लेषण के कंपनी द्वारा क्रय आदेश देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। कम्पनी ने भण्डारों की खरीद के लिए क्रय आदेश जारी किये, परन्तु एक वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के बाद भी उनका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। भौतिक सत्यापन के अभाव में अतिरिक्त/ अप्रचलित सामग्री का समय पर निपटान नहीं किया जा रहा था।

3.3.1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कंपनी) राज्य में विद्युत का उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण करती है। कंपनी के निदेशक (संचालन) के समग्र नियंत्रण में मुख्य अभियंता सामग्री प्रबंधन क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वार्षिक आवश्यकता के अनुसार विद्युत की वस्तुओं और स्टोर की सामान्य वस्तुओं की केंद्रीय खरीद के लिए जिम्मेदार है। 2017-18 से

2019-20 के दौरान स्टोर आइटम की खरीद पर वार्षिक व्यय ₹ 100.26 करोड़ और ₹ 259.27 करोड़ (औसत ₹ 183.66 करोड़ सालाना) के बीच था।

सामग्री/ मालसूची प्रबंधन, सामग्री की लागत को नियंत्रित करने और न्यूनतम भंडारण लागत के साथ सही समय पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की योजना, खरीद और उपयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। यह लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या खरीद आदेश समय पर मितव्ययिता के साथ और कंपनी की आवश्यकता और नियमों के अनुसार जारी किए गए थे; कंपनी की मालसूची प्रबंधन प्रणाली कुशल और प्रभावी थी; मालसूची के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त थी; तथा अप्रचलित/ स्ट्रैप मदों का निपटान तत्काल किया गया था।

लेखापरीक्षा के लिए कवर की गई अवधि 2017-18 से 2019-20 थी। नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच मुख्य कार्यालय और चार⁸⁷ (12 में से) ऑपरेशन सर्कल⁸⁸ के अनुरक्षित अभिलेखों की जांच की गई। चयनित सर्कल कार्यालयों में 31 मार्च 2020 तक कुल स्टॉक का 38.77 प्रतिशत था।

कंपनी में वर्ष के दौरान की जाने वाली खरीद के लिए सामग्री बजट तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष के अंत में खरीद/ खपत व समापन स्टॉक तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त स्टॉक का विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। 2018-19 व 2019-20 के दौरान वर्ष के अंत तक का स्टॉक चार से पांच माह की खपत दर्शाता था। तीन⁸⁹ महीने की सीमा को ध्यान में रखते हुए, 2018-19 व 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 38.13 करोड़ व ₹ 88.67 करोड़ मूल्य का अतिरिक्त स्टॉक था, 2018-19 के अंत में अतिरिक्त स्टॉक पर कंपनी को ₹ 4.88 करोड़⁹⁰ की ब्याज हानि हुई।

लेखापरीक्षा परिणाम

मांग के निर्धारण एवं अंतिम रूप देने की प्रणाली; खरीदी प्रक्रिया; तथा मालसूची प्रबंधन पर लेखापरीक्षा परिणाम पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

⁸⁷ अधीक्षण अभियंता (संचालन) बिलासपुर, मंडी, सोलन व उना।

⁸⁸ मार्च 2020 तक के अंत स्टॉक के आधार पर, आइडिया (IDEA) सॉफ्टवेयर के माध्यम से नमूना पद्धति का उपयोग करते हुए चयनित।

⁸⁹ कम्पनी के क्रय स्कंध के शुद्धिपत्र सं. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीपीओ-एम 32/86-26213-388 दिनांक 20-9-86 द्वारा तीन माह की सीमा तय की गई थी।

⁹⁰ ₹ 38.13 करोड़ x 12.79 प्रतिशत (एचपीईआरसी द्वारा जून 2019 में पूंजी के लिए स्वीकृत ब्याज दर) = ₹ 4.88 करोड़।

3.3.2 वार्षिक मांग को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विलम्बित खरीद हुई

खरीद नियोजित बनाने एवं सबसे किफायती तरीके से एवं कंपनी की निश्चित आवश्यकताओं⁹¹ के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है। निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष मई व नवंबर के दौरान अगले वर्ष की आवश्यकता/ मांगपत्र अग्रिम रूप से मुख्य अभियंता (सामग्री एवं प्रबंधन) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रस्तुत किए गए मांगपत्रों में, स्टॉक में उपलब्ध मात्रा, ऑर्डर की गई मात्रा, स्टॉक निर्गम पंजिका (स्टॉक इश्यू रजिस्टर) के अनुसार विगत 12 मास के दौरान हुई खपत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नमूना-जांचित सभी चार सर्कलों में, 2017-18 से 2019-20 के लिए कार्य-योजनाओं को अप्रैल व जुलाई के मध्य अंतिम रूप दिया गया था जबकि, इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। मांग प्रस्तुत करने में विलम्ब का विवरण तालिका-3.3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.3.1: खरीद मांगों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

वर्ष	2017-18			2018-19			2019-20		
	लक्ष्य माह	मांग प्रस्तुत की गई	विलंब (माह में)	लक्ष्य माह	मांग प्रस्तुत की गई	विलंब (माह में)	लक्ष्य माह	मांग प्रस्तुत की गई	विलंब (माह में)
सोलन	11/2016	4/2017	4	11/2017	6/2018	7	11/2018	3/2019	4
ऊना	11/2016	4/2017	4	11/2017	5/2018	6	11/2018	6/2019	7
बिलासपुर	11/2016	6/2017	7	11/2017	7/2018	8	11/2018	3/2019	4
मंडी	11/2016	5/2017	6	11/2017	6/2018	7	11/2018	4/2019	5

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए मर्दों की मात्रा की स्वीकृति कंपनी द्वारा क्रमशः दिसंबर 2017, नवंबर 2018 एवं अक्टूबर 2019 में प्रदान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय इकाइयों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य को विफल करते हुए, खरीद आदेश वर्ष के अंत में प्रस्तुत किए गए।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यद्यपि कंपनी ने एसएपी-ईआरपी का उपयोग करना शुरू कर दिया था (सितंबर 2014) परन्तु एप्लीकेशन का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। एमएम मॉड्यूल में खपत आधारित सामग्री-मांग एवं कार्य-योजना का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है परन्तु इसे शुरू नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्टोरों में बड़ी मात्रा में सामग्री अप्रयुक्त अवस्था में रही। फलतः स्टोरों में अप्रयुक्त सामग्री के अनावश्यक जमाव को नियंत्रित नहीं किया जा सका जैसा कि पैरा 3.3.4.1 में चर्चा की गई है।

सरकार ने उसके उत्तर में (अक्टूबर 2021) आपत्तियां स्वीकार की थी।

⁹¹ जैसा कि कंपनी के क्रय नियमावली के अध्याय-III के पैरा 1(3) में निर्धारित किया गया है।

3.3.3 निविदा को अंतिम रूप दिए बिना खरीद आदेश देना

कंपनी ने 2017-18 की अवधि हेतु अपनी क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त अस्थाई मांग के आधार पर 2,58,188 ऊर्जा मीटरों के लिए निविदा सूचना (अप्रैल 2017) जारी की। बोली प्रक्रिया में आठ फर्मों ने भाग लिया। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि एक फर्म अर्थात् मैसर्स हिमाचल एनर्जी मीटर प्रा. लिमिटेड (जिसने निविदा में भाग नहीं लिया था) ने कंपनी से एकल चरण मीटर के खरीद आदेश (पीओ) को दिनांक 26.02.2016 के खरीद आदेश के समान दरों, नियमों एवं शर्तों पर जारी करने का अनुरोध किया (25.04.2017)।

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया धीमी थी तथा कंपनी ने बोली को अंतिम रूप देने से पूर्व बाजार में मीटरों के प्रचलित मूल्य को सत्यापित किए बिना पूर्ववर्ती दरों पर मैसर्स हिमाचल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक लाख मीटरों का खरीद-आदेश दिया (जुलाई 2017)।

मूल्य बोली 5 मार्च 2018 को खोली गई तथा एल-1 बोलीदाता⁹² द्वारा उद्धृत दरें पिछले वर्ष की दरों से कम पाई गईं। इस प्रकार, निविदाओं को अंतिम रूप दिए बिना गत-वर्ष के पूर्तिकर्ता को खरीद-आदेश जारी करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि तालिका-3.3.2 में वर्णित है :

तालिका-3.3.2: बिना निविदा के खरीद पर अतिरिक्त व्यय

मद	नई दर	पुरानी दर जिस पर खरीद-आदेश प्रस्तुत किया	अंतर	मात्रा	अतिरिक्त व्यय
	(राशि ₹ में)			संख्या	(₹ लाख में)
सिंगल फेज मीटर, 5-30 एएमपी	496	638	142	50,000	71.00
सिंगल फेज मीटर, 10-60 एएमपी	517.25	656	138.75	50,000	69.37
कुल					140.37

इसके अतिरिक्त, क्योंकि सामग्री की आपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के बाद की जानी थी, खरीद-आदेश देने के दौरान दरों को वस्तु एवं सेवा कर जोड़कर संशोधित किया गया था। कंपनी ने दरों में संशोधन करते समय, विगत कार्यों के मूल्य से उत्पाद शुल्क की कटौती नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर निर्धारण हुआ तथा फर्म को अनुचित लाभ दिया गया। परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 49.88 लाख⁹³ के परिहार्य भुगतान का वहन करना पड़ा।

⁹² मैसर्स लिंक वेल् टेलीसिस्टम्स प्रा. लिमिटेड

⁹³ $50,000 \times ₹ 49.23 + 50,000 \times ₹ 50.53 = ₹ 49.88$ लाख

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि पिछले वर्ष की दरों पर खरीद आदेश जारी करते समय वर्तमान दरें उपलब्ध नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि कंपनी ने कार्य सौंपने से पहले बाजार दर विश्लेषण किया होता, तो दरों पर बातचीत की जा सकती थी।

3.3.4 मालसूची प्रबंधन

3.3.4.1 भंडारगृहों (स्टोर) में अधिक सामग्री से ₹ 3.60 करोड़ की निधियों का अवरोधन

मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन) द्वारा दिनांक 22.12.2000 को जारी निर्देशों तथा तत्पश्चात्, सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 11.07.2005 को जारी निर्देशानुसार खरीदी गई सामग्री को खरीद के छः माह के भीतर उपभोग कर लिया जाए।

कंपनी ने 2017-2020 की अवधि के दौरान विभिन्न मात्रा में सामग्री की खरीद के लिए खरीद आदेश जारी किए, लेकिन एक वर्ष से तीन वर्ष (दिसंबर 2020) की अवधि के समाप्त होने के बावजूद उनका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जो आवश्यकता के अवास्तविक मूल्यांकन को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप धन का अवरोधन और ब्याज हानि हुई।

(i) **केबल:** ₹ 2.78 करोड़ मूल्य की 77.705 किलोमीटर केबल⁹⁴ तीन नमूना इकाइयों (नमूना-जांचित सर्कल) में एक से तीन वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी थी, जैसा कि तालिका-3.3.3 में वर्णित है:

तालिका-3.3.3: अप्रयुक्त केबल का विवरण

स्टोर का नाम	से निष्क्रिय	विवरण	मात्रा (मीटर में)	राशि (₹ लाख में)
ऊना	2017-18	एक्स.एल.पी.ई-3 कोर 120 एमएम*	6,011	36.31
	2017-18	एक्स.एल.पी.ई 3 कोर 185 एमएम	1,010	7.55
	2019-20	एक्सएलपीई 3 कोर 185 एमएम	7,186	49.53
	2019-20	एबी केबल एलटी 3 सीएक्स 95+70 एमएम	22,550	12.89
	2019-20	एलटी एबी केबल 3x95+70 एमएम	31,033	82.95
परवाणू	अगस्त 2017	एक्सएलपीई 3 कोर 120 एमएम	6,009	36.84
परवाणू	जून 2017	एक्सएलपीई 3 कोर 185 एमएम	2,701	20.40
बरोटीवाला, बड़ी	जून 2019	एबी केबल एलटी 3 x 120+1 x 95	8,391	31.75
योग			77,705	278.22

* विद्युत मंडल कांगड़ा को आवंटित, जिसने अनुरोध के बावजूद इसे नहीं उठाया, यह दर्शाता है कि बिना आवश्यकता के केबल की खरीद की गई थी।

⁹⁴ एक्सएलपीई और एबी



बरोटीवाला व परवाणू स्टोर में बेतरतीब स्थिति में पड़ी केबल

यद्यपि नमूना-जांचित दो⁹⁵ सर्कलों में 3.7 किमी एक्सएलपीई 3 कोर 185 एमएम केबल वर्ष 2017-18 के अंत में अप्रयुक्त पड़ी थी, कंपनी ने मई 2018 के दौरान 6.70 किलोमीटर की उसी केबल हेतु ₹ 80.61 लाख का खरीद आदेश दिया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि कार्यस्थल की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ सामग्री अप्रयुक्त रहती है, आगे बताया गया कि आगामी वर्ष में सामग्री के उपभोग के प्रयास किए जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को कार्यस्थल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामग्री खरीदनी चाहिए।

(ii) कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सीएफएल): कंपनी ने अटल बिजली बचत योजना के तहत वितरण के लिए ₹ 63.08 करोड़ की लागत से 64 लाख (16 लाख पैक) सीएफएल खरीदे (2008-09)। इनमें से ₹ 18.80 करोड़ मूल्य के 4,85,905 सीएफएल छः साल से अधिक समय के बाद भी क्षेत्रीय स्टोर में अप्रयुक्त (मार्च 2015) पड़े रहे। इसका उपयोग करने के लिए, कंपनी के प्रबंधन ने क्षेत्रीय कार्यालयों, बिजली घरों व विश्राम गृहों में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए फ़्यूज्ड तापदीप्त बल्बों के स्थान पर इन सीएफएल का उपयोग करने का निर्णय लिया (मार्च 2015)।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि क्षेत्रीय इकाइयों को पहले ही क्षेत्रीय कार्यालयों/-सब-स्टेशनों/विद्युत गृहों में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए सीएफएल का उपयोग करने के लिए कहा जा चुका है।

तथापि, कंपनी के निर्णय के पांच वर्षों के बाद भी, ₹ 1.06 करोड़ मूल्य के 64,736 सीएफएल बेकार पड़े थे, जिनमें से ₹ 53.57 लाख मूल्य के 32,812 सीएफएल गत 12 वर्षों से चयनित चार सर्कलों में पड़े थे तथा सामग्री की प्राप्ति तिथि से 18 माह की वारंटी अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

⁹⁵ ऊना और सोलन

3.3.4.2 स्टॉक का उपयोग/ निपटान न करना

स्टॉक नकद का प्रतिनिधित्व करता है तथा कोई भी मृत स्टॉक निरर्थक पूंजी है जिस पर ब्याज की हानि होती है जब तक कि उसका निपटान नहीं किया जाता है। सामग्री को अनावश्यक रूप से रोके रखने से बचने के लिए, जिससे निधियों का अवरोध, मालसूची के रख-रखाव में बढ़ी हुई लागत तथा स्थान की कमी हो जाती है, स्टॉक को नियमित रूप से छांटना एवं स्टॉक का निष्पादन आवश्यक है। 31 मार्च 2018 को कंपनी की माल सूची (इन्वेंट्री) का मूल्य ₹ 58.40 करोड़ था जो मार्च 2020 के अंत में बढ़कर ₹ 193.51 करोड़ (331 प्रतिशत से) हो गया।

(i) **अचल भंडार:** चार सर्कल कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मुख्य रूप से केबल्स, ऊर्जा मीटर, स्टील एवं कंडक्टरों का स्टॉक, जिसका मूल्य ₹ 1.51 करोड़ था, पांच साल से अधिक समय से स्टोर में पड़ा हुआ था जो इस तथ्य का संकेत था कि स्टोर की मदों को वास्तविक आवश्यकता से अधिक खरीदा गया था। इस अधिक खरीद पर मार्च 2020 तक कंपनी को ₹ 96.84 लाख⁹⁶ के ब्याज की हानि हुई थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि कुछ सामग्री प्रतिकूल कार्यस्थल परिस्थितियों जैसे रास्ते के अधिकार के मुद्दों के कारण अप्रयुक्त रही। इसमें आगे बताया गया कि सामग्री को अगले वर्ष में उपभोग करने का प्रयास किया जाता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी को स्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामग्री खरीदनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, सामग्री पांच वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी पड़ी रही।

(ii) **अप्रचलित भंडार:** कंपनी को वर्ष में दो बार अधिक/अप्रचलित घोषित की गई सभी मदों की समीक्षा करके अधिक पाई गई मदों का निपटान करना अपेक्षित है। कंपनी के स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को अपनी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) प्रत्येक मद को स्टोर में रखने की समयावधि दर्शाना अपेक्षित होता है। स्टोर के प्रभारी अधिशासी अभियंताओं को अतिरिक्त, अप्रचलित, अनुपयोगी एवं रद्दी के रूप में निपटान योग्य सामग्री को वर्गीकृत करना अपेक्षित होता है। इसे अधिशासी अभियंता द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण करने से अंतिम रूप दिए जाने के 45 दिनों के भीतर मंडल स्तर की निराकरण समिति द्वारा अनुपयोगी घोषित करना अपेक्षित होता है।

⁹⁶ ₹ 151.43 लाख x 12.79 प्रतिशत x 5 वर्ष = ₹ 96.84 लाख

₹ 4.31 करोड़ (31 मार्च 2020) मूल्य की मुख्य रूप से पुरानी एवं प्रयुक्त मशीनरी से युक्त रद्दी व अनुपयोगी भंडार अंतिम निपटान के लिए लंबित था। इसके अतिरिक्त, दो सर्कल⁹⁷ सोलन एवं मंडी में, अचल सूची में निरंतर वृद्धि के बावजूद, 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अप्रचलित व अनुपयोगी सामग्री का निपटान नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि क्षेत्रीय इकाइयों को अप्रचलित भंडार को कम करने का बार-बार अनुरोध किया गया है। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि निर्देश जारी करने के बाद भी इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था।

3.3.4.3 भंडारगृहों के भौतिक सत्यापन का अपर्याप्त कवरेज

स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा निरंतर स्टॉक मिलान निर्धारित⁹⁸ किया गया है, ताकि सभी सामग्री मदों को वर्ष में कम से कम एक बार कवर किया जा सके। उप-मंडल पदाधिकारी/ भंडार प्रभारी अधिकारी द्वारा आकस्मिक जांच भी निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, एक स्टॉक सत्यापन अधिकारी तथा सात स्टॉक सत्यापनकर्ता के स्वीकृत पद के प्रति कोई भी कर्मी तैनात नहीं किया गया था। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के भौतिक सत्यापन जैसा कि तालिका-3.3.4 में दिए गए विवरण के अनुसार किया गया था :

तालिका-3.3.4: भंडारगृहों के भौतिक सत्यापन का विवरण

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
मंडल भंडारगृहों की कुल संख्या	81	81	81
वर्ष में आयोजित भंडारगृहों का भौतिक सत्यापन	30	40	2
आयोजित किए गए भौतिक सत्यापन का प्रतिशत	37.03	49.38	2.47

प्रबंधन ने आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसंबर 2020) तथा बताया कि स्टॉक सत्यापन अधिकारी व स्टॉक सत्यापनकर्ता के पद को न भरने के कारण, स्टॉक सत्यापन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ठीक से नहीं किया जा सका तथा यह भंडारगृहों के रख-रखाव हेतु निर्धारित निर्देश का पालन न कर सकने का मुख्य कारण हो सकता है, जो अधिक/ अप्रयुक्त भंडार के ढेर में परिणत हुआ।

3.3.5 निष्कर्ष

सामग्री मांग व खरीद के आकलन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। मांग निर्धारण अनुचित थी, तथा कुछ मंडलों में अप्रयुक्त सामग्री अधिक पाई गई जबकि अन्य मंडलों में खरीद की गई जैसा की विभिन्न मदों की माल-सूची आधिक्य से प्रमाणित होता है। कम्पनी सामग्रियों

⁹⁷ सोलन एवं मंडी

⁹⁸ मैनुअल के निर्देश 26.2 (बी) (vi)

को उपयोग कर तथा निपटान कर उसके भंडारगृहों का उचित व्यवस्थापन भी नहीं कर सकी जो निधियों के अवरोधन व लागत की अवसूली में परिणत हुआ। भौतिक सत्यापन के अभाव में अतिरिक्त एवं अप्रचलित सामग्री का समयबद्ध निपटान नहीं किया जा रहा था।

3.3.6 सिफारिशें

कंपनी विचार करें:

- उचित मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की आवश्यकता को समय पर अंतिम रूप देना;
- खरीद आदेश केवल तत्काल उपयोग के लिए देना; तथा
- अधिशेष और/अप्रचलित सामग्री का समय पर निपटान।

3.4 संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान

डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूर्ण न होने के कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सिस्टम का वास्तव में उपयोग किए बिना ₹ 198.91 करोड़ का ट्रांसमिशन शुल्क वहन करना पड़ा। डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने तक शुल्क और बढ़ेंगे।

हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था योजना की स्थायी समिति ने काला अम्ब में 400/220 केवी सब-स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव रखा (2 जनवरी 2013)। इस अपस्ट्रीम सब-स्टेशन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआइएल) द्वारा उत्तर-क्षेत्रीय अन्तर्राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाना था। इसके बाद, राज्य संचरण उपयोगिता की समन्वय समिति, जिसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कंपनी) भी एक सदस्य था, ने निर्णय लिया (06 सितंबर 2014) कि विद्युत की निकासी के लिए डाउनस्ट्रीम सिस्टम (220 केवी सब-स्टेशन) का निर्माण कंपनी द्वारा किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ कम्पनी द्वारा ₹ 83.14 करोड़ की योजना अनुमोदित (28 सितम्बर 2015) की गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019) से उजागर हुआ कि डाउनस्ट्रीम सिस्टम (220 के वी सब-स्टेशन) की स्थापना की प्रगति धीमी थी, जैसा कि नीचे तालिका-3.4.1 में दिया गया है:

तालिका-3.4.1: घटनाओं के अनुक्रम

क्र. सं.	दिनांक	विवरण
1.	27 अक्तूबर 2014	सब-स्टेशन के लिए स्थल चयन हेतु समिति का गठन किया गया।
2.	24 दिसंबर 2015	समिति द्वारा स्थल का दौरा (एक वर्ष के विलम्ब के बाद स्थल के दौरों के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए)।
3.	15 जुलाई 2016	स्थल प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था।

क्र. सं.	दिनांक	विवरण
4.	19 नवंबर 2016	मुख्य अभियंता (योजना एवं पर्यवेक्षण) ने देखा कि भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई अभिरुचि पत्र आमंत्रित नहीं किया गया था।
5.	22 जनवरी 2017	भूमि की दरों पर चर्चा के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया।
6.	31 जनवरी 2017	समिति द्वारा दरों पर चर्चा की गई। तथापि, निर्धारित दरों पर की गई कार्रवाई से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।
7.	30 नवंबर 2017- जनवरी 2018	निदेशक-मंडल ने अन्य चिन्हित भूमि की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की। सब-स्टेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई।

कंपनी, पीजीसीआइएल को सौंपे गए (9 दिसम्बर 2015) अपस्ट्रीम सिस्टम के निर्माण-कार्य, जिसे जुलाई 2017 के दौरान पूर्ण कर लिया गया था, एवं डाउनस्ट्रीम सिस्टम में सामंजस्य नहीं बना पाई। कम्पनी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं कर पाई तथा डाउनस्ट्रीम सिस्टम को हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया गया (फरवरी 2018)। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2021 के दौरान ही भू-अधिग्रहण किया था तथा मार्च 2021 तक काम का निष्पादन शुरू नहीं हुआ था।

पीजीसीआइएल द्वारा काम पूरा करने के बाद, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई (18 सितंबर 2018) टैरिफ याचिका के अनुसार, पीजीसीआइएल के काला अम्ब सब-स्टेशन के लिए स्वीकृत मासिक ट्रांसमिशन प्रभार का 84.5 प्रतिशत भुगतान कम्पनी द्वारा डाउनस्ट्रीम सिस्टम पूर्ण होने तक किया जाना था। कंपनी द्वारा डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने के बाद यूनिट आधारित ट्रांसमिशन टैरिफ उस सिस्टम के माध्यम से विद्युत के वास्तविक आहरण के आधार पर देय होगा। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार, पीजीसीआइएल ने अपने 400/220 केवी काला अम्ब सब-स्टेशन से संबंधित ट्रांसमिशन प्रभारों के मासिक बिलों को जारी किया तथा डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूर्ण न होने के कारण, कंपनी को पीजीसीआइएल की प्रणाली का वास्तव में उपयोग किए बिना इसका भुगतान करना पड़ा। फरवरी 2021 तक, कंपनी ने ₹ 198.91 करोड़ की राशि के मासिक ट्रांसमिशन प्रभार का भुगतान किया था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है, कि इन प्रभारों को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी के वितरण टैरिफ में भी अनुमोदित किया था तथा इसलिए उपभोक्ताओं के बिलों में शामिल किया गया। अतएव, डाउनस्ट्रीम सिस्टम को पूर्ण करने में कंपनी की विफलता के कारण उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बोझ वहन करना पड़ा था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा डाउनस्ट्रीम सिस्टम को पूर्ण न करने के कारण, सिस्टम का वास्तव में उपयोग किए बिना इसे ₹ 198.91 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रभार वहन करना पड़ा। डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने तक ये ट्रांसमिशन प्रभार और बढ़ेंगे।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों पर उसके नियंत्रण से परे कारणों से डाउनस्ट्रीम प्रणाली के निर्माण में देरी हुई। ट्रांसमिशन शुल्क के भुगतान के संबंध में सरकार ने आगे कहा कि कंपनी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों के विरुद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष अपील दायर की थी कि उत्तरी क्षेत्र के सभी घटकों द्वारा ट्रांसमिशन शुल्क साझा करने का मुद्दा पर्याप्त रूप से उठाया नहीं गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी पाँच वर्षों तक भूमि का अधिग्रहण करने में विफल रही जिसके कारण डाउनस्ट्रीम सिस्टम निर्मित नहीं किया जा सका। माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कंपनी द्वारा अपील जिस आधार पर दायर की गई थी उसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, जब उसने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद टैरिफ तय किया था। इसके अलावा, कंपनी ने इन शुल्कों को पहले ही उपभोक्ताओं के बिलों में शामिल कर लिया था, जिन्हें कंपनी की विफलता के कारण उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ा।

सिफारिश: कम्पनी प्रभारों के परिहार्य भुगतान से बचने के लिए सभी कार्यों में सामंजस्य बनाते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। भू-अधिग्रहण के मुद्दे परियोजनाएं प्रारंभ करने से पूर्व सुलझाये जाये।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम

3.5 श्रमिकों की सेवा का कम उपयोग किए जाने के बावजूद उन्हें पूरा भुगतान करने के कारण ₹ 80.84 लाख राशि की हानि

पूर्णकालिक आवश्यकता के अभाव के बावजूद अर्ध/अकुशल श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कम कार्य के लिए पूर्ण भुगतान किया गया; उनके अनुबंध को वार्षिक रूप से बढ़ाया गया; तथा उन्हें नियमित नियुक्ति भी दी गई। इसके परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान हुआ एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (निगम) को ₹ 80.84 लाख की हानि हुई।

निगम राज्य में पेड़ों की कटाई, तत्पश्चात उन्हें इमारती लकड़ी में परिवर्तित करने तथा उनका ढेर (गड्ढा) बनाने व ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। निगम इस कार्य हेतु ठेकेदारों (लेबर सप्लायर मेट्स) को नियुक्त करता है जो आगे श्रमिकों को नियुक्त करते हैं।

संयुक्त सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार ने संविदा के आधार पर पेड़ों की कटाई, परिवर्तन, गड्ढा बनाने, परिवर्तित लकड़ी की वन से हस्तचलित ढुलाई तथा लकड़ी की चढ़ाई व उतराई के कार्य के लिए 100 अर्ध-कुशल (गिरानी व चिरानी) तथा अकुशल (ढुलानी) श्रमिकों की

नियुक्ति हेतु सरकार की मंजूरी से निगम के प्रबंध निदेशक को अवगत (अक्टूबर 2014) कराया। प्रबंध निदेशक ने निदेशकों (उत्तर व दक्षिण) को 42⁹⁹ गिरानी व चिरानी तथा 18¹⁰⁰ ढुलानी श्रमिकों को नियुक्त करने का निर्देश (जनवरी 2015) दिया।

अन्य बातों के साथ-साथ नियम व शर्तों में निर्धारित था कि श्रमिकों से प्रत्येक माह न्यूनतम मात्रा में कार्य करना अपेक्षित होगा। सौंपे गए इस कार्य को संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर ही उन्हें प्रति माह ₹ 6,300/- (अर्ध-कुशल) एवं ₹ 6,200/- (अकुशल) का भुगतान किया जाएगा।

प्रारंभ में 19 श्रमिकों (13 गिरानी व चिरानी तथा छः ढुलानी) को चंबा मंडल में एक वर्ष के लिए काम पर लगाया गया। चंबा मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 863.51 घनमीटर एवं 468.5 घनमीटर का कार्य क्रमशः गिरानी व चिरानी (अर्ध-कुशल) तथा ढुलानी (अकुशल) द्वारा 2016-17 से 2019-20 की अवधि (अक्टूबर 2019) के दौरान पूर्ण किया गया था जिसके लिए ₹ 5,69,452/- का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना था जैसा कि तालिका-3.5.1 में दिया गया है। यद्यपि, इस राशि के प्रति अधिकतम प्रयोज्य दरों पर ₹ 86,53,736/- राशि का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप इन श्रमिकों को ₹ 80,84,284/- का अधिक भुगतान हुआ।

तालिका-3.5.1: चिरानी/ गिरानी तथा ढुलानी द्वारा किए गए कार्य का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	चिरानी/गिरानी (अर्ध-कुशल) द्वारा किए गए कार्य (घनमीटर में)	ढुलानी (अकुशल) द्वारा किए गए कार्य (घनमीटर में)	चिरानी/ गिरानी (अर्ध-कुशल) द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य	ढुलानी (अकुशल) द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य	श्रमिकों द्वारा किया गया कुल कार्य (घनमीटर में)	श्रमिकों को किया जाने वाला कुल भुगतान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	[(ख)+(ग)]	[(घ)+(ङ)]
2016-17	155.243	0	76,019	0	155.243	76,019
2017-18	81.759	246.933	93,621	37,538	328.692	1,31,159
2018-19	403.13	221.57	2,05,886	10,376	624.7	2,16,262
2019-20	223.381	0	1,46,012	0	223.381	1,46,012
कुल	863.513	468.503	5,21,538	47,014	1,332.016	5,69,452

स्त्रोत: विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

⁹⁹ अर्ध-कुशल श्रमिक: निदेशालय (उत्तर): 20 और निदेशालय (दक्षिण): 22

¹⁰⁰ अकुशल श्रमिक: निदेशालय (उत्तर): नौ और निदेशालय (दक्षिण): नौ

काम की कमी की उपेक्षा करते हुए इकाई ने 16 अतिरिक्त श्रमिकों को भी काम पर लगाया (नवम्बर 2016 एवं फरवरी 2017), जिससे श्रमिकों की कुल संख्या 35¹⁰¹ हो गई।

यह भी देखा गया कि श्रमिकों की संख्या की तुलना में कम मात्रा में काम होने की सूचना के बावजूद भी प्रबंधन ने श्रमिकों के अनुबंधों को बढ़ाकर उन्हें लगातार काम पर लगाए रखा।

मंडलीय प्रबंधक, चंबा ने निदेशक (उत्तर) को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया (अगस्त 2017) क्योंकि कार्य की उपलब्धता वर्ष के दौरान अधिकतम चार से पांच माह के लिए ही थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन श्रमिकों की संविदा को आगे बढ़ाया (दिसंबर 2017, फरवरी 2018 तथा मार्च 2019)।

प्रबंध निदेशक ने यह भी देखा (जुलाई 2018) कि जिन उद्देश्यों के लिए इन श्रमिकों को काम पर लगाया गया था उस उद्देश्य के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को लेबर सप्लाई मेट्स (ठेकेदार) के साथ तैनात कर उनकी सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। उन्हें श्रमिकों के उपयोग के लिए वैकल्पिक तरीकों का सुझाव देने के लिए भी निर्देशित किया था। यद्यपि चंबा इकाई ने इस निर्देश का जवाब नहीं दिया। उपर्युक्त सभी को अनदेखा करते हुए 19 में से 17 श्रमिकों (अर्ध-कुशल: 6 एवं अकुशल: 11) को नियमित नियुक्ति दी गई (अक्टूबर 2019)।

वर्ष-दर-वर्ष अनुबंध को आगे बढ़ाना कंपनी के वित्तीय लाभ के पक्ष में नहीं था तथा पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि यह कार्य सामान्यतः लेबर सप्लाई मेट्स के माध्यम से निष्पादित किया जाता है जिन्हें किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम को इस बात की जानकारी थी कि इन श्रमिकों की सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी उन्हें लगातार काम पर लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप चंबा इकाई में निगम को ₹ 80.84 लाख के परिहार्य भुगतान एवं हानि हुई। निगम की अन्य इकाइयों ने भी बताया कि इन श्रमिकों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है, फिर भी निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

¹⁰¹ जुलाई 2017 में 33 शेष रहे

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2021 में राज्य सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2021)।


सिफारिश: निगम उपलब्ध कार्य की मात्रा के आधार पर ठेकेदारों अथवा संविदा-कर्मियों द्वारा कटाई एवं लकड़ी के परिवर्तन इत्यादि के कार्य करवाने का लागत-लाभ विश्लेषण करे, तदनुसार युक्तिसंगत संविदा-कर्मों काम पर लगाए।

शिमला
दिनांक: 31 जनवरी 2022


(ऋतु ढिल्लों)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 16 फरवरी 2022


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद: 1.2; पृष्ठ: 3)

2019-20 के दौरान राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार की योजना का नाम	2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां
1	राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना - एफ.पी.आई.	572.05
2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसाईटी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	441.60
3	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	32.97
4	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु विशेष श्रेणी राज्य के लिए पैकेज	31.01
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	अंतर्राज्यीय हेतु राज्य की एजेंसियों को सहायता	29.18
6	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	परिवहन सब्सिडी योजना	20.49
7	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	स्वदेश दर्शन	19.93
8	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	पथ परिवहन	18.58
9	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	तेजी से अपनाने व विनिर्माण के लिए योजना	18.58
10	हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाईटी शिमला-9	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	12.29
11	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाईटी शिमला	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	12.29
12	उपायुक्त, काँगड़ा	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास	10.00
13	अन्य	-	153.72
योग			1,372.69

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिच्छेद: 1.3; पृष्ठ: 3)

2015-20 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत वाले विभिन्न अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व - स्वीकृत							
1	3	प्रशासनिक न्याय	12.53	9.82	10.14	25.20	34.57
2	4	सामान्य प्रशासन	17.03	11.62	13.13	18.83	54.07
3	6	आबकारी और कराधान	3.78	1.84	7.65	13.79	14.32
4	7	पुलिस एवं संबद्ध संगठन	73.42	37.08	81.89	143.83	212.47
5	8	शिक्षा	1,076.22	864.96	665.02	955.16	1,110.61
6	9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	366.81	295.90	211.66	330.83	377.72
7	11	कृषि	38.47	27.04	11.3	72.67	33.44
8	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	35.36	35.18	43.67	68.34	69.81
9	15	योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	31.40	28.40	16.81	30.57	22.69
10	16	वन एवं वन्य जीवन	33.23	57.50	85.36	130.31	145.25
11	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना एवं प्रौद्योगिकी	12.23	8.46	11.45	96.03	100.52
12	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	47.43	20.78	55.55	28.84	99.25
13	20	ग्रामीण विकास	208.74	121.61	402.93	383.93	351.17
14	21	सहकारिता	8.45	10.23	3.54	3.61	4.79
15	23	विद्युत विकास	1.49	146.35	131.18	53.45	128.76
16	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.21	6.02	2.81	1.19	2.14
17	25	सड़क और जल परिवहन	1.43	1.06	2.1	2.25	12.92
18	27	श्रम रोजगार और प्रशिक्षण	63.72	71.98	199.27	39.93	39.28
19	29	वित्त	228.94	97.70	266.88	939.93	1,212.96
20	30	विविध सामान्य सेवाएं	13.99	13.00	7.38	8.97	11.32
21	31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	123.39	177.85	242.34	325.72	371.39
22	32	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	31.81	321.14	405.83	390.87	231.62
राजस्व - भारत							
23	3	प्रशासनिक न्याय	6.87	5.95	1.73	7.94	11.36
पूंजीगत - स्वीकृत							
24	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	6.01	2.93	4.77	8.94	25.30
25	15	योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	32.44	18.95	12.84	1.33	115.34
26	29	वित्त	5.2	1.51	7.98	6.27	6.35
27	31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	17.38	20.88	58.21	82.25	94.04
28	32	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	108.71	99.31	132.87	154.08	231.62

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ परिच्छेद: 2.1.1; पृष्ठ: 12)

विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया

क्र. सं.	प्रक्रिया	उत्तरदायित्व स्तर
1	रूपात्मकताओं पर अंतिम निर्णय	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → अधिकृत समिति
2	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वर्दी के कपड़े की मांग का प्रेषण	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
3	शिक्षा खण्ड स्तर पर वर्दी की आपूर्ति के गंतव्य की पहचान	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → शिक्षा खंड स्तर पर मांग पत्र अधिकारी
4	वित्त की व्यवस्था	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
5	निविदाओं पर अंतिम निर्णय	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम → निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → अधिकृत समिति
6	आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु सरकार से मंजूरी प्राप्त करना	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
7	आपूर्ति आदेश जारी करना	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम → आपूर्तिकर्ता
8	प्रेषण-पूर्व नमूना परीक्षण	आपूर्तिकर्ता → अनुमोदित प्रयोगशाला → मांगपत्र अधिकारी
9	वर्दी के कपड़े की प्राप्ति	मांगपत्र अधिकारी
10	प्रेषणोत्तर नमूना परीक्षण	मांगपत्र अधिकारी → हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से अनुमोदित प्रयोगशाला
11	वर्दी के कपड़े का वितरण	मांगपत्र अधिकारी → स्कूल
12	सिलाई प्रभार का संवितरण	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी → राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
13	वर्दी के कपड़े के बिलों का सत्यापन	मांगपत्र अधिकारी → हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
14	आपूर्तिकर्ता को भुगतान	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम → आपूर्तिकर्ता
15	परीक्षण प्रयोगशाला को भुगतान	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा → हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम → प्रयोगशाला
16	अंतिम समायोजन बिलों को प्रस्तुत करना	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम → निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ परिच्छेद: 2.1.3.1; पृष्ठ: 16)

वर्दी के कपड़े की खरीद प्रक्रिया का विवरण

क्र. सं.	प्रक्रिया का चरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	रूपात्मकताओं पर अंतिम निर्णय (विशिष्टता, डिजाईन, रंग आदि)	22 दिसंबर 2015 (कक्षा-1 से 10) 17 मार्च 2016 (कक्षा 11-12)	22 दिसंबर 2015 (कक्षा-1 से 10) 17 मार्च 2016 (कक्षा 11-12)	03 मई 2018	03 मई 2018
2	वर्दी के कपड़े की सड़क पर माल (FOR) की आपूर्ति हेतु गंतव्य की पहचान	26 मई 2016	02 मई 2017	10 अगस्त 2018	10 अगस्त 2018
3	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वर्दी के कपड़े की मांग भेजना	26 मई 2016	02 मई 2017	10 अगस्त 2018	10 अगस्त 2018
4	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदाओं पर अंतिम निर्णय	03 मई 2016 (कक्षा 1 से 10) 02 जून 2016 (कक्षा - 11-12)	03 मई 2016 (कक्षा 1 से 10) 02 जून 2016 (कक्षा 11-12)	सरकार को भेजी गई आरंभिक निविदाएं (अगस्त 2018) रद्द कर दी गई	25 फरवरी 2019
5	चयनित फर्म को आपूर्ति आदेश जारी करने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करना	20 मई 2016 (कक्षा 1 से 10) 14 जुलाई 2016 (कक्षा 11-12)	20 मई 2016 (कक्षा 1 से 10) 14 जुलाई 2016 (कक्षा 11-12)	(दिसंबर 2018) तथा 2019-20 हेतु नई निविदाएं आमंत्रित की गई	07 मार्च 2019
6	आपूर्ति आदेश जारी करना	09 जून 2016 (कक्षा 1 से 10) 04 अगस्त 2016 (कक्षा 11-12)	05 मई 2017 (कक्षा 1 से 10) 30 मई 2017 (कक्षा 11-12)	--	08 मार्च 2019
	प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से आपूर्ति आदेश जारी करने में विलम्ब	दो से चार माह	एक से दो माह		--

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ परिच्छेद: 2.1.3.3; पृष्ठ: 19)

सिलाई प्रभार जारी करने में लिए गए समय का विवरण

(समय दिनों में)

क्र. सं.	जिला	नमूना-जांचित जिलों द्वारा सिलाई प्रभार जारी करने में लिया गया समय								
		2016-17			2017-18			2019-20		
		निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से प्राप्ति	खण्डों को जारी	समय	निदेशक प्राथमिक शिक्षा से प्राप्ति	खण्डों को जारी	समय	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से प्राप्ति	खण्डों को जारी	समय
1	बिलासपुर	11 अगस्त 2016	2 सितम्बर 2016	21	5 जुलाई 2017	24 अगस्त 2017	49	1 अगस्त 2019	2 अगस्त 2019	--
2	कांगड़ा	9 अगस्त 2016	13 जनवरी 2017	156	5 जुलाई 2017	13 सितम्बर 2017	69	1 अगस्त 2019	22 अक्टूबर 2019	81
3	किन्नौर	6 अगस्त 2016	11 अगस्त 2016	4	5 जुलाई 2017	3 अगस्त 2017	28	2 अगस्त 2019	2 अगस्त 2019	लागू नहीं
4	मंडी	9 अगस्त 2016	9 नवम्बर 2016	91	5 जुलाई 2017	17 जुलाई 2017	11	1 अगस्त 2019	1 अगस्त 2019	--
क्र. सं.	खण्ड	नमूना-जांचित खण्डों द्वारा सिलाई जारी करने में लिया गया समय								
1	घुमारवीं-I	15 सितम्बर 2016	4 नवम्बर 2016	49	1 सितम्बर 2017	06 सितम्बर 2017	5	2 अगस्त 2019	7 जनवरी 2020	157
2	घुमारवीं-II	12 सितम्बर 2016	8 दिसंबर 2016	86	31 अगस्त 2017	18 नवम्बर 2017	78	2 अगस्त 2019	19 दिसंबर 2019	139
3	सदर बिलासपुर	30 सितम्बर 2016	4 नवम्बर 2016	34	31 अगस्त 2017	07 सितम्बर 2017	6	2 अगस्त 2019	2 दिसंबर 2019	121
4	स्वारघाट	9 सितम्बर 2016	4 नवम्बर 2016	55	28 अगस्त 2017	14 नवम्बर 2017	77	2 अगस्त 2019	31 अक्टूबर 2019	89
5	बैजनाथ	13 जनवरी 2017	23 जनवरी 2017	09	13 सितम्बर 2017	13 अक्टूबर 2017	29	22 अक्टूबर 2019	2 दिसंबर 2019	40
6	डाडासीबा	13 जनवरी 2017	23 जनवरी 2017	09	13 सितम्बर 2017	27 सितम्बर 2017	13	2 अगस्त 2019	21 सितम्बर 2019	49
7	देहरा	13 जनवरी 2017	27 जनवरी 2017	13	12 सितम्बर 2017	09 अक्टूबर 2017	26	2 अगस्त 2019	14 जनवरी 2020	164

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

8	फतेहपुर	3 जनवरी 2017	9 फरवरी 2017	36	2 सितम्बर 2017	23 अक्तूबर 2017	50	2 अगस्त 2019 एवं 2 नवम्बर 2019	16 नवम्बर 2019	105
9	जवाली	13 जनवरी 2017	22 फरवरी 2017	39	12 सितम्बर 2017	25 सितम्बर 2017	12	2 अगस्त 2019	4 मार्च 2020	214
10	पालमपुर	24 जनवरी 2017	04 फरवरी 2017	10	13 सितम्बर 2017	4 अक्तूबर 2017	20	2 अगस्त 2019	15 अक्तूबर 2019	73
11	बल्ह	10 नवम्बर 2016	29 नवम्बर 2016	18	4 अगस्त 2017	16 अगस्त 2017	11	2 अगस्त 2019	21 फरवरी 2020	202
12	गोपालपुर-I	9 नवम्बर 2016	3 दिसम्बर 2016	23	17 जुलाई 2017	12 सितम्बर 2017	56	2 अगस्त 2019	4 अक्तूबर 2019	62
13	गोपालपुर-II	9 नवम्बर 2016	22 नवम्बर 2016	12	17 जुलाई 2017	19 दिसंबर 2017	154	1 अगस्त 2019	15 जनवरी 2020	166
14	सदर मंडी	9 नवम्बर 2016	24 नवम्बर 2016	14	17 जुलाई 2017	6 दिसंबर 2017	141	2 अगस्त 2019	5 अक्तूबर 2019	63

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ परिच्छेद: 2.1.4.3; पृष्ठ: 22)

वर्दी के कपड़े की शिकायतों का विवरण

कार्यालय का नाम जहां शिकायत दर्ज की गई	शिकायतकर्ता व सम्बंधित जिले का नाम	शिकायतों का संक्षिप्त परिचय	कार्यालय का नाम जिसे जांच रिपोर्ट सौंपी गई	फरवरी 2021 तक शिकायत की स्थिति
मुख्यमंत्री सेवासंकल्प हेल्पलाइन 1100 शिकायत सं. 113992 दिनांक 02 दिसंबर 2019	श्री राजेन्द्र पाल (ऊना)	2019-20 के दौरान आपूरित स्कूल वर्दी के कपड़ों का रंग फीका एव उनमें रोए पाए गए	उप-निदेशक प्राथमिक शिक्षा ऊना (दिसंबर 2019)	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ऊना से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित
तदैव- शिकायत सं. 118015 दिनांक 15 दिसंबर 2019	श्री राजेन्द्र पाल (ऊना)	स्कूल वर्दी के कपड़े की खराब गुणवत्ता	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ऊना (दिसंबर 2019)	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ऊना से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित
तदैव- शिकायत सं. 111150 दिनांक 23 नवम्बर 2019	श्री चविंदर (मंडी)	2019-20 के दौरान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चायल चौक में आपूरित स्कूल वर्दी के कपड़े का रंग फीका एव उनमें रोए पाए गए	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा मंडी (दिसंबर 2019)	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा मंडी से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित
खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सुंदरनगर-II 19 अक्टूबर 2019	खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सुंदरनगर-II (मंडी)	मास्टर नमूनों के साथ वर्दी के कपड़े के जोड़े नहीं मिले।	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (अक्टूबर 2019)	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से रंग में दृश्य भिन्नता के आधार पर वर्दी के कपड़े को अस्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया (नवंबर 2019) लेकिन प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए नमूने भेजने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त, वर्दी के कपड़े में परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट अभिलेख में नहीं पाई गई।
मुख्यमंत्री सेवासंकल्प हेल्पलाइन 1100 शिकायत सं. 116822 दिनांक 11 दिसंबर 2019	श्री ईश्वर दत्त (सोलन)	पहली धुलाई के बाद स्कूल वर्दी का रंग फीका व उनमें रोए पड़ना तथा स्कूल बस्ते का फटना	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा सोलन (27 दिसंबर 2019)	उप-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा सोलन से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित।

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ परिच्छेद: 2.2; पृष्ठ: 25)

भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा ट्रॉमा केन्द्रों हेतु संस्वीकृत एवं जारी की गई निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

अस्पताल	स्वीकृत कुल निधियां		केन्द्रीय अंश की प्रथम क्रिस्त	जारी करने हेतु अपेक्षित राज्यांश (10 प्रतिशत)	वास्तव में जारी राज्यांश		अधिक (+) कम (-) जारी राज्यांश	शर्तों की अनुपालन न होने के कारण जारी नहीं किया गया शेष केन्द्रीय अंश
	केन्द्र	राज्य			माह	राशि		
चंबा	444.80	49.40	275.40	30.60	-	-	(-)30.60	169.40
हमीरपुर	444.80	49.40	275.40	30.60	-	-	(-)30.60	169.40
मंडी	444.80	49.40	275.40	30.60	-	-	(-)30.60	169.40
रामपुर	444.80	49.40	275.40	30.60	मार्च 2019	66.00	(+) 35.40	169.40
टांडा	924.50	102.70	607.50	67.50	मार्च 2018	67.50	00	317.00
योग	2,703.70	300.30	1,709.10	189.90	-	133.50	(-) 91.80 (+) 35.40	994.60

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ परिच्छेद: 2.2; पृष्ठ: 26)

ट्रामा केन्द्रों का निर्माण/ स्थापना न होने का विवरण

(₹ लाख में)

अस्पताल/ संस्थान	घटक (भारत सरकार या राज्यांश)	कोषागार से आहरित राशि		जून 2021 तक व्यय	जून 2021 तक बैंक में रखी अव्ययित राशि		अभ्युक्तियाँ
		माह	राशि		ब्याज	मूलधन	
पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध क्षेत्रीय अस्पताल, चंबा	सिविल कार्य (भारत सरकार)	मार्च 2017	81.00	44.38	0.00	36.62	<ul style="list-style-type: none"> कार्य-स्थल उपलब्ध न होने के कारण सिविल कार्य का निष्पादन नहीं हुआ। कार्य-स्थल की पहचान न होने से तीन से अधिक वर्षों तक का विलम्ब। ट्रामा केंद्र को अब (जुलाई 2021) सरोल, चम्बा में निर्माणाधीन नव चिकित्सा महाविद्यालय भवन में स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इसे नव चिकित्सा महाविद्यालय भवन की योजना/ प्राक्कलनों में शामिल नहीं किया गया है। सिविल कार्य से ₹ 44.38 लाख अस्पताल हेतु उपकरण की खरीद में पथांतरित (2017-18) किये गए। जुलाई 2021 तक ₹ 36.62 लाख बचत बैंक खाते में बेकार पड़े रहे। परिकल्पनानुसार सितम्बर 2021 तक ट्रामा केंद्र स्थापित नहीं किया गया।
	उपकरण (भारत सरकार)	मार्च 2017	194.40	194.40	0.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 238.78 लाख के उपकरणों (उपकरण निधियां: ₹ 194.40 लाख व सिविल कार्य से पथांतरित निधियां: ₹ 44.38 लाख) की खरीद (नवम्बर 2017 से अप्रैल 2018)। ट्रामा केंद्र हेतु उपकरण प्रतिस्थापित नहीं किए गए अपितु अस्पताल के विभिन्न वार्डों (केजुअल्टी विभाग: ₹ 17.21 लाख; अन्य विभाग: ₹ 153.52 लाख; जोनल अस्पताल, धर्मशाला: ₹ 68.05 लाख) में स्थानांतरित (फरवरी 2017 व मार्च 2020 के मध्य) कर दिए गए।

डा. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर से संबद्ध क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर	सिविल कार्य (भारत सरकार)	सितम्बर 2016	81.00	4.58	0.00	76.42	<ul style="list-style-type: none"> • ट्रामा केंद्र भवन के निर्माण हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को ₹ 81.00 लाख जारी किये गए (सितम्बर 2016)। स्पष्ट कार्य-स्थल की अनुपलब्धता के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड ने कार्य का निष्पादन नहीं किया क्योंकि मूल चिह्नित स्थान पर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय नहीं हो सका। • ₹ 81.00 लाख में से भारत संचार निगम लिमिटेड ने ₹ 4.58 लाख सेवा कर की कटौती के बाद डा. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर को ₹ 76.42 लाख वापिस किए (जनवरी 2021)। • प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय के भूतल को तकरीबन चार वर्ष के विलम्ब के बाद ट्रामा केंद्र के लिए चिह्नित किया गया (मई 2020); कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित होना था। • हालांकि चिकित्सा महाविद्यालय के चल रहे निर्माण में ट्रामा केंद्र का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था तथा जून 2021 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। • डा. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर के बचत बैंक खाते में ₹ 76.42 लाख जून 2021 तक पड़े थे।
	उपकरण (भारत सरकार)	मार्च 2017	194.40	94.28	22.73	100.12	<ul style="list-style-type: none"> • क्षेत्रीय अस्पताल हेतु ₹ 94.28 लाख मूल्य के उपकरण की खरीद की गई। • ₹ 122.85 लाख की अव्ययित राशि (मूलधन: ₹ 100.12 लाख व ब्याज: ₹ 22.73 लाख) डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के बचत बैंक खाते में जून 2021 तक पड़े रहे।
जोनल अस्पताल मंडी/श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नरचौक	सिविल कार्य (भारत सरकार)	मार्च 2017	81.00	23.71	14.72	57.29	<ul style="list-style-type: none"> • जोनल अस्पताल ने बचत बैंक खाते में राशि जमा करने के बजाय अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मंडी के नाम बैंकर्स चेक के रूप में जनवरी 2019 तक ₹ 81.00 लाख रखे जो अनियमित था। यह ₹ 4.25 लाख की ब्याज हानि के साथ ही बैंक को अनुचित लाभ के रूप में परिणत

							<p>हुआ (मार्च 2017 से जनवरी 2019)।</p> <ul style="list-style-type: none"> जोनल अस्पताल ने ₹ 81.00 लाख श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक को विभाग के मंडी के बजाय नेरचौक में ट्रामा केंद्र निर्माण के निर्णय के पश्चात् जारी किये (जनवरी 2019)। सिविल कार्य निष्पादित न होना: श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ने अस्पताल के विद्यमान आपातकालीन वार्ड में शौचालय के निर्माण एवं अन्य अतिरिक्त/परिवर्धन कार्यों के लिए अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नेरचौक को ₹ 30.39 लाख जारी किए (जून 2019)। लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 23.71 लाख व्यय किये गए तथा जून 2021 तक कार्य प्रक्रियाधीन था। जून 2021 तक ₹ 72.01 लाख में से ₹ 6.68 लाख लोक निर्माण विभाग के पास अव्ययित रहे तथा ₹ 65.33 लाख श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के बचत बैंक खाते में पड़े रहे (मूलधन: ₹ 50.61 लाख व ब्याज: ₹ 14.72 लाख)।
	उपकरण (भारत सरकार)	मार्च 2017	194.40	194.40		0.00	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 28.50 लाख मूल्य के उपकरण जोनल अस्पताल, मंडी के लिए खरीदे गए (अनियमित पथांतरण)। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक को ₹ 165.90 लाख हस्तांतरित किये गए (फरवरी 2018)। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ने ₹ 165.90 लाख के उपकरण खरीदे तथा विद्यमान आपातकालीन वार्ड में स्थापित किए। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.72 लाख का ब्याज श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के बचत बैंक खाते में जून 2021 तक पड़े थे।
एमजीएमएससी, रामपुर	सिविल कार्य (भारत सरकार)	दिसंबर 2016	81.00	118.93	0.00	28.07	<ul style="list-style-type: none"> वृक्षों को हटाने (अगस्त 2019) में लगे समय (30 माह) के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	सिविल कार्य (राज्य)	मार्च 2019	66.00				<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने ₹ 5.08 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की (फरवरी 2017)। हालांकि, विभाग द्वारा ₹ 66.00 लाख प्रदान किये गए हैं (अप्रैल 2019)। सितम्बर 2021 तक 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ था।
	उपकरण (भारत सरकार)	दिसंबर 2016	194.40	0.00	0.00	194.40	<ul style="list-style-type: none"> भवन की अनुपलब्धता के कारण उपकरणों की खरीद नहीं हुई; जून 2021 तक ₹ 194.40 लाख चालू खाते में पड़े रहे जो ₹ 26.24 लाख की ब्याज हानि (@3.5 प्रतिशत की बैंक ब्याज दर से) में परिणत हुआ।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (आरपीजीएमसी), टांडा	सिविल कार्य (भारत सरकार)	मार्च 2017	121.50	135.00	0.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> रैंप के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सितम्बर 2021 तक रैंप का निर्माण कार्य प्रगति पर था।
	सिविल कार्य (राज्य)	मार्च 2018	13.50				
	उपकरण (भारत सरकार)	मार्च 2017	486.00	251.68	99.90	288.32	<ul style="list-style-type: none"> उपकरण की खरीद प्रक्रिया शुरू हुई एवं मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु निविदा प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी। ₹ 251.68 लाख उपकरणों पर व्यय किये गए (सितम्बर 2021 तक बन रहे मेडिकल गैस मैनीफोल्ड सिस्टम पर ₹ 100.00 लाख सहित)। सितम्बर 2021 तक शेष ₹ 388.22 लाख (मूलधन: ₹ 288.32 व ब्याज: ₹ 99.90 लाख) डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के बचत बैंक खाते में अव्ययित पड़े रहे। ड्रामा केंद्र सिविल कार्य पूर्ण होने, उपकरणों की खरीद व श्रम शक्ति की उपलब्धता पर प्रारंभ किया जाना है।
	उपकरण (राज्य)	मार्च 2018	54.00				
योग	-	-	1,842.60	1,061.36	137.35	781.24	

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ परिच्छेद: 2.4; पृष्ठ: 36)

कार्य प्राक्कलन से प्रमुख मदें

क्र.सं.	मद का नाम (कार्य प्राक्कलन के अनुसार)	मात्रा (कार्य प्राक्कलन के अनुसार)	कार्य प्राक्कलन में दर	कार्य प्राक्कलन में कुल प्रावधान ₹
1	उत्खनन	60,065.66 घनमीटर	407.45	2,44,73,753
2	कंक्रीटिंग ग्रेड - एम 35	4,214.80 घनमीटर	4,954.60	2,08,82,648
3	कंक्रीटिंग ग्रेड - एम 25	67,541.74 घनमीटर	4,189.10	28,29,39,103
4	कंक्रीटिंग ग्रेड - एम 15	10,210.17+1,327.50 घनमीटर	3,143.20	3,20,92,606 + 41,72,598
5	जल निष्कासन	-	-	67,90,109
6	विपथक व्यवस्था (कॉफर बांध/डाइक)	8,250 घनमीटर	465.35	38,39,138
7	ढलान संरक्षण कार्य प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह	77,959.68 इकाई (भिन्न उप मदें)	155.60 (भारित औसत दर प्रति इकाई)	1,21,30,826
8	ग्राउट करने के लिए छेद करना	1,508 रनिंग मीटर	1,376.95	20,76,440
9	फर्मा बंदी	9,959.34 वर्गमीटर	283.1	28,22,320
10	पीवीसी स्टॉप सील	600.85 रनिंग मीटर	1,034.40	6,21,519
11	स्टील	27,886.91 क्विंटल	6,215.25	17,33,24,117
12	मृदा अन्वेषण, डिजाइन व ड्राइंग	-	-	58,38,818
13	कर्टन एवं कंसोलिडेशन ग्राउटिंग	6627 बैग	826.85	54,79,535

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ परिच्छेद: 2.4; पृष्ठ: 36)

निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा व्युत्पन्न नई इकाई दरें

क्र. सं.	मद का नाम	कार्य प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान (₹ में)	उत्खनन एवं/या कंक्रीटिंग की मात्रा से जुड़ी निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा व्युत्पन्न 'नई इकाई दरें' (₹ प्रति घनमीटर)		
			उत्खनन (कार्य प्राक्कलन में मद का प्रावधान/कार्य प्राक्कलन में उत्खनन की मात्रा)	कंक्रीटिंग (कार्य प्राक्कलन में मद का प्रावधान/कार्य प्राक्कलन में कंक्रीटिंग की मात्रा)	उत्खनन व कंक्रीटिंग (कार्य प्राक्कलन में मद का प्रावधान/कार्य प्राक्कलन में उत्खनन व कंक्रीटिंग की मात्रा)
1	जल निष्कासन	67,90,109	-	-	49.27 {(₹67,90,109/ (60,065+10,210+67,541) घनमीटर)}
2	विपथक व्यवस्था	38,391,38	-	-	26.78 {₹ 38,391,38/ (60,065+4,214+10,210+1,327+67,541) घनमीटर}
3	ढलान संरक्षण कार्य प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह	1,21,30,826	-	-	84.62 {₹1,21,30,826/ (60,065+4,214+10,210+1,327+67,541) घनमीटर}
4	ग्राउट करने के लिए छेद करना	20,76,440	34.57 (₹ 20,76,440/ 60,065 घनमीटर)	-	-
5	फर्मा बंदी	28,22,320	-	33.88 {₹28,22,320/ (4,214+10,210+1,327+67,541) घनमीटर}	-
6	पीवीसी स्टॉप सील	6,21,519	-	7.99 {₹6,21,519/ (10,210+67,541) घनमीटर}	-
7	स्टील	17,33,24,117	-	2,080.87 {₹ 17,33,24,117/ (4,214+10,210+1,327+67,541) घनमीटर}	-

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ परिच्छेद: 2.5.3.1; पृष्ठ: 50)

2016-20 के दौरान नमूना-जांचित संग्रहालयों के व्यय के मानक उद्देश्य-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	व्यय के मानक उद्देश्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1. हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय, शिमला						
1	01- वेतन	86.72	99.76	87.85	91.09	365.42
2	02- मजदूरी	0	1.14	16.36	13.91	31.41
3	03- यात्रा व्यय	0.20	0.29	0.14	0.14	0.77
4	05- कार्यालय व्यय	5.45	4.94	4.86	4.66	19.91
5	06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.79	0.36	0.40	0.77	2.32
6	20- अन्य प्रभार	19.67	16.21	32.16	40.16	108.20
7	30- मोटर वाहन	0	0.64	0.43	1.29	2.36
8	33- सामग्री एवं आपूर्ति	0.35	0	0.57	0.80	1.72
योग		113.18	123.34	142.77	152.82	532.11
2. भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा						
1	01- वेतन	43.62	47.13	50.81	53.05	194.61
2	02- मजदूरी	0	0	0	0	0
3	03- यात्रा व्यय	0.14	0.22	0.14	0.10	0.60
4	05- कार्यालय व्यय	3.40	3.10	3.40	4.10	14.00
5	06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.69	1.22	1.28	1.85	5.04
6	20- अन्य प्रभार	0.22	0.50	0.50	0.50	1.72
7	30- मोटर वाहन	0	0	0	0	0
8	33- सामग्री एवं आपूर्ति	0.77	0.48	0.38	0	1.63
योग		48.84	52.65	56.51	59.60	217.60
3. कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला						
1	01- वेतन	36.21	47.07	44.24	48.35	175.87
2	02- मजदूरी	0.72	0.83	0.82	0.03	2.40
3	03- यात्रा व्यय	0.05	0.23	0.07	0.07	0.42
4	05- कार्यालय व्यय	2.25	2.50	2.43	2.09	9.27
5	06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.12	0.05	0.23	0.13	0.53
6	20- अन्य प्रभार	0.07	1.50	0.48	1.71	3.76
7	30- मोटर वाहन	0	0	0	0	0
8	33- सामग्री एवं आपूर्ति	0	0	0	0	0
9	64- यात्रा व्यय	0	0	0	0.02	0.02
योग		39.42	52.18	48.27	52.40	192.27

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ परिच्छेद: 3.1; पृष्ठ: 69)


विभिन्न एजेंसियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	कार्य की प्रकृति	प्रदान की गई राशि (₹ में)	भुगतान की गई राशि (₹ में)
1	मैसर्स विप्रो	सलाहकार	84,89,723	85,43,422
2	मैसर्स (पीडब्लूसी)	सलाहकार एवं हार्डवेयर आपूर्ति	7,07,32,000	4,38,74,402
3	मैसर्स एसएपी	सलाहकार प्रभार एवं लाइसेंस फीस	1,92,15,099	1,66,99,941
4	मैसर्स जनार्थ एडवर्टाइजिंग	विज्ञापन	1,39,365	1,50,521
5	मैसर्स हिमस्वान बीएसएनएल/एनआईसीएसआई	सेवाएं	78,64,542	26,75,204
6	मैसर्स एक्सेल एमकेटी	सेवाएं	77,812	77,812
7	मैसर्स एसआईटीइजी	सेवाएं	92,03,152	61,90,376
8	मैसर्स जेड नेट लाइव	सेवाएं	27,122	27,121
योग			11,57,48,815	7,82,38,799

परिशिष्ट-3.2

(सन्दर्भ परिच्छेद: 3.2.1; पृष्ठ: 70)

हिमाचल प्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ परिच्छेद: 3.2.1; पृष्ठ: 70)

परियोजनाओं के विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	कार्य समाप्ति की नियत तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक/संशोधित प्रत्याशित तिथि	चयन	सितंबर 2021के अंत में परियोजना की स्थिति
1	चंबी(शाहपुर कांगड़ा) में 33/132 केवी, 2x25/31.5 एमवीए सब स्टेशन	01.10.2015	44.07	30.11.2018	30.09.2019	चयनित	28.08.2019 को कमीशन
2	पंडोह में 33/132 सब स्टेशन केवी +132 केवी बजौरा कंगू डी/सी लाइन (मंडी) के एक सर्किट का एलआईएलओ	20.08.2015	31.27	दिसम्बर.2017	अगस्त 2019		24.08.2019 को कमीशन
3	हाटकोटी से 220/400 केवी प्रगति नगर सब स्टेशन (शिमला) तक 220 केवी डी/सी (ट्विन मूस) लाइन) + अब्दुल्लापुर डी/सी लाइन (शिमला)	28.09.2012	102.06	15.10.2019	दिसम्बर 2018 में पूर्ण एवं चार्जिंग हेतु तैयार		02.11.2020 को कमीशन
4	220/400 केवी, 1x315 एमवीए सब स्टेशन प्रगति नगर (शिमला)	25.10.2013	162.09	30.03.2019	सब स्टेशन पूर्ण एवं चार्जिंग हेतु तैयार	चयनित	02.11.2020 को कमीशन
5	66/220/400 केवी (66/220 केवी, 2x80/100 एमवीए + 220/400 केवी, 2x315 एमवीए) वांगटू में सब स्टेशन के साथ 400 केवी करचम-काला अंब ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किटों के एलआईएलओ	24.07.2013	365.53	31.12.2018	सितम्बर 2019 में सफलतापूर्वक कमीशन,एलआईएलओ भाग अक्टूबर 2019 में कमीशन	चयनित	29.09.2021 को कमीशन

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	कार्य समाप्ति की नियत तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक/संशोधित प्रत्याशित तिथि	चयन	सितंबर 2021के अंत में परियोजना की स्थिति
6	33/220/400 केवी लाहल सब स्टेशन (चंबा)	20.09.2014	263.11	01.01.2018	07.07.2020	चयनित	30.06.2020 को कमीशन
7	220 केवी डी/सी लाइन (ट्रिविन मूस) चारोर से 400/220 पीजीसीआईएल (कुल्लू) के केवी बनाला सब स्टेशन तक	22.01.2015	56.97	जुलाई 2017	जुलाई 2019		24.07.2019 को कमीशन
8	उरनी (किन्नौर) में 66 केवी स्विचिंग स्टेशन	07.06.2014	26.50	20.06.2018	निर्माण पूर्ण एवं सब स्टेशन चार्जिंग हेतु तैयार	चयनित	सितम्बर 2020 के दौरान कमीशन
9	सुंडा से हाटकोटी (शिमला) तक 220 केवी डी/सी (ट्रिविन मूस) ट्रांसमिशन लाइन	28.05.2015	56.42	सितम्बर 2019	दिसंबर 2020	चयनित	प्रक्रियाधीन
10	66 केवी स्विचिंग स्टेशन उरनी से वांगटू सब स्टेशन (किन्नौर) तक 66 केवी डी/सी लाइन	17.01.2015	21.72	31.12.2019	प्रक्रियाधीन		प्रक्रियाधीन
11	132/220 केवी, 2x100 एमवीए प्लिंग स्टेशन सुंडा (शिमला)	5.4.2018	62.91	दिसंबर 2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
12	132/220 केवी सब स्टेशन चारोर (कुल्लू में)	19.03.2018	68.36	01.05.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
13	132 केवी कांगड़ा-देहरा लाइन का चंबा में एलआईएलओ 132 केवी डी/सी 54 टावर (लाइन की लंबाई 15.38 किमी कांगड़ा)	26.12.2015	20.93	सितम्बर 2019	जुलाई 2020		06.08.2020 को कमीशन
14	हाटकोटी (शिमला) में 220 केवी स्विचिंग स्टेशन	6.3.2018	46.72	31.12.2019	जून 2021		प्रक्रियाधीन

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	कार्य समाप्ति की नियत तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक/संशोधित प्रत्याशित तिथि	चयन	सितंबर 2021के अंत में परियोजना की स्थिति
15	बरसैनी कुल्लू में 33/132 केवी सब स्टेशन	2.2.2018	49.84	29.06.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
16	400/220 केवी, 2x315 एमवीए लाहल जीआईएसएस से पीजीसीआईएल (चंबा) के 400/220 केवी चमेरा पूर्णिग स्टेशन ØPG 400 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूस)	18.02.2018	115.46	March 2020	सितम्बर 2021	चयनित	प्रक्रियाधीन
17	बरसैनी सब स्टेशन से चारोर सब स्टेशन (कुल्लू) तक 132 केवी डी/सी लाइन	11.1.2018	43.67	23.05.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
18	220 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूस) बजोली होली जल विद्युत परियोजना से 400/220 केवी लाहल जीआईएसएस (लाहल) तक	18.12.2018	69.43	30.06.2019	दिसंबर 2020	चयनित	प्रक्रियाधीन
19	माजरा चंबा में 132/33 केवी, 2x100 एमवीए जीआईएस सब स्टेशन	19.06.2019	68.96	16.08.2021	सितम्बर 2021		प्रक्रियाधीन
20	66/22 केवी, 2x10 एमवीए जीआईएस सब स्टेशन निरमंड (बाघीपुर, कुल्लू) में	11.02.2019	39.79	28.06.2021	प्रक्रियाधीन		प्रक्रियाधीन
21	माजरा से करियां (चंबा) तक 220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	20.12.2019	38.44	17.01.2021	जून 2021		प्रक्रियाधीन

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	कार्य समाप्ति की नियत तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक/संशोधित प्रत्याशित तिथि	चयन	सितंबर 2021के अंत में परियोजना की स्थिति
22	निरमंड से कोटला (कुल्लू-शिमला) तक 66 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	20.12.2018	23.09	28.02.2021	प्रक्रियाधीन	चयनित	प्रक्रियाधीन
23	गुम्मा सबस्टेशन (शिमला) में अतिरिक्त 400/220 केवी ट्रांसफार्मर	30.12.2016	43.74	10.10.2018	पूर्ण		05.02.2021 को कमीशन
24	220 केवी स्नैल-हाटकोटी लाइन (शिमला)	28.11.2016	25.44	10.10.2018	पूर्ण	चयनित	02.11.2020 को प्रारंभ
25	220kV डी/सी टीएल देहन सब स्टेशन से हमीरपुर सब स्टेशन (हमीरपुर) तक	05.04.2018	119.58	10.08.2020	जून 2021	चयनित	प्रक्रियाधीन
26	132/220 केवी सब स्टेशन देहन (हमीरपुर) में	19.02.2018	75.52		जून 2021		प्रक्रियाधीन
27	पंडोह सब स्टेशन (मंडी) में अतिरिक्त 33/220 केवी, 31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना	22.02.2018	19.62	01.12.2019	जून 2020	चयनित	08.10.2020 को कमीशन
28	33 केवी पलचान-प्रिनी लाइन (कुल्लू)	4.12.2017	8.13	15.04.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
29	132 केवी डी/सी लाइन तांगनु रोमाई से 132/220 केवी सुंडा सब स्टेशन (शिमला) तक	23.05.2017	16.90	14.03.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
30	220/66 केवी, 80/100 एमवीए जीआईएस सब स्टेशन हेलिंग में एवं 220 केवी बाजोली होली-लहल डी/सी लाइन का एलआईएलओ (चंबा)	30.08.2019	88.29	18.11.2020	जून 2022		प्रक्रियाधीन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	कार्य समाप्ति की नियत तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक/संशोधित प्रत्याशित तिथि	चयन	सितंबर 2021के अंत में परियोजना की स्थिति
31	220/66 केवी, 80/100 एमवीए अतिरिक्त सब स्टेशन सुंडा (शिमला)	08.03.2019	24.87	22.11.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
32	चारों सब स्टेशन (कुल्लू) में अतिरिक्त 220/33 केवी, 80/100 एमवीए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना	08.03.2019	35.96	11.12.2020	जून 2021		प्रक्रियाधीन
33	पलचान (कुल्लू) में 33 केवी जीआईएस स्विचिंग स्टेशन	20.11.2019	13.78 व 3.72 (17.30)	02.09.2020 व 06.01.2022	अगस्त 2021		प्रक्रियाधीन
34	काला अम्ब में 220/32 केवी सब स्टेशन एवं पीजीसीआईएल सब स्टेशन से 220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	2.3.2019	74.02	02.09.2020	दिसंबर 2022		प्रक्रियाधीन
35	220/33 केवी सब स्टेशन प्रिनी (कुल्लू)	24.01.2018	6.54	07.10.2020	दिसंबर 2020	चयनित	प्रक्रियाधीन
36	जिला शिमला में 400/220 केवी गुम्मा सब स्टेशन के प्रांगण में 220/66 केवी, 80/100 एमवीए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना	22.2.2020	45.11	30.07.2021	प्रक्रियाधीन		प्रक्रियाधीन
37	मौजूदा 220/132 केवी कांगू सबस्टेशन का विस्तार एवं बीबीएमबी के देहर पावर हाउस से कांगू सब स्टेशन तक डी/सी टावरों पर 220 केवी एस/सी लाइन के दूसरे सर्किट की स्ट्रिंग	26.2.2020	52.00	25.07.2021	प्रक्रियाधीन		प्रक्रियाधीन

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	कार्य समाप्ति की नियत तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक/संशोधित प्रत्याशित तिथि	चयन	सितंबर 2021के अंत में परियोजना की स्थिति
38	220 केवी कुनिहार-पंचकूला ट्रांसमिशन लाइन के दूसरे सर्किट का 220 केवी सबस्टेशन बंदी पर एलआईएलओ। संबद्ध खण्डों के साथ	22.2.2020	5.68	30.03.2021	प्रक्रियाधीन		प्रक्रियाधीन
39	33/220 केवी जीआईएस करियां	22.12.2010	41.70	30.06.2013	5.04.2018		05.04.2018 को कमीशन
40	220 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन करियां से चमेरा	6.09.2011	10.17	12.05.2018	12.05.2018		12.05.2018 को कमीशन
41	लाहल से बुधिल जल विद्युत परियोजना तक 220 केवी लाइन	11.03.2015	5.98	अप्रैल 2017	7.07.2020	चयनित	29.06.2020 को कमीशन

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ परिच्छेद: 3.3.1; पृष्ठ: 79)

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान स्टोर की खरीद/ खपत के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
अथ शेष	58.40	56.48	139.14
वर्ष के दौरान खरीद	293.90	470.85	463.16
कुल	352.30	527.33	602.30
खपत /उपयोग हेतु जारी	316.32	402.61	417.90
ठेकेदारों को जारी	1.45	1.44	1.46
शेष	34.53	123.28	182.94
हस्तांतरण (इकाई के भीतर)	-11.37	-29.70	-42.47
समायोजन	33.32	45.58	53.04
अंत स्टॉक	56.48	139.14	193.51
अंत स्टॉक (माह के अंत में)	2	4	5
वर्ष के दौरान कुल उपयोग	317.77	404.05	419.36
तीन माह की खपत हेतु अपेक्षित स्टॉक	79.44	101.01	104.84
तीन माह की आवश्यकता से अधिक व ऊपर अधिक्य स्टॉक	-22.96	38.13	88.67

©भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>